सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

13 फरवरी, 2019

षोडश विधान-सभा | 13 फरवरी, 2019 ई0
------------- | बुधवार, तिथि: --------------
द्वादश सत्र | 24 माघ, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-3(श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: पूछता हूँ ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय.....

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये न । आप बैठ जाईए न । महबूब आलम जी, आपके आलावा भी दूसरे माननीय सदस्यगण का प्रश्न है, अभी सिद्दिकी साहब का प्रश्न है तो आप क्यों इसमें बाधा डाल रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है, बैठिये ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश में रबी की खेती के लिए 6 लाख 53 हजार 228 हे0 क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध अबतक कुल 5 लाख 15 हजार 95 हे0 क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । प्रश्नाधीन 16 जिलों में से मात्र 4 जिले यथा सीवान, सारण, गोपालगंज एवं गया आंशिक में कृषकों को सिंचाई की सुविधा नहर मरम्मति का कार्य प्रगति में रहने के चलते नहीं मिल पा रहा है एवं शेष जिलों में कृषकों को रबी फसल हेतु नहरों से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है । पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली अन्तर्गत सीवान, सारण एवं गोपालगंज जिले में सारण मुख्य नहर एवं इसके वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य हेतु तथा गया जिले के आंशिक क्षेत्र में पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर के 252.70 से 268.40 तक इसमें मिश्रित रतनी वितरणी एवं मऊ माईनर के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2018-19 की अवधि में जलापूर्ति बंद रखने का विभाग द्वारा निर्णय लिया गया जिसके लिए दैनिक समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, सन्मार्ग, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर एवं प्रभात खबर में दिनांक 25 दिसम्बर, 2018 के अंक

में आवश्यक सूचना प्रकाशित कर उक्त जिले के किसानों को सूचित करते हुए उनसे वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का अनुरोध किया गया था ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे विभाग के द्वारा या माननीय मंत्री के स्तर पर वह पूरा नहीं किया गया । एक लाख कम उन्होंने अपने उत्तर में बतलाया कि 6 लाख का हमलोगों ने जो है टारगेट बनाया था, पांच लाख में ये कर रहे हैं । मेरा मानना है कि यह जवाब जो है लीपापोती करना है, वास्तविकता नहीं है । अब इसी आलोक में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गया, अरवल और अन्य जिलों में है, पूरे बिहार की यह समस्या है मगर हमने गया, अरवल, पटना सहित अन्य 16 जिलों के बावत जो यह सवाल पूछा है तो अब माननीय मंत्री कम से कम गया, अरवल में ही बतला दें और पटना में कि क्या क्या सिंचाई की व्यवस्था हो गयी है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: मैंने बतलाया अध्यक्ष महोदय इसके उत्तर में कि गया जिले के वितरणी में आंशिक हुआ है । मैंने स्वयं उत्तर में ही बतलाया है । मैंने कहा है कि गया जिला के आंशिक क्षेत्र में पूर्वी सोन हाई कैनाल के इतना से इतना तक मिश्रित रतनी वितरणी एवं मऊ माईनर के पुनर्स्थापन कार्य हेतु रब्बी फसल की अवधि में जलापूर्त्ति बंद रखने का विभाग ने निर्णय लिया तो जो हमने खुद ही स्वीकार किया है तो उसमें सवाल कहां उठ रहा है । हमने तो खुद स्वीकार किया, चूंकि सोन कैनाल सिस्टम का गया के क्षेत्र में बहुत कम इरीगेशन फैसिलिटी है । उसका मेन इरीगेशन फैसिलिटी भोजपुर में है, रोहतास में है, भभुआ में है और पार्ट ऑफ औरंगाबाद है तो इसलिए मैंने खुद इनको बतलाया कि जो गया का इलाका है, वह उसका बहुत ही पार्सियल एरिया सोन कैनाल सिस्टम से इरीगेट होता है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, मेरा प्रश्न देखा जाय । मतलब औरंगाबाद, गया ,अरवल, पटना सहित अन्य 16 जिले के बाबत यह प्रश्न था और यह जो समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुए है उसके आधार पर हमने सवाल किया था । पूरे मतलब, ये खुद कह रहे हैं कि आंशिक स्वीकृति इन्होंने दी है मगर जो वस्तुस्थिति है चाहे गया की हो, औरगांबाद की हो, पटना की हो, जहानाबाद की हो, जमुई की हो अन्य जिलों की हो, मगर हां, ये माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनसे पूछा जाय कि जो अभी स्थिति है, उस स्थिति में गेहूं की फसल की क्या स्थिति है, अन्य फसल की क्या स्थिति है और जो वर्षा नहीं हुए उसके कारण वैकल्पिक व्यवस्था क्या क्या की गयी और उसके अनुरूप क्या कार्रवाई की जा रही है, किसान मर रहे हैं पूरे बिहार का महोदय इसका जवाब चाहिए ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, मैं माननीय सिद्दिकी साहब को प्रमंडल वार ब्योरा पढ़कर बतला देता हूँ । डेहरी में सोन नहर प्रणाली पुरानी है, पुरानी जो प्रणाली है

उसका लक्ष्य था 2 लाख 31 हजार 396 हे0, हमने प्राप्त किया 2 लाख 22 हजार 683 हे0 जो 96.23 प्रतिशत है । सोन उच्च स्तरीय नहर प्रणाली जो डेहरी के इलाके में है उसका..

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी एक ही जवाब पढ़ रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: कोई एक आदमी बोलियेगा तो सब लोग सुनेंगे ।

(व्यवधान)

अब अगले प्रश्न पर जायें ।

(व्यवधान)

माननीय सिद्दिकी जी, आपने कई जिलों का उद्धरण देते हुए, 16 जिलों के बारे में प्रश्न पूछा है, आपने विस्तृत जानकारी मांगी और माननीय मंत्री जब प्रमंडलवार ब्योरा दे रहे थे तो फिर बीच में शोरगुल शुरू हो गया । तो जब आप 16 जिले की बात कर रहे हैं और मंत्री जी विस्तृत रूप से जो वितरणी वार बताना चाह रहे हैं। उसके नहीं सुनने का क्या औचित्य है ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: उसी में ऐड करना चाहता हूँ । महोदय हालांकि यह प्रश्न जो है जल संसाधन विभाग से पूछा गया, अगर जो सिंचाई की व्यवस्था है, चूंकि माननीय मंत्री अपने विभाग तक ही सीमित हैं, अपने विभाग का देंगे ।

अध्यक्ष: सिंचाई तो जल संसाधन विभाग ही करता है न ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: सिंचाई के और भी विकल्प हैं । जहां नहर की व्यवस्था नहीं है, वहां स्टेट ट्यूबवेल की व्यवस्था की गयी है और स्टेट ट्यूबवेल जो है, वह लघु सिंचाई सिंचाई देखता है मगर पूरे बिहार में एक भी स्टेट ट्यूबवेल न तो ऊर्जान्वित है, न कार्यान्वित है, मगर...

अध्यक्ष: माननीय सिद्दिकी साहब, ये जो आप कह रहे हैं, ये तो आपने खुद ही अपने प्रश्न को देखने पर आपको याद पड़ेगा कि आपने खुद ही जल संसाधन विभाग से पूछा है । आप जिससे पूछे हैं, वही न जवाब देगा ।

टर्न-2/मधुप/13.02.2019

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो स्वयं स्वीकार किया कि हालाँकि यह क्वेश्चन जल संसाधन विभाग से पूछा गया है मगर इस प्रश्न की व्यापकता को देखते हुए आप स्थगित करके.....

अध्यक्ष : अब क्यों स्थगित करें ? आप जल संसाधन विभाग से पूरा उत्तर सुन लीजिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : हाँ, उत्तर दें ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि सोन नहर प्रणाली पुरानी 2,31,396 हेक्टेयर हमारा लक्ष्य था, 2,22,683 हेक्टेयर में हमने सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी । सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली.... (व्यवधान) जवाब अगर सुनना चाहते हैं माननीय सदस्य तो देंगे, नहीं सुनना चाहते हैं तो मत सुनें ।

सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली में 30,175 हेक्टेयर का लक्ष्य था, 25,863 हेक्टेयर में प्राप्त किया गया जो 85.71 परसेंट है । उसके अलावा मध्यम सिंचाई योजना 12,482 हेक्टेयर का लक्ष्य था, 12,482 हेक्टेयर लक्ष्य प्राप्त किया गया । कुल डेहरी परिक्षेत्र में 2,74,053 हेक्टेयर का लक्ष्य था जिसमें 2,61,028 हेक्टेयर में लक्ष्य प्राप्त किया गया मतलब 95.25 परसेंट एचीवमेंट था । नालन्दा जिला में 290 के विरूद्ध 270 हेक्टेयर में प्राप्त किया गया जो 93 परसेंट है । गया में, मैंने आपको पहले ही बताया, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली में नहीं है सिंचाई सुविधा ।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यगण वेल में आकर बोलने लगे ।)

(व्यवधान)

महोदय, इनकी रूचि उत्तर सुनने में नहीं है, इनकी रूचि व्यवधान पैदा करने में है तो करें । इनको किसानों से कोई लेना-देना नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग अपनी-अपनी जगह पर तो जाइये !

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ? सरकार तो उत्तर देने के लिए तैयार है । पूरा उत्तर सुनते भी नहीं हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं ? जगह पर जाकर बोलिये न !

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनको उत्तर सुनने का साहस नहीं है तो प्रश्न क्यों लाते हैं ?

सरकार तो एक-एक प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़ी है, जो प्रश्न पूछेंगे, पूरक पूछियेगा उसका भी जवाब देने के लिए सरकार तैयार है । सरकार की तरफ से हम तो आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय सदस्य अपनी जगह पर जाकर, अपने स्थान पर बैठें और एक-एक जो पूरक पूछा जायेगा, उसके एक-एक का जवाब दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही चलने दीजिए न !

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर हमलोग बहिष्कार करते हैं ।

(इस अवसर पर श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी सहित राष्ट्रीय जनता दल के कुछ माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गए ।)

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहब ने घोषणा करके कि हमलोग सदन का बहिष्कार करते हैं, सदन के बाहर चले गए हैं । आप लोगों की क्या राय है ? हम तो आपकी राय जानना चाह रहे हैं ? जगह पर जाकर बोलिए न ? जगह पर जाकर बोलिए तो हम अच्छे से सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये सिद्दिकी साहब से अलग गुट वाले लोग हैं । सिद्दिकी साहब जब खड़े हो गए तो इनलोगों का हंगामा करना मकसद है, उनके सवाल का जवाब होने देना नहीं चाहते हैं । उनके क्षेत्र की समस्या का हल ये लोग देखना नहीं चाहते हैं, ईर्ष्या करते हैं और ललित यादव जी दरभंगा से आते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है कि सिद्दिकी साहब के क्षेत्र में, उनके इलाके में अच्छा काम हो । ये अलग गुट बनाकर काम कर रहे हैं । उनका नेतृत्व ये लोग कबूल नहीं करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेन्द्र जी यहॉं भाषण दे रहे हैं और मनेर में कल बड़ी सभा में बहिष्कार करके आये हैं, तेज प्रताप जी का नेतृत्व आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में, बता दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, आप सदन में हैं या बाहर में हैं ?

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के शेष माननीय सदस्यगण भी सदन से बाहर चले गए ।)

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 136 (श्री शशि भूषण हजारी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 0.75 कि0मी0 है, इसे पूर्व में विधायक कोष से निर्मित कराया गया था ।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं सुव्यवस्थित सुधार, मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 दिनांक- 12.11. 2018 से लागू की गई है । इस नीति के तहत मरम्मति हेतु पथ का सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 137 (श्री ललन पासवान)

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है । वर्त्तमान में पंचायत राज अधिनियम, 2006 प्रवृत्त है । पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू होने के कारण पंचायत राज अधिनियम, 1993 निष्प्रभावी हो गया है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- स्वीकारात्मक है ।

सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि दिनांक-23.08.1993 से राज्य में नियुक्त दलपतियों की नियुक्ति पूर्णत: अवैध है, अतएव ऐसी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाय । इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उक्त रीति से नियुक्त कुछ दलपति, जो पंचायत सेवक के पद पर नियुक्त कर लिये गये हों, उनकी भी सेवा समाप्त कर दी जाय, क्योंकि उनकी दलपति के पद पर नियुक्ति ही अवैध है । वर्णित परिस्थिति में पंचायत सेवक के पद पर की गई ऐसी नियुक्ति भी अवैध मानी जाएगी । फलस्वरूप नियुक्ति को रद्द किया गया है । ..... क्रमशः ......

टर्न-3/आजाद/13.02.2019

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : (क्रमशः) 4. बिहार पंचायत राज अधिनियम,1993 के अन्तर्गत बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्त्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली, 2004 का गठन किया गया । उक्त नियमावली की कंडिका-3(2) के अनुसार ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच के सभी योग्य व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य होंगे ।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यगण सदन में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप आ गये हैं तो हाऊस को चलने दीजिए न ।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : उक्त नियमावली की कंडिका-4, 6 एवं 7 में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों, क्षेत्र पदाधिकारी एवं दलपति का चयन हेतु अर्हताएँ निर्धारित की गयी, जिसके अनुसार उसकी आयु चयन की तिथि को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक न हो। साथ ही कंडिका-3(3) के अनुसार ग्राम रक्षा दल के सभी सदस्यों, क्षेत्र पदधिकारी एवं दलपति की कार्यावधि मात्र 5 वर्ष निर्धारित है । नियमावली की कंडिका-16(1) के अनुसार 30 वर्ष की आयु के कोई भी व्यक्ति दल का सदस्य, क्षेत्र पदाधिकारी एवं दलपति नहीं होगा । बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकारी एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 की कंडिका-4 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति । (1) ग्राम पंचायत सचिव के पद पर शत-प्रतिशत सीधी नियुक्ति की जायेगी । यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त है ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार बता रही है कि स्वीकारात्मक है, अस्वीकारात्मक भी है और 1580 दलपतियों की नियुक्ति 1994 में पत्रांक सं0-3188 दिनांक 26.7.1994 द्वारा की गई है । फिर सरकार कह रही है कि 1993 में नियम बना और उसको अवैध करार दिया और जब 1993 में अवैध किया तो 1994 में 1580 दलपतियों की नियुक्ति की गई । अब सरकार कह रही है कि पुन: 1998 में पत्रांक सं0-164 दिनांक 9.2.2018 को सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि फिर

नियुक्ति अवैध है । सरकार अपने ही नियम बना रही है और फिर किस आलोक में सरकार नियम को रद्द करके नियुक्ति भी करती है । 1947 में आजादी के बाद पहली बार ग्राम रक्षा दल नियमावली की चर्चा सरकार कर रही है और 1949 में इस नियमावली में ग्राम रक्षा दल, युवा, गांवों में, खेत-खलिहानों में दलपतियों की नियुक्ति की नियम बनाती है । 1949 में बनी है, फिर 1993 में हटाती है, फिर 1994 में बहाल करती है, फिर 1998 में निर्देश करती है कि हम हटाने का आदेश करते हैं तो सरकार का क्या स्पष्ट नियमावली है, जिस सवाल पर ये जो गरीब हैं, शोषित है, बड़े छोटे पदों पर ग्राम रक्षा दल दिन भर ......

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री ललन पासवान : वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, तीन बार, चार बार नियम बनायी, फिर बदल दी, फिर पुनः आदेश करती है 1580 लोगों को बहाल करने का, सरकार का क्या स्पष्ट नीति है कि कौन नियमावली के तहत नियम बनाती है और फिर बदल देती है, ये 1580 लोगों की नियुक्ति किये और फिर उनको हटाती है । सरकार नियुक्ति भी करती है और फिर अवैध भी करती है तो इन नियुक्तियों को करने का क्या निर्देश था ......

अध्यक्ष : ललन जी, सरकार ने तो बताया है और आपके प्रश्न में भी है कि 1998 में ही एक अधिनियम बना, जिसके कारण 1993 वाली नियुक्तियां या उसके आधार पर जो हुई थी, उसको रद्द कर दिया गया । मंत्रीजी ने यह भी बताया है कि अभी पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है और उन्होंने कहा है कि अब नियुक्तियां उसी के आधार पर होगी । स्वाभाविक रूप से जब कानून बन गया है 2006 का तो अब जो होगा, उसी के आधार पर होगा तो आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री ललन पासवान : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने दलपति के पदों पर काम किया, जो बेरोजगार हैं, बेबस लोग हैं, लाचार हैं, सरकार जिन लोगों को नया नियम बनाकर रखी थी, जितने दलपति की बहाली हुई और जितने बचे हुए लोग हैं, इस आलोक में सरकार उनको प्राथमिकता के आधार पर जो नये नियम बनाये गये हैं, उसमें इन लोगों को नियुक्ति करने का विचार रखती है या नहीं, इनको समावेश करने का सरकार विचार रखती है या नहीं ?

अध्यक्ष : मंत्री जी, प्रश्न समझ गये न, जिनकी बहाली हुई थी और फिर रद्द कर दी गई, उसके बारे में आप कुछ विचार कर रहे हैं सो बताईए, नहीं विचार कर रहे हैं सो बता दीजिए।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में कई वाद दायर किये गये थे । माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-500/96,325/96, 432/96,10400/92/94 न्यायादेश के आलोक में पंचायती राज अधिनियम 1993 प्रवृत्त होने की स्थिति में 23.08.1993 के बाद की गई दलपति की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था, इसलिए नियुक्ति को रद्द किया गया ।

अध्यक्ष : आपका कहना है उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है ।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : जी, सर ।

श्री ललन पासवान : महोदय, उच्च न्यायालय ने आपके नियम के खिलाफ जो आदेश पारित किया, लेकिन आप हम मानव हैं, उस आधार पर हम जिस सदन में बैठे हैं .....

अध्यक्ष : आपके पास जो अतिरिक्त सूचनायें हैं, उसको मंत्री जी को दे दीजियेगा, वे देखेंगे कि इसमें क्या किया जायेगा ।

श्री ललन पासवान : महोदय, ये लोग बेरोजगार हैं, बेबस हैं, दलपति हैं.......

अध्यक्ष : ये तो कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश से रद्द किया गया है तो सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कैसे जायेगी ?

श्री ललन पासवान : महोदय, आदेश हाईकोर्ट ने कर दिया चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, महोदय मैं यह कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इतने दिनों तक ग्राम रक्षा दल में काम किया, सरकार मानवीय आधार पर उसको समावेश करने का कोई नीतिगत फैसला लेना चाहिए क्योंकि लाखों लोग बेरोजगार हैं, उस सवाल पर कोई तो प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हमलोग जब सचिव की नियुक्ति कर रहे हैं ......

अध्यक्ष : आप सारी सूचनायें माननीय मंत्री जी को दीजियेगा, उसमें वे देखेंगे कि उसमें क्या हो सकता है ।

श्री ललन पासवान : महोदय, सरकार तो मानवीय आधार पर ....

अध्यक्ष : अभी सरकार क्या कहेगी इसमें, आपको कह रहे हैं कि आप सूचना दीजियेगा, वे देखेंगे ।

श्री ललन पासवान : महोदय, यह दलपतियों की बात है, लाखों लोगों की भलाई की बात है ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं इसपर सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है, सप्लीमेंट्री पूछिए ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय से हम यह जानना चाहते हैं कि जब आप मानदेय के आधार पर कई ब्रांच जैसे विकास मित्र या कई चीजों को कर रहे हैं, कई लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो क्या आप ग्राम रक्षा दल के लोग जो रात में प्रहरी का काम करते हैं, गांव का सुरक्षा का काम करते हैं तो क्या उनको भी मानदेय के आधार पर रखने का विचार सरकार रखती है ?

अध्यक्ष : बताईए रखती है या नहीं रखती है ?

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : इस तरह का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-138(श्री शिवचन्द्र राम)</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट । माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम जी, आपने इसका उत्तर देखा है ?

श्री शिवचन्द्र राम : नहीं देखा है सर ।

अध्यक्ष : एक चीज माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, जैसे शिवचन्द्र राम जी का प्रश्न अभी है । होता क्या है विभाग द्वारा ऑनलाईन प्रश्न आने से, जैसा आपका प्रश्न है शिवचन्द्र जी, यह प्रश्न जब छपने चला जाता है, उस समय तक विभाग के द्वारा नहीं आता है, वैसे अभी इस प्रश्न का जवाब अपलोड कर दिया गया है, आपने नहीं देखा है तो मंत्री जी पढ़ देंगे, अच्छा होता अगर सब लोग देखकर आते तो जल्दी प्रश्न निष्पादित हो जाता ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, हमलोगों को तो नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : हम मिलने की बात कहां कह रहे हैं, अपलोड हो गया है ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अधीक्षण अभियंता,भवन अंचल, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक 2.2.2019 को किये गये निरीक्षण के उपरान्त उनके प्रतिवेदन के अनुसार भवन अंश 'क' के भूतल के छत की ढलाई पूर्ण हो चुकी है और प्रथम तल की छत की ढ़लाई की तैयारी प्रगति पर है । वर्कशोप की नींव का कार्य प्रगति पर है, चहारदिवारी निर्माण में ईट जोड़ाई कार्य एवं पलस्तर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है एवं कार्य प्राक्कलन के अनुरूप चल रहा है एवं प्रयुक्त किये गये सामग्री गुणवत्ता पूर्ण है ।

टर्न-4/शंभु/13.02.19

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, हमलोग प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र में हमलोग जाते हैं । जिस तरीका का भवन साढ़े 4 करोड़ की लागत से बन रहा है और किस तरह से पदाधिकारी और संवेदक के बीच में जो लूट है उसको देखने के बाद आपको अध्यक्ष महोदय लगेगा कि छत कितना दिन चल पायेगा, कितना दिन नहीं चल पायेगा ? अध्यक्ष महोदय, आप जाते भी हैं उसी रास्ते से और बाउन्ड्रीवाल देखियेगा तो वह जमीन के लेवेल के बराबर पर ही उसका बाउन्ड्री कर दिया गया है जिसका कोई तुक नहीं है । इसके बाद भी माननीय मंत्री जी अधीक्षण अभियंता के द्वारा जो इनको उत्तर बनाकर दिया गया है उसको पढ़कर बता रहे हैं । हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि क्या आप भवन निर्माण विभाग को छोड़कर दूसरी किसी एजेन्सी से उसकी जॉच कराने का विचार माननीय मंत्री जी रखते हैं ? भवन कहने का मतलब विभाग को छोड़कर । ये कहते हैं कि गुणवत्ता एकदम सही है और सबकुछ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्राक्कलन के हिसाब से नहीं हो रहा है । वहां काम करानेवाले एक दिन भी नहीं रहते हैं, जिस दिन छत ढला रहा था मैं उसी रास्ते से जा रहा था और जाकर देखा वहां एक इंजीनियर नहीं था, कोई नहीं था । यहां तक कि ठीकेदार का लोग भी वहां नहीं था, केवल विभाग का एक फोर्थ ग्रेड का आदमी था जिससे हम पूछे कि आप कौन हैं तो उसने कहा कि हम फोर्थ ग्रेड हैं । हमने कहा कि मुंशी वगैरह भी है तो कहा कि कोई नहीं है । यह भगवान भरोसे

हिन्दू होटल का सवाल नहीं है । हम चाहते हैं कि किसी एजेन्सी से इसका जॉच कराने का विचार रखते हैं क्या ?

अध्यक्ष : किसी वरीय अधिकारी से जॉच करा दीजिए ।

श्री सैय्यद अबु दौजाना : माननीय मंत्री जी, वहां पर स्पेशफिक जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया और उसके मुताबिक काम कर रहा है क्या ? स्ट्रक्चर के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है और राम भरोसे बिल्डिंग बन रहा है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हुजूर.......

अध्यक्ष : आप बीच में सीधे मंत्री जी से कैसे मुखातिब हो गये ? देखिए, भाई वीरेन्द्र जी नियम जानते हैं हुजूर, हुजूर कहकर हमको पूछ रहे हैं और आप बिना हमसे पूछे उधर मुखातिब होकर प्रश्न पूछने लगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हुजूर...

अध्यक्ष : हुजूर ।

श्री भाई वीरेन्द्र : इस राज्य में इस्टीमेट घोटाला हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है और जहां कहीं भी हो रहा है और उसमें आर0सी0पी0 टैक्स भी......

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी......

(व्यवधान)

अरे, आप इस योजना की जॉच मुख्यालय से मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से करा दीजिए ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : जी ठीक है, करा देंगे सर ।

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, विभाग को छोड़कर के किसी दूसरे एजेन्सी से जॉच करा दीजिए ।

अध्यक्ष : मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी जॉच करेंगे, करने दीजिए न ।

श्री शिवचन्द्र राम : नहीं सर, किसी दूसरे एजेन्सी से करवा दिया जाय न ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-139(श्री विजय कुमार खेमका)</u>

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, विषयांकित पथ नगर निगम के स्वामित्व में है, पथ निर्माण विभाग के अधीन नहीं है । तत्काल अभी अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव विभाग में लंबित नहीं है।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, ये जो सड़क है ये शहरी क्षेत्र में सिक्स लेन से 31 जो बाइपास सड़क हाइवे की है उसको जोड़ता है । यह बहुत लाइफलाइन सड़क है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूॅगा कि अधिग्रहण का भी कागज नगर निगम से गया हुआ है । इसलिए माननीय मंत्री जी इसको अगर अपने विभाग में अधिगृहित करके उस सड़क को बनवा देते हैं तो छात्र-छात्राओं और लाखों लोगों को उससे फायदा होगा । इसलिए आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी से पुन: आग्रह करूॅगा कि इस सड़क को पथ निर्माण से बनाने की ओर ध्यान दें ।

तारांकित प्रश्न सं0-140(श्रीमती कुन्ती देवी-अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-141(श्री रामदेव राय)

श्री दिनेशचन्द्र यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 आंशिक स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन भगवानपुर एवं बछवाड़ा प्रखंड में कुल 24 पुराने राजकीय नलकूप हैं । इसमें 6 नलकूप चालू हैं, 1 नलकूप विद्युत् दोष तथा 16 नलकूप संयुक्त दोष से बंद हैं, 1 नलकूप असफल हो गया है ।

खंड-2 आंशिक स्वीकारात्मक है । बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत अनुदान आधारित नलकूप किसान लगा रहे हैं ।

खंड-3 विद्युत् दोष से बंद 1 नलकूप तथा विद्युत् दोष दूर करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा विद्युत् कार्यपालक अभियंता से व्यक्तिगत रूप से तथा पत्राचार के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है । विभागीय संकल्प सं0-992, दिनांक-04.02.19 द्वारा सभी चालू एवं बंद नलकूप को चालू कराने तथा संचालन हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय विभाग ने लिया है । मरम्मति का खर्च विभाग द्वारा वहन किया जायेगा । विहित प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से बंद नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, सिर्फ मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ कि कितने दिनों से दोनों प्रखंड के राजकीय नलकूप बंद हैं ?

श्री दिनेशचन्द्र यादव,मंत्री : हम तो कहे कि जो नलकूप बंद है उसको चालू कराने की योजना बहुत तेज गति से हो रही है । चूंकि यह चालू नहीं हो पाता था इसीलिए पहले तय हुआ कि उस नलकूप को ठीक कराकर ग्रामीण स्तर पर जो लाभुक हैं उसको दे देने की बात थी, लेकिन उसमें शर्त्त था कि 10 हजार रूपया जो कमिटी लेना चाहती है उसको 10 हजार रूपया पहले देना पड़ता था, लेकिन वह व्यवस्था भी खतम हो गयी और जो नलकूप व्यक्तिगत रूप से हस्तांतरित हम करना चाहते थे उसमें ज्यादा गति नहीं हुई । इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसको ठीक कराकर पूरे पंचायत को सुपुर्द कर दिया जायेगा । इसके लिए भी डी0पी0आर0 बन गया है । वह पंचायत को जायेगा, पंचायत का काम है कि उस राशि का उपयोग करे, जल्द से जल्द ठीक करावे । उसको तकनीकी सहायता की जरूरत होगी तो विभाग के कार्यपालक अभियंता उसको सहयोग करेंगे । जैसे आप देखियेगा कि बेगुसराय में 112 नलकूप इस तरह के हैं, मरम्मति हेतु जो प्राक्कलित राशि है वह है 883.27 लाख और आवंटन भी दे दिया गया है 3 करोड़ 49 हजार रूपया । उसको आवंटन भी दे दिया गया है । हम समझते हैं कि गति बहुत पकड़ी है इस बात की और जल्द सारे नलकूप ठीक हो जायेंगे ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं ज्यादा नहीं केवल यह पूछना चाहता हूँ 20 वर्षो से बेगुसराय में सारे नलकूप बंद हैं पूरे जिला के और इस प्रखंड के, पूरे बिहार का भी सही बात है और मंत्री जी बहुत एक्टिव हो गये हैं मरम्मति कराके चालू करवाने के लिए तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि

इस वित्तीय वर्ष में ये बंद नलकूप चालू होंगे ? बस इतना ही जिससे किसान पटवन का काम ले सके ।

श्री दिनेशचन्द्र यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हर हालत में जो प्रश्न है रामदेव बाबू का ये कहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में यह चालू होगा सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद आचारसंहिता वगैरह लग जायेगा । उससे कुछ व्यवधान होगा, लेकिन इसके खत्म होने के हम तुरंत बाद इन सबको हम ठीक करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसमें तो आपने बताया है कि सरकार ने बेगुसराय जिला के लिए 883. 27 लाख की योजना स्वीकृत कर दी है । आपने बताया कि 3 करोड़ 49 हजार के आसपास राशि भी आवंटित कर दी है । उस योजना को अब क्रियान्वित करना है तो इसमें आचारसंहिता का क्या मतलब है ?

श्री दिनेशचन्द्र यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय....

श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि हमने ग्राम पंचायतों को यह जिम्मेवारी दी है तो मंत्री जी बतायें कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस तरह के सवाल आये कि हम ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करके चालू करायेंगे तो अभी तक कितना ग्राम पंचायत इसको टेकअप किया और कहां-कहां चालू हुआ ? माननीय मंत्री जी अवगत करायें कि कहां-कहां चालू हुआ ?

श्री दिनेशचन्द्र यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न बेगुसराय से संबंधित है उनके क्षेत्र से......

(व्यवधान)

अरे हमको कहने तो दीजिए । आप जवाब तो सुन लीजिए । आप प्रश्न का जवाब तो सुन लीजिए । अरे सब ठीक करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट सुनिए न । इसमें जो मंत्री जी कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं इसमें कहीं विरोधाभास तो है नहीं ! दोनों सही कह रहे हैं । सुन लीजिए न आलोक जी । आप भी सही कह रहे हैं कि यह पूरे राज्य का मसला है वह भी सही है........क्रमशः ।

टर्न-5/ज्योति/13-02-2019

क्रमशः

अध्यक्ष : लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि यह प्रश्न बेगुसराय से संबंधित है वह भी सही है लेकिन जवाब तो अभी बेगुसराय का देंगे न ? एक चीज और जान लीजिये बिजेन्द्र बाबू अलग से सूचना दे रहे थे कि जब आचार संहिता लागू भी होती है तो बेगुसराय पर नहीं लागू होती है यही बता रहे थे न आप ?

श्री रामदेव राय : महोदय, हम कुछ नहीं जानना चाहते हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, आपने खुद माननीय मंत्री जी से कहा कि आचार संहिता इसपर लागू नहीं होती है ।

अध्यक्ष : इसका मतलब है कार्रवाई जारी रहेगी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : इसका मतलब है कि सरकार का इन्टेंशन बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये आचार संहिता का बहाना लेकर इसको टालने की कोशिश हो रही है ।

अध्यक्ष : नहीं नहीं, बहाना क्या , सरकार ने जब पैसा दे दिया है तो आप देखिये कि जल्दी से क्रियान्वित हो जाय ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह वर्षों से लंबित योजना है ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, हमारा समाप्त नहीं हुआ है । प्रश्नाधीन...

अध्यक्ष : वह तो मंत्री ने कह दिया कि करायेंगे ।

श्री रामदेव राय : उनको कह दीजिये ।

अध्यक्ष : मंत्री जी इसको जल्द से जल्द क्रियान्वित करवाईयेगा ।

श्री दिनेश चंद्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रामदेव बाबू का जल्द से जल्द करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 142 (श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन)

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2013 में श्रम संसाधन विभाग के विज्ञापन संख्या आई0एन0एस0टी0 1/2013 दिनॉक 19-02-2013 द्वारा अंग्रेजी अनुदेशक के कुल 76 रिक्तियॉ के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ।

2- आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विज्ञापन में सामान्य कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 1 हजार रुपये एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित था । लिखित परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण हेतु रिक्तियों के तीन गुना अर्थात 225 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु बुलाया गया था । उल्लेखनीय है कि पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित अंग्रेजी अनुदेशक जिनका सेवा अवधि समाप्त हो चुका था के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 20957/2013 दायर किया गया था जिसमें दिनॉक 17-06-2014 को पारित न्यायादेश द्वारा संविदा से संबंधित नियोजन के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया फलस्वरुप नियुक्ति नहीं हो पायी । विदित हो कि महानिदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 1917/2010 सी0डी0 दिनॉक 15-4-2011 द्वारा रोजगार परक विषय प्रारम्भ किया गया जिसके पाठ्यक्रम में इंगलिश कौम्युनिकेशन, स्कील एवं इंगलिश प्रोफिसियेंसी के समाहित रहने के कारण अंग्रेजी

अनुदेशक के सभी पदों को प्रत्यर्पित करते हेतु इम्पलायब्लिटी स्कील अनुदेशक के कुल 184 पद सृजित किए गए हैं वर्तमान में अंग्रेजी अनुदेशक का पद अस्तित्व में नहीं है ।

3-उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित स्थिति के आलोक में नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कई बार इस तरह की जो चीजें हैं कि एन0जी0ओ0 कुछ ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले एन0जी0ओ0 नियुक्तियों का एडवर्टिजमेंट देते हैं और पैसा कमाऊ इन्सट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग उसमें एप्लाई करते हैं कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बिहार सरकार एक एक हजार रुपया ...

अध्यक्ष : प्रश्न में है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया गया है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : उनके द्वारा एप्लाई करवाया गया और एक एक हजार रुपया लिया गया और इतनी बड़ी राशि लेने के बाद बिना किसी योजना के बिना उसको इम्पलीमेंट करने के मतलब तीन वर्ष हो गए उसपर कहीं कोई विचार नहीं आखिर उसका रिजल्ट क्यों निकाला गया जबकि नियुक्ति नहीं करनी थी ?

अध्यक्ष : सरकार ने बताया कि ये अभ्यर्थी लोग हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए नियुक्ति का विज्ञापन रद्द कर दिया वह तो सरकार ने बताया तो अब क्या कहना चाहते हैं ?

श्री आलोक कुमार मेहता : जो एप्लाई किया वह गरीब पिछड़ा दलित ..

अध्यक्ष : वह तो प्रोसेसिंग हो रहा था, मंत्री जी इसको देखवा लीजियेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, देखवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या -143(श्री शमीम अहमद)</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि घोड़ासाहन शाखा नहर के बिन्दु 186.48 पर तियर नदी गुजरती है, जिसपर कैनाल एक्वाडक्ट सह एक पथीय पुल है, जिसके दायें भाग में सेवा पथ है । सेवा पथ पर आवागमन चालू है।

एक्वाडक्ट सह एक पथीय पुल के डाउन स्ट्रीम में बिन्दु 189.00 पर नहर में क्रौस रेगुलेटर बना हुआ है जिसको गेट से नियंत्रित कर घोड़ासाहन शाखा नहर के बिन्दु 185.40(दायां) से नि:सृत जुआफर माइनर बिन्दु 186.10(दायॉं) से नि:सृत मधुबन उप वितरणी, बिन्दु. 186.20 (दायॉं) से नि:सृत रामनगर माईनर एवं मधुबन उप वितरणी के बिन्दु 6.80 (दायॉं) से नि:सृत लखौरा उप वितरणी में आवश्यकतानुसार जलस्राव प्रवाहित कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

श्री शमीम अहमद :अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया कि सभी वितरणी में पानी जाता है लेकिन जबतक मेन कैनाल में पानी नहीं

आयेगा घोड़ासाहन और रक्सौल मेन कैनाल में पानी नहीं आयेगा तो उसका बंटवारा कैसे करेंगे तो मेरा सवाल यह है कि अभी इनरवाडोन से पानी लिया जाता है जो छौड़ादानों से लगभग 60 कि.मी. की दूरी पर है और बाढ़ जब भी आती हे तो बाढ़ में मेन नहर ही ध्वस्त हो जाता है । अभी दो साल से नहर धवस्त है तो मेन नहर ही जब ध्वस्त है तो वहाँ वितरणी से पानी आने का कोई सवाल नहीं है दूसरा पूरक यह है कि वहाँ आने जाने के लिए रास्ता भी है जो छोड़ादानो और बनकटवा को जोड़ती है पिछले 2014 में ध्वस्त हो गया था उसका एक पार्ट तो ग्रामीणों द्वारा चंदा करके उसपर लोहे का चदरा देकर....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न ?

श्री शमीद अहमद : जी, उसपर लोहे का चदरा देकर चालू किया गया जो अभी चालू है लेकिन वह कब ध्वस्त हो जाय तो सरकार कृषि के पटवन के मामले में क्यों इतनी उदासीन है मैं चाहूँगा कि वहाँ स्लुईस गेट बन जाय ताकि वहाँ से हम पानी दे सकते हैं । सारे वितरणी को हम पानी दे सकते हैं वहाँ स्लुईस गेट बनाया जाय और पुल बनाया जाय । यही मेरी मांग है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, यह तो टेक्नीकल चीज है स्लुईस गेट जब मैंने बताया कि एक्वाडक्ट वहाँ बना हुआ है और एक्वाडक्ट से जो तीनों डिस्ट्रीब्यूटरी है उसको हम रेगुलेट करते हैं उसमें माननीय सदस्य कहते हैं स्लुईस गेट, तो स्लुईस गेट जबतक टेक्नीकली फिजिबुल नहीं होगा उसकी संभााव्यता नहीं होगी तबतक बनवाना नहीं होगा, तब भी इसको एक बार फिर से वहाँ इंजीनियर भेज देंगे, देखवा लेंगे और अगर वहाँ स्लुईस गेट की आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर बनेगा और इससे काम चल जायेगा तो फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिला से संबंधित है । नि:सृत जल है महोदय, लखौरा के बारे में माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि लखौरा में नि:सृत जल जो आता है वह चलकर मेरे क्षेत्र में आता है और स्लुईस गेट नहीं होने के कारण । यह तो मैं सूचना के तौर पर ।.....

अध्यक्ष : राजेन्द्र जी, प्रश्न है स्लुईस गेट बनाने के लिए और मंत्री जी ने कहा है कि हम इंजीनियर भेज देंगे अगर वहाँ पर आवश्यकता होगी तो निश्चित बनवा देंगे तो इसमें आपका क्षेत्र है तो आपको भी खुशी मनानी चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, एक चीज मैं बतलना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को आज वह स्लुईस गेट निर्माण नहीं होने की वजह से मेरे क्षेत्र में जो जल नि:सृत होकर आता था आज मेरे क्षेत्र में किसी भी वितरणी में पानी नहीं होने के कारण किसान की फसल मारी जाती है इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ ।..

तारांकित प्रश्न संख्या 144 (श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

1-वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला से आने वाली सारण मुख्य नहर के बिन्दु 215.00 (अंतिम बिन्दु) से मढौरा शाखा नहर एवं पटेढ़ा शाखा नहर नि:सृत है । इन दोनों शाखा नहरों से जिला सिवान के प्रखण्ड लकड़ी नवीगंज एवं भगवानपुर हाट सहित सिंचित होने वाले कुल कृषि योग्य भूमि 16975 हे0 है ।

कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक इन दोनों शाखा नहरों के 10678 हे0 क्षेत्र में कच्चा सिंचाई नाली निर्माण कार्य एवं 4595 क्षेत्र में पक्का सिंचाई नाली निर्माण कार्य अर्थात कुल 15273 हे0 क्षेत्र सिंचाई नाली निर्माण कार्य पूर्ववर्ती गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा कराया गया है । शेष 1702 हे0 क्षेत्र में सिंचाई नाली का निर्माण कार्य कराया जाना है ।

वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CADWM) कार्यक्रम हेतु एक नयी योजना इंसेंटिवाईजेशन स्कीम फॉर ब्रिजिंग इरीगेशन गैप (ISBIG) प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत गण्डक नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र के शेष कृषि योग्य भूमि के लिए प्रक्षेत्र सिंचाई नाला निर्माण कराया जाना है ।

भारत सरकार के ISBIG योजना की स्वीकृति उपरांत शेष 1702 हे0 क्षेत्र में सिंचाई नाला निर्माण कराया जाएगा ।

टर्न-6/13.02.2019/बिपिन

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ा है, हमको लगता है कि इनके पदाधिकारी बंद कमरे में बैठकर, ए.सी. रूम में बैठकर यह रिपोर्ट तैयार किया है । मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, मेरा वह क्षेत्र है । इन्होंने गिना दिया इतना हजार हेक्टेयर में पानी की व्यवस्था होती है, नाला का निर्माण कराया गया है । अगर मेरा कहना गलत है कि नाला नहीं बना है, अगर प्रूव हो जाए तो मैं इस्तीफा लगा दूंगा, नहीं तो मंत्री जी ने जो भयानक प्रतिवेदन पढ़ा है, यह अगर सच साबित हो जाए तो क्या इस्तीफा लगाने के लिए तैयार हैं ?

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, आपने तो जो कहा है, मंत्री जी ने भी उसको माना है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: नहीं, मंत्री जी ने तो कहा है कि 2000 हेक्टेयर बाकी है सिंचाई का नाला बनाने के लिए ....

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि जो नाला बनना है उसकी योजना बन गई है और भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद, आप जो कह रहे हैं नाला बनाने के लिए, वह भी कर देंगे। कहां कह रहे हैं कि नाला ...

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: नहीं सर, ऐसी बात नहीं है ।

अध्यक्ष : वैसी बात नहीं है, वे बताए हैं आपको ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: उन्होंने जो भारत सरकार की चर्चाएं की है, उसके पहले उन्होंने कहा कि नाला बन गया है हेक्टेयर सिंचाई के लिए । मुझे कहना है कि नाला अभी एक प्रतिशत् भी नहीं बना है । यह जो रिपोर्ट है, गलत है । इसलिए मैंने कहा कि आप जांच कराइए। विधान सभा की कमिटी के मार्फत जांच कराइए कि नहर में पानी है और बगल का खेत सूखा हुआ है । यह कैसे जल संसाधन मंत्री हैं कि जिस तरह का यह प्रतिवेदन दिया जा रहा है वह तो किसान विरोधी है । ये कहें कि किसान मर जाए । सिंचाई की व्यवस्था करें ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप पूरक पूछिये ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: मैं पूरक पूछता हूं कि जहां नाला नहीं बने हैं, दोनों मुख्य नहरों में किसानों के हित में नाला बनवाने का विचार रखते हैं और रखते हैं तो कब तक ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, मैंने पहले बताया कि कई जगह बन गया। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं बना । मैं फिर से माननीय सदस्य को यह कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी एक सत्र में माननीय सदस्य इस तरह के सवाल उठाए थे और मैंने अभियंता को यह कहा था कि माननीय सदस्य को साथ ले जाकर जांच करिए और जांच में स्थल निरीक्षण पर इन्होंने हस्ताक्षर भी किया, तो वैसी स्थिति में फिर से मैं कह रहा हूं कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, हम एक सप्ताह के अंदर, सदन खत्म होगा 20 तारीख को, हम 20 से 25 के बीच फिर से वहां भेज देंगे अभियंता को और माननीय सदस्य को साथ ले जाकर स्थल निरीक्षण करा देगा । बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: और, दूसरा जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनके अधीक्षण अभियंता गए थे, जांच किए हमारी उपस्थिति में, हमारा दस्तखत भी कराए हैं, सरासर असत्य बात है ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इसकी भी जांच करा देंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सत्यदेव बाबू, मंत्री जी, अब ये कह रहे हैं हमारा हस्ताक्षर नहीं कराया था...

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: इसकी भी जांच करा देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उन्होंने बोल दिया, टाईम बोल दिया, आपने सुना नहीं ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या: 145 (श्री रविन्द्र सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । सोन नदी अवस्थित इन्द्रपुरी बराज पर जल की उपलब्धता एवं इसके आधार पर निर्मित पूर्वी एवं पश्चिमी नहर प्रणालियों के निर्धारित कमांड क्षेत्र को देखते हुए प्रश्नगत् नहर का निर्माण तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं है ।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पटना कैनाल के बगल से यह नहर निकलती है पइन के रूप में और मैं समझता हूं कि जितना यह पटवन कर पाता है और जितना पानी का बर्बादी करता है, अंतिम तक तो पहुँचता ही नहीं है । बीच में जो क्षति होता है, अभी रब्बी के पटवन में क्षति हो रही है, टूट-टूट कर सब बर्बाद हो रहा है । मैं चाहता हूं कि उसको पक्कीकरण करा दिया जाए तो आइंदे से, चाहे खरीफ फसल भी बढ़िया सेस हो जाएगा और उसमें भी मिलेगा प्रचुर मात्रा में पानी और रब्बी के पटवन में भी प्रचुर मात्रा में समय पर पानी मिलेगा और बर्बादी नहीं होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से ...

अध्यक्ष : किस चीज के लिए ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभी कह रहे हैं, माननीय सदस्य का सवाल है नहर के निर्माण का, तो मैंने कहा कि नया नहर का निर्माण, अभी जो हमारा इंद्रपुरी बराज में जो कमांड एरिया है, उससे नहीं संबंध है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं माननीय सदस्य कि रब्बी का जो पटवन हो रहा है उसमें पानी बर्बाद हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले यह हो रहा था कि रब्बी का पटवन ही नहीं हो रहा है तो सोन एरिया में जब टेल-इंड तक पानी पहुंच रहा है, अभी खुद ही माननीय सदस्य कह रहे हैं, तब यह समझ लीजिए ।

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बात आई है, जो नहर बनाना है, मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश बाबू गए थे, उस समय भी घोषणा किया था इस बात का, हल्दिया से निकाल कर पटवन नहीं हो पाता है । नहर का यह पिछला हिस्सा है । यह क्षेत्र असिंचित रह जाता है, वंचित, इसमें नाला है लेकिन उसमें नहर अगर खुदवाया जाता है, पइन खुदवाया जाता है, इसका यह मामला है और इसका पक्कीकरण होना चाहिए और जितनी नहरें हैं, उप वितरणी, सबका हालत खराब है और यह जो है, अगर बन जाता है तो इमामगंज रजवाहा का पिछला हिस्सा यानी कुबरी से लेकर बबई से लेकर ग्राम नीचे तक हमारा जो है इमामगंज तक पटवन होगा । इसको निर्माण कराने के लिए कृपया दिया गया है, यह मैं चाह रहा हूं आपसे ।

अध्यक्ष : वह सब अलग से दे दीजिएगा, मंत्री जी दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 146 (श्री मोहम्मद नवाज आलम)

अध्यक्ष : इन्होंने अधिकृत किया है, पूछेंगे सुदामा प्रसाद जी ।

श्री सुदामा प्रसाद : पूछता हूं ।

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री: महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । विभाग के नियंत्रणाधीन जिला स्तर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी, व्याख्याता एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों का तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित पदाधिकारियों का समय-समय पर स्थानान्तरण किया गया है । प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज कार्यालय, जिला पंचायती राज कार्यालय एवं मुखिया, सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत लिपिकों, चालक एवं कार्यालय परिचारी का सेवा नियमावली का गठन नहीं होने तथा कार्यरत बल अति न्यून होने के कारण कार्मिक का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं किया गया है । पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिक संवर्ग भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2018 अधिसूचित की जा चुकी है । आगामी जून माह तक पदस्थापन की समीक्षा के उपरांत लम्बे समय से एक ही कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाएगा ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप वह सूचना दे दीजिएगा मंत्री जी को ।

कार्य-स्थगन सूचना

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 फरवरी, 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं -

एक, श्री सत्येदव राम एवं श्री महबूब आलम और दूसरा, श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री समीर कुमार महासेठ ।

माननीय सदस्यगण, आज सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 6(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय.....

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर सवाल है । कम-से-कम किस बाबत था यह कार्य-स्थगन, उसको तो पढ़ने दिया जाए महोदय ।

महोदय...

(व्यवधान)

टर्न : 07/कृष्ण/13.02.2019

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम को पढ़ने दीजिये । उनका पहले है ।

श्री सत्यदेव राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में अपराध, दलित, गरीब एवं महिलाओं पर हमले, मॉबलिंचिंग की घटनाएं आम होती जा रही है । अररिया में पिछले दिनों गाय की चोरी का आरोप लगाकर तथा उन्हें बंगलादेशी घुसपैठी बताकर काबुल मियां की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी ।

महोदय, आज पूरे सीमांचल को भाजपा, आर0एस0एस0 द्वारा साम्प्रदायिक उन्माद में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है । इसके पहले भी राज्य के विभिन्न इलाकों से भी हत्या के मामले उजागर हुये हैं । सरकार तथा विभाग द्वारा कानून के शासन की दुहाई दी जाती है बावजूद प्रत्येक दिन लगभग 7 से 8 हत्यायें हो रही है । महोदय, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आई0पी0एस0 अधिकारी श्री अमिताभ कुमार दास रणवीर सेना के निशाने पर हैं और उनकी जान को गंभीर खतरा है । बलात्कार की घटनाओं में कोई कमी नहीं आयी है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, विगत दो-तीन वर्षों से देखा जा रहा है कि राज्य में पिछड़े, अतिपिछड़े, अनुसूचित जाति ...

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, ये आपको पढ़ने दिये और आप इनको पढ़ने से रोक रहे हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, राज्य में पिछड़े, अतिपिछड़े, अनुसूचित जाति वर्गों के लिये संविधान प्रदत्त आरक्षण पर सरकारी तंत्रों द्वारा चहुंओर से प्रहार करते हुये इसे निष्प्रभावी बनाने का कुचक्र चल रहा है । इन वर्गों के लिये आरक्षण देने के लिये प्रावधान, संकल्प, नियम, अधिनियिम की सही विवेचना किये बिना प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं करने की कोशिश हो रही है । इन प्रावधानों के क्रियान्वयन किंतु, परंतु एवं अन्य अवरोधों को खड़ी कर जान-बूझकर इन वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण से वंचित कर समाज के पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी वर्ग के पूर्व से प्रावधानित संवैधानिक अधिकारों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है ।

अध्यक्ष : अब शून्य काल ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, उदाहरणस्वरूप विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में 200 बिन्दु के रोस्टर के स्थान पर 13 बिन्दु रोस्टर का प्रावधान किया गया, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति का मार्ग प्रभावी रूप से बंद करने का षडयंत्र है ।

शून्यकाल

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार यादव ।

श्री विनोद कुमार यादव : गया जिला अंतर्गत शेरघाटी बस स्टैंड से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य की बसें खुलती हैं । बसें काफी जर्जर स्थिति में है। यात्रियों को काफी कठिनाई हो रही है । यात्रियों की सुविधा होती सुविधायुक्त अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आकर बोलने लगे)

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत प्रधानाध्यापक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मध्य विद्यालय, बाढ़ के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आधार पर प्रपत्र-क गठित होने के बाद भी शिक्षा पदाधिकारी के कारण न कार्रवाई की जा रही है और न उनका स्थानान्तरण ही किया जा रहा है । मैं कार्रवाई की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता ।

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-8/अंजनी/दि0 13.02.2019

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद अब प्रारंभ होगा और आज सरकार के उत्तर तक सदन की कार्यवाही की अवधि विस्तारित रहेगी ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, 11 फरवरी, 2019 को संयुक्त अधिवेशन के दौरान बगल में जो ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल था, उसमें महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और फिर इनके भाषणोपरांत सभी माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये भाषण को वितरित किया गया । मुझको तो लग रहा था, जब लोगों ने कहा कि विस्तारित भवन में आज ऐतिहासिक पल है तो मुझे ऐसा अहसास जरूर हुआ था कि जब ऐतिहासिक पल है तो ऐतिहासिक भाषण होगा । हालांकि जो भाषण महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा दिया जाता है, वह तो सरकार के द्वारा ही तैयार किया जाता है और उसी को महामहिम राज्यपाल जी अनुमोदित करके पढ़ते हैं । 14 पेज का महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है और डेढ़ से दो पन्ना महामहिम राज्यपाल जी ने पढ़ा और लगता है अन्तोगोत्वा उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अब ये अगर पूरा भाषण हम पढ़ देंगे तो जो राज्यपाल पद की जो गरिमा है, उसपर भी प्रश्नचिन्ह उग जायेगा । इसलिए उन्होंने डेढ़ से दो पेज.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिए, आप इधर देखकर बोलिए । माननीय सदस्य सिद्दिकी साहेब आप इधर देखकर बोलिए । माननीय मंत्री जी बीच में टोका-टोकी नहीं करिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं तो यह अपेक्षा करता था कि माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब दोबारा एन0डी0ए0 में शामिल हुए, एन0डी0ए0 से निकले थे, महागठबंधन में शामिल हुए थे, फिर वे गये एन0डी0ए0 में, जो भी परिस्थिति बनी हो, मगर यह है कि देश में ये मैसेज जरूर है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग भी किये हैं तो यह संदेश जरूर है देश में कि जुगारू टेकनॉलोजी में इनसे बड़ा मास्टर कोई दूसरा नहीं है । जब वे दोबारा शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत असहज स्थिति में था और हमलोगों से सीनियर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीति के क्षेत्र में और बहुत इज्जत की दृष्टि से इन्हें हमलोग देखते रहे हैं । वह इस वजह से भी कि समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि से इनका लालन-पालन हुआ और उसी को लेकर

आगे बढ़े । कर्पूरी ठाकुर को भी अपना आदर्श मानते हैं, समाजवादी किशन पटनायक जी के साथ भी रहे, फिर हम सबों के आदरणीय नेता महान समाजवादी जार्ज फर्णांडिज साहेब के भी बहुत करीब रहे । यानी कि समाजवादियों में हमलोगों का थोड़ा कम योगदान होगा, मगर नीतीश जी का योगदान नेताओं के साथ, फलानों के साथ बहुत अच्छा रहा है और मुझको लगता था कि ये जब आये हैं तो चाहे कमजोर तबका का सवाल हो, साम्प्रदायिक सद्भाव का सवाल हो, देश की एकता एवं अखंडता का सवाल हो, कोई संगठन या पार्टी के द्वारा वैमनस्यता फैलाने का सवाल हो, इन सवालों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई समझौता नहीं करेंगे । उस वक्त उन्होंने कहा था कि असहज स्थिति महसूस हो रही थी, अगर असहज स्थिति थी तो इस्तीफा दे देते, दो रोज आप वेट करते तो गठबंधन के लोग फिर आपके पास आते और कहते कि असहज स्थिति में क्यों हैं ? अगर बात मान जाते तो ठीक, मगर एक घंटे में जिस तरह का एपिशोड हुआ, उससे लगा और साधारण आदमी को भी लगता है कि साहेब पूर्वनियोजित कार्यक्रम था और पूर्वनियोजित कार्यक्रम में इन्होंने पहले ही तय कर लिया था, खैर अब उन बातों को दुहराने और जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। मगर कम-से-कम जो व्यक्ति रिजर्वेशन का समर्थक रहा हो, जो व्यक्ति पिछड़ा, दलित, महादलित का एक तरह से उन्नत करने का सपना देखता हो, आज देश में जिस तरह से रिजर्वेशन का भठ्ठा बैठाया जा रहा है, उसमें चाहे विपक्ष के लोग हों, अगर वे उद्वेलित हों या न हों, मगर मैं अपेक्षा करता था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जरूर इसपर आगे बढ़कर बोलेंगे। चूंकि सरकार में आदमी रहता है तो शोहरत तो बड़ी होती है, अब कल ही वित्त मंत्री कह रहे थे कि अब तो हम चाईना, अमेरिका और जापान के समानान्तर खड़े हो गये हैं। आपके इस स्टेटमेंट से बिहार के लोग, देश के लोग हंसेगे ही, अरे उतने ही पीठ ठोकिए, जिससे बहुत दर्द न हो । मगर ऐसा है कि हमलोग कहते हैं कि जो निपुतर औरत होती थी, निपुतर का मतलब, जिसको कोई पुत्र नहीं होता था, बांझ, अगर गलती से उसको कोई बच्चा मिल जाय तो वह उसको इतना चुमने लगती थी कि चुमते-चुमते ही बच्चे को मार देती थी । अब शोहरत है, अमेरिका, जापान और चीन के......

(व्यवधान)

चूंकि आपने छेड़ दिया, हम नहीं चाहते हैं, हम आपसे दूर रहते हैं । मगर दरभंगा की जो कहावत है, वह यह है कि हालांकि यह हमारे ख्याल से असंसदीय नहीं है...

अध्यक्ष : आप सतर्क रहिए, आपको वे फंसा लिए, आप इधर देखिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : फिर भी, हम जिस हद तक फंसे, उससे हम निकल जायेंगे । तो मिथिला में एक कहावत है कि थेथरा रे थेथरा की करई छी, लात-जूता खाइ छी नीक रहै छी । यही है आपका । अब रही बात शोहरत का, शोहरत तो है, मगर कल वित्त मंत्री, भूमिका में वित्त मंत्री कम थे और शेरो-शायरी में ज्यादा थे और जिनका वे विरोध

करते हैं, उन्हीं का शेर वगैरह पढ़ रहे थे और उद्धरण भी दे रहे थे । मैं आप लोगों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि बहुत मशहूर उर्दू के शायर हैं बसीर बद्र, उनका दो लाईन का एक शेर है – शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो, वह टूट भी सकती है । अब इन्तजार कीजिए कि यह अवसर कब आयेगा ? मगर चूंकि, आज जिस तरह से यूनिवर्सिटी में आरक्षण को एक तरह से समाप्त करने की स्थिति पैदा हो गयी है, पुराना आरक्षण नीति और नया आरक्षण नीति, यह इंडिया टूडे के फर्स्ट पेज पर उदाहरण देकर बनारस यूनिविर्सिटी के बारे में उन्होंने छापा ।

...क्रमश:..

टर्न–9/राजेश/13.2.19

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, क्रमश: कि जो इसमें ओल्ड फौर्मूला के अनुसार से इसमें जो भैकेंसी थी 253 तो इसमें जेनरल कैटेगिरी के आते थे 197, एस0सी0 के आते थे 38, एस0टी0 के आते थे 18, ओ0बी0सी0 के आते थे जीरो, उसीतरह से एशोसिएट प्रोफेसर में 528 में 410 जेनरल, 79 एस0सी0, 39 एस0टी0, ओ0बी0सी0 जीरो उस वक्त, मगर अभी जो नया फौर्मूला बना है, उसके हिसाब से 253 पोस्ट में अब जेनरल होगा 250 और एस0सी0 होगा मात्र 3, एस0टी0 होगा जीरो, ओ0बी0सी0 होगा जीरो । महोदय, मैं इस वजह से मैं जरुर यह अपेक्षा करुंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि कभी न कभी जो आपका बुनियाद है, वह झकझोरेगा जरुर और वह जब झकझोरेगा, कहॉं कोई आदमी जो 10 प्रतिशत आरक्षण हुआ उच्च जाति का, उसका किसी ने विरोध किया, बहुत हद तक नहीं विरोध किया तो यह कंडिशनल इसलिए कहा कि जो रिजर्वेशन सुविधा मिला था पिछड़ी जाति को, एस0सी0 को, आप पिछड़ी जाति को ही मानकर चलिये, मंडल कमीशन लेकर या यहॉं पिछड़ी जाति, अत्यन्त पिछड़ी जाति को मिला था, तो उसके आधार पर विजेन्द्र बाबू खुद ब खुद जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री कि जब आरक्षण लागू किया गया था तो कर्पूरी ठाकुर को क्या–क्या नहीं सुननी पड़ी थी और जब आप सामाजिक न्याय पुरोधा और लड़ाई लड़ने वाले बनियेगा तो आप यही समझ जाइये कि जितने दिनों के लिए आप सरकार से हटे थे, जिनके साथ आप गये हैं, उनकी क्या–क्या वाणियॉं निकलती थी, तो हम जरुर चाहेंगे कि जब भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा समाप्त की जा चुकी है, संविधान में संशोधन हो चुका है तो मैं चाहता था, अपेक्षा करता था कि माननीय मुख्यमंत्री जरुर किसी न किसी स्तर पर यह कहेंगे कि सरकार जो जनगणना रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक करके जनगणना के अनुसार सामान्य जाति का भी, पिछड़ी जाति का भी, अत्यन्त पिछड़ी जाति का भी और एस0सी0 और एस0टी0 के आरक्षण की व्यवस्था किया जाय..........(व्यवधान)

अध्यक्ष: इन्हें बोलने दीजिये । सिद्दिकी साहब आप हमारी ओर मुखातिब होकर बोलिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: ज्ञानू जी तो बहुत ज्ञानी है जब नीतीश कुमार जी को भी छोड़कर छड़प गये थे भारतीय जनता पार्टी के साथ और वे हमलोगों से मिल करके क्या-क्या कहते थे वह सार्वजनिक करने की जरुरत नहीं है । इसलिए उन बातों का यहाँ जिक्र न करें ।

महोदय, उसी तरह 13 बिन्दु के जो रोस्टर है, उसको राज्य में लागू नहीं किया जायेगा, मैं अपेक्षा करता हूँ और पूर्व की भाँति 200 बिन्दु लागू करने की दिशा में प्रयास किया जायेगा, विभाग को यूनिट न मानकर विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर रोस्टर तैयार किया जाय यह हमारी इस सरकार से अपेक्षा है । आगे मुझको यह कहना है महोदय कि राज्य में बैकलॉक नियुक्तियों को अनारक्षित करने की परम्परा को खत्म की जायेगी, कि निजी सेक्टर वी0सी0 डीम विश्वविद्यालय के पदों पर नियुक्ति एवं नामांकन में आरक्षण नियमावली लागू की जायेगी कि राज्य में पदस्थापित प्रशासनिक एवं गैर प्रशासनिक सभी तरह के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को जातीय आधार पर तंग तबाह नहीं किया जायेगा, खासकर प्रखंड में पदस्थापित बी0डी0ओ0/सी0ओ0 एवं कर्मचारी को नियमानुसार कार्य करने की छूट दी जायेगी, कि राज्य एवं केन्द्र में एक ही गठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि हम तो बिहार के विकास के कारण जो है, हमको यह मेल करना पड़ा है, तो आपको स्मरण होगा अध्यक्ष जी कि हमलोगों ने इसी सदन में सर्वसम्मति से विशेष राज्य का दर्जा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, उसका हश्र क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं बोलेंगे लेकिन कम से कम जदयू के लोग तो बोले और जदयू की तरफ से करोड़ों करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर दिया गया महामहिम को, अब फिर जब देश के प्रधानमंत्री इस राज्य में आये, तो उन्होंने बोली लगायी बिहार की जनता के सामने कि तुम्हें इतना का पैकेज दे दूं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं इतना नहीं इतना दे दूं, फिर कहा कि इतना नहीं इतना दे दूं और अन्ततोगत्वा कहा उन्होंने कि जाओ एक लाख 25 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को दिया गया, इसके बारे में कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण में होना चाहिए था कि विशेष राज्य का दर्जा, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और सबों ने, हमलोगों ने एक होकर यह बातें कही है, इसलिए इसपर पार्टी पऊआ नहीं बल्कि स्टेट को स्पेशल कैटेगिरी का दर्जा मिले, इसके लिए हम सब एक मत है और आगे भी रहेंगे । महोदय, कि राज्य की योजनाएँ समय पर पूर्ण नहीं हो रही हैं, योजनाएँ समय पर पूर्ण नहीं होने से क्या होता है महोदय, कि मान लीजिये कि एक योजना को पूरा करना है एक साल में और उसकी लागत ऑकी गयी एक करोड़ रुपया और वह छः साल में बनता है तो क्या होता है कि एक्सीलेशन चार्ज बढ़ जाता है तो वह राशि जो जाती है तो उसको कम करने के लिए हर हाल में जिसका जो तिथि निर्धारित है, उस तिथि में होना चाहिए महोदय । राज्य की योजनाएँ समय पर पूर्ण नहीं हो रही हैं, फिर मुख्यमंत्री 7 निश्चय

योजना जब गठबंधन की सरकार लायी थी, है न श्रवण जी याद, जिनके साथ आप उधर बैठे हैं वे इधर बैठकर क्या कहते थे, खैर उन बातों को छोड़िये, अभी आपको वह बातें याद नहीं रहेंगी, फिर भी इसमें जो लूट-खसोट हो रहा है, उसे रोका जाय । महोदय, मैं तो जान बूझकर प्वायंट वाईज ही बोलना चाहता हूँ कि राज्य में वर्तमान सरकार के समय में लगभग 40 से अधिक घोटाले उजागर हुए हैं, जिसमें अरबों रुपये की लूट की गयी है, उस घोटाले में संलिप्त पदाधिकारियों, सफेद पोशों पर सख्त कार्रवाई करते हुए संलिप्त पदाधिकारियों, सफेद पोश से संपत्ति की राशि वसूल की जाय, कि राज्य सरकार द्वारा संचालित बालिका गृह में हो रही सांस्थिक बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत करने संबंधी घटना पर दोषियों पर शीघ्र सख्त कार्रवाई की जाय । महोदय, अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय मोनेटरिंग कर रही है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का, अगर हमारी सरकार होती और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इतना कड़ा स्ट्रक्चर आता ।

क्रमशः

टर्न-10/सत्येन्द्र/13-2-19

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (क्रमशः): तो समझिये क्या नहीं होता, जंगल राज है, महाजंगल राज है, डूब मरो पानी में वगैरह वगैरह, जो भी विशेषण देना होता देते लोग, मगर धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट को जिस पर हमलोगों को यकीन है । सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत कड़ाई से मोनेटरिंग करना शुरू कर दिया है और मुझको नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ लोग बचने वाले हैं और मोदी जी यहां बैठे हुए हैं, नागेश्वर राव..

(व्यवधान)

हम कहां बोले, मैंने नहीं कहा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं तो ये आप बतलाईयेगा कि आपके किस तरह के निकट रिश्तेदार हैं,समझे कि नहीं । आप ही बैठे बैठे बोल रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, मैंने इसका जिक्र भी नहीं किया ।

अध्यक्ष: रिश्ते दूसरे भी होते हैं लेकिन वे तो बैठे बैठे बोले थे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, बैठे बैठे बोले, मगर वह मेरी कानों तक आ गयी, आपके कानों तक चली गयी तो ..

अध्यक्ष: फिर आप इधर देखिये न, कहां फंस रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: मंत्री को समझाईए । मैंने कभी नहीं कहा हमने कहा कि इस पर वे उठकर बोलेंगे तो बैठे बैठे बोले । अब महोदय जो घटना घटी, हमारा दायित्व क्या है हमारा दायित्व है, सरकार की कमियों को जनविरोधी नीतियों को और किसी भी तरह का जुल्म या प्रहार हो रहा है, उसको उजागर करना उसका प्रतिकार करना और डेमोक्रसी की यही सबसे बड़ी खूबी है और जब हम बोलते हैं सरकार के विरोध में तो इसको कभी व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है । महोदय, कानून व्यवस्था

कायम करने हेतु भूमि सुधार, सामाजिक सुधार किये जायेंगे एवं अन्य विश्वास जातिवाद और सम्प्रदायवादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से लागू किया जायेगा साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक उन्नयन हेतु कार्य किये जायेंगे ।

कि सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता के आन्दोलन से कमजोर और अभिवंचित वर्गों में आयी सामाजिक राजनीतिक चेतना को विकसित करने और उसे मूर्त्तरूप देने का ठोस कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

कि ग्रामीण क्षेत्र के खेतिहर मजदूरों और अन्य पेशागत समूहों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । राज्य में अविलम्ब खेत मजदूरों और असंगठित मजदूरों के शोषण को रोकने और उन्हें बेहतर जिंदगी जीने हेतु कारगर कदम उठाये जायेंगे । चूड़ीवाल, मछुआ, चौरसिया, कामगार एवं रंगरेज भाईयों को उनके आर्थिक विकास के साधन दिये जायेंगे । कुछ योजनाएं चल रही है उसमें भारी लूट मची हुई है, उसे रोका जायेगा ।

कि प्रदेश को जाति और सम्प्रदाय की राजनीति से मुक्त किया जायेगा । सामाजिक सामंजस्य एवं सामाजिक समरसता के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं धर्म निरपेक्षता को सही स्वरूप में कार्यान्वित किया जायेगा ।

कि आज तक प्रदेश के गौरवमय इतिहास का आंशिक ही उद्‌भेदन किया जा सका है । आज भी राज्य के वैसे अनेकों गढ़ जो इतिहास को छिपाये हुए है, उन्हें उजागर किया जायेगा तथा इन गढ़ों का नाजायज तरीके से अतिक्रमण से मुक्ति तत्काल दिलायी जायेगी ।

कि जी0एस0टी0 के कारण छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को हो रही घाटे की भरपाई राज्य सरकार करेगी ।

कि शेड सहित नये श्मशान घाट, एक बार मैंने क्वेश्चन भी किया था यहां उपमुख्यमंत्री बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि कराया जायेगा मगर अबतक हिन्दू भाईयों के श्मशान घाट का चाहरदिवारी के निर्माण कराने का कोई कार्यक्रम नहीं है जिसे कराया जाये ।

महोदय, काम के अभाव में बिहार से युवाओं एवं मजदूरों का भारी संख्या में राज्य से बाहर पलायन हो रहा है जिस पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रभावी कार्यक्रम बनायेंगे ।

कि महत्वपूर्ण पदों पर भी अल्पसंख्यक, दलित, महादलितों एवं अति पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जायेगा ।

कि टी0ई0टी0 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जायेगा ।

कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ एम0एस0डी0पी0 की राशि को ससमय खर्च किया जायेगा ।

कि अलग से वस्त्र मंत्रालय एवं बुनकर आयोग का गठन किया जायेगा । साथ ही नयी प्राथमिकता हस्तकरघा बुनकर सहयोग समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। बुनकरों के कल्याणार्थ पूर्व में गठित हस्तकरघा निदेशालय को पुर्नगठित किया जायेगा ।

कि हस्तकरघा बुनकरों को आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान किया जायेगा एवं अस्पतालों में यूनिफार्म, परदा, गौज एंड बैंडेज इत्यादि हस्तकरघा बुनकरों से क्रय किया जायेगा । हस्तकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ हस्तकरघा निर्मित जनता धोती-साड़ी योजना लागू किया जायेगा ।

कि बंद पड़ी सूत मिल को चालू किया जायेगा एवं बिहारशरीफ, भागलपुर, नवीनगर एवं मधुबनी में क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग समितियां लि0 को खाली पड़ी जमीन को हस्तकरघा कम्पलेक्स बनाते हुए पर्यटन सर्किट से जोड़ा जायेगा । खादी ग्राम उद्योग को सक्रिय जायेगा एवं भागलपुर सिल्क इंस्टीच्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जायेगा ।

कि बुनकरों को मिल की दर पर धागा सीधे उपलब्ध कराया जायेगा और उनके बनाये कपड़ों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए बिहार के निर्यातकों को प्रोत्साहन किया जायेगा ।

कि सिल्क सूत के सस्ते मूल्य पर सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेशम कीट एवं ऊनी कंबल चादर बुनने के लिए भेड़ पालन को बढ़ावा दिया जायेगा ।

महोदय, अगर आप मेरा यह 100 बिन्दु का है, पढ़ा हुआ मान लीजिये तो हम आगे बढ़ते हैं ?

अध्यक्ष: हां, पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा । चलिये, पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: इसको मैं दे दूंगा ।

अध्यक्ष: दे दीजियेगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: यहां पर दे दूंगा ।

अध्यक्ष: अब पांच मिनट में..

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: मुझको तो चालीस मिनट बोलना है महोदय ।

अध्यक्ष: ठीक है तो बोलिये, आधा घंटा बोल चुके हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अब सरकार, सुशासन की सरकार जो कहती है हमारा एजुकेशन रोशियो ये है, हमने जो है अब यहां बैठे हुए सुशील मोदी जी छात्र नेता रहें और साईंस कॉलेज के मेधावी छात्र थे, पता नहीं इधर कभी वहां गये कि नहीं, साईंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना कॉलेज, बी0एन0 कॉलेज ऐसे लब्धप्रतिष्ठित संस्थान थे, आज वहां कितने टीचर हैं, जो पटना विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से एक माना जाता था और डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जैसे लोग वहां के छात्र रहें और अब महोदय क्या हो गया है। अब जहां इस पर बात कीजिये, जहां कुछ सवाल उठायेंगे तो ये कहेंगे, ना ना यह तो सारी

व्यवस्था आपलोगों को गड़बड़ाया हुआ है, हमलोग तो उसको दुरूस्त कर रहे हैं । अरे भईया, कब दुरूस्त करोगे, क्या मतलब आपको 50 साल दिया जाये, 20 साल दिया जाय, 25 वर्ष दिया जाय, कितना साल दिया जाय, यही आप बतला दीजिये । अब महोदय, एक सर्कुलर शिक्षा के प्रधान सचिव ने जो जारी किया है अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को, वह सरकार को आंख खोलने के लिए काफी है, उसमें उन्होंने लिखा है, इसका भी मैं कॉपी यहां दे दूंगा । महोदय, इसमें उन्होंने लिखा है, शैक्षणिक सत्र के माह अप्रैल, नामांकन की तिथि से सितम्बर की अवधि में छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत का प्रावधान है, मगर इसमें है कितना, इन्होंने जो सर्वे कराया है, उसके आधार पर इन्होंने लिखा है, 16 अगस्त, 2018, 27 अगस्त 2018, 1 सितम्बर, 2018, 11 सितम्बर, 2018, 15 सितम्बर, 2018 एवं (क्रमशः)

टर्न-11/मधुप/13.02.2019

....क्रमशः...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : 27 सितम्बर, 2018 को कराए गए निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की औसत उपस्थिति लगभग 28 प्रतिशत ही है । अब जब 28 प्रतिशत है तो 75 प्रतिशत के लिए जो सुविधा जाती है, वह कहॉं जा रहा है ? यह पत्र मैं प्रोसिडींग का पार्ट बना दूॅंगा ।

महोदय, एक निर्णय इन लोगों ने लिया और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई थी और इसमें बिहार शिक्षा परियोजना के संजय सिंह के द्वारा जो बैठक हुई, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत के अन्तर्गत अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रगति के संबंध में सर्वेक्षण हेतु परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में है । अब सरकार यह बतायेगी कि किन निजी विद्यालयों में जैसे- नैट्रो डैम है, सेंट जोसेफ है, सेंट माइकल है, वगैरह-वगैरह, जिसमें जाने से लड़का बूझता है कि हम एलिट क्लास के हैं, अब उस एलिट का कम्पटीशन है, जिस विद्यालय और महाविद्यालय में एक शिक्षक है, उससे । यह सरकार का लिया गया निर्णय है सर्वेक्षण कराने का, उसको लागू किया जाय ।

महोदय, अब जो पॉलिसी एण्ड रूल फोर सेटलमेंट ऑफ गैर-मजरूआ मालिक, खास और गैर मजरूआ आम लैंड है, उसमें जो इस्टीमेटेड है, उसमें इन्होंने निर्णय लिया कि इतने लाख का वितरण किया जायेगा । मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि सरकार जब उत्तर दे तो जो दलित हैं, महादलित हैं, गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उनको जमीन देने की क्या कार्रवाई की गई है, इसके बारे में भी बताये ।

महोदय, इसके साथ-ही साथ, सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण के आधार पर 65,464 परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध करा दी गई है, जैसा सरकार का कहना है । मगर कितना में ? 1,11,038 में । महोदय, उसको देख लिया जाय ।

महोदय, एक चीज की बड़ी चर्चा होती है, खास करके मीडिया वाले भी, आजकल तो मीडिया के बारे में भी बहुत तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि अगर आपको अपने पार्टी का किसी को कुछ बनाना है तो उसके लिए अनुबंध कर सकते हैं, मगर हमलोगों की सरकार के टाइम में कहते थे कि जंगल राज, हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक डकैती, वगैरह-वगैरह, कहते थे । अब चूंकि यह सरकार का आंकड़ा है, अब कहेंगे कि आपके टाइम में दर्ज नहीं होता था । अब यह चीज तो हम भी कह सकते हैं कि आपके टाइम में कम दर्ज हो रहा है । मगर महोदय, 2005 में टोटल कॉगनीजेबुल क्राइम था 1,04,778, अभी नवम्बर, 2018 तक, यह पूरा नवम्बर का आंकड़ा नहीं है, इसमें है 2,41,502 । अगर यह शिक्षा दी गई है आपको कि 2,41,502 कम होता है 1,04,778 से तो यह शिक्षा आपको ही मुबारक । उसी तरह महोदय, मर्डर का फिगर है, सरकार के पास सब फिगर है ही, मैं क्यों दोहराउं । मैंने इसी तरह बता दिया, सरकार के पास सारा फिगर है ।

अध्यक्ष : अब दो ही मिनट बचा है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : दो मिनट में मैं कंक्लुड करता हूँ बशीर बद्र के शेर को कहते हुए कि

''हकीकतों के जमाने बहुत गुजर चुके
कोई कहानी सुनाओ बड़ा अँधेरा है ।''

अध्यक्ष : बहुत शुक्रिया ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : आपने जिन बातों को प्रोसिडींग में शामिल कर लिया, हिदायत दे दें, महोदय।

अध्यक्ष : एकदम ।

(परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मैं यह जरूर अपेक्षा करूंगा नीतीश जी, आप अपने सोये समाजवाद को जगाइये । जॉर्ज साहब के निधन पर उस वक्त जग गया, इस वजह से कि वे आपके नेता, आपके तो ज्यादा, हमारे कम क्योंकि हमलोग छोटे नेता थे, मगर जॉर्ज साहब के निधन पर जिस तरह से आपको पुरानी यादें आई हैं, उसी तरह चूंकि अभी यह देश बहुत खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है, उसमें बिहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन आप किस हद तक करेंगे, इसके लिए हो सकता है कि सत्ता जाना पड़े, इनको छोड़ना पड़े । मगर आज न कल, वही समाजवाद, वही पिछड़ावाद, वही कर्पूरी ठाकुर, वही जॉर्ज फर्नांडीस, वही मधुलिमये, वही मामा बालेश्वर दयाल, वही किशन पटनायक के बताये रास्ते पर आप आ गए तो हमलोगों के सर आँखों पर, मगर

नहीं आये तो हम समझेंगे कि शिक्षा-दीक्षा इनकी संगत में सब बेकार चली गई ।

इसलिए हम यह अपेक्षा करते हैं कि जिन बातों की तरफ बहुत ही पोजिटीव ढंग से हमने सरकार का जो ध्यान आकृष्ट किया है, सरकार उसको गम्भीरता से लेगी और माननीय मुख्यमंत्री अपने जवाब में उन बातों का जरूर उल्लेख करेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : शुक्रिया ।

माननीय सदस्यगण, कल माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) जी जब बजट पेश कर रहे थे, उनका भी अंदाज शायराना था और आज सिद्दिकी साहब जो वरिष्ठ नेता हैं विपक्षी दल के, उन्होंने भी बशीर बद्र की कई सारे शेर सुना दिये, तो एक आसन की तरफ से सुनाने की इजाजत है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जो उम्र के लिहाज से सिद्दिकी साहब ने जुबान फिसलने का काम किया, नागेश्वर राव जी के बारे में जो बात कही, उसे ओमिट करा दिया जाय, प्रोसिडींग का पार्ट इसको न बनाया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, वह हो जायेगा ।

तो हम सुनाएँ कि बहुत सारे प्रयास, उल्लास और सही बात है कि हम सब लोग मिलकर जनहित साधने और विकास की ही बात करते हैं । कहा गया है कि

''जब बलबला सादिक होता है और अज्म मुसम्मा होता है,
तकमीन का सामां गैब से फिर, उस वक्त फराहम होता है ।''

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : कोई नहीं समझा ।

अध्यक्ष : हम समझा भी देंगे ।

'बलबला' कहते हैं प्रयास को, आपके अन्दर जो प्रेरणा है, वह 'सादिक' मतलब सच्चा, ईमानदार । 'अज्म' कहते हैं आपके कमीटमेंट को, संकल्प को, वह 'मुसम्मा' मतलब मजबूत होता है । 'तकमीन' कहते हैं पूरा होने को और 'गैब' मतलब आकाश होता है ।

''जब बलबला सादिक होता है और अज्म मुसम्मा होता है,
तकमीन का सामां गैब से फिर, उस वक्त फराहम होता है ।''

सीधा मतलब है कि सदन के माननीय सदस्यों का अगर प्रयास ईमानदार है और कमीटमेंट पक्का है, संकल्प हमारा पक्का है तो उसकी पूर्ति करने के लिए सारा सामान भगवान भी आकाश से उपलब्ध करा देते हैं, केवल इरादा पक्का रखना चाहिए ।

टर्न-12/आजाद/13.02.2019

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, मेरा भी एक शेर सुन लीजिए ।

मेरा अज्म है इतना बुलन्द कि पराये शोलों से डर नहीं,
मुझे खौफ है आशिके गुल से, कहीं चमन को जला न दे ।

अध्यक्ष : ठीक है । सुन लीजिए शिक्षा मंत्री जी का भी ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माहौल बड़ा खुशगवार है और शेरों-शायरी के शायराना अंदाज में सब लोग आ गये हैं, पूरा सदन आ गया है । लिहाजा एक शेर मेरे जेहन में भी आ गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसको कहें ।

अध्यक्ष : एकदम ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : परवाज तो दोनों की है एक ही फिजां में,
शाहीन का जहां और है, करकश का जहां और ।

अध्यक्ष : चलिये श्री रत्नेश सादा जी ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, आज हमारे गार्जियन सिद्दिकी साहेब जो बोल रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण के विपक्ष में, मुझे सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी कि माननीय सिद्दिकी साहेब, क्या बोल रहे हैं.....

अध्यक्ष : अभी बड़े अच्छे माहौल में सब लोग सबकी बात सुन रहे, शांति रखिए न ।

श्री रत्नेश सादा : महोदय, हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोले कि हमारे समय में क्या होता था बिहार की जनता के साथ, बिहार के किसानों के साथ, आम-अवाम के साथ, कहीं गांव में सड़क नहीं थी, बिजली की जगह पर ढिबड़ी में लोग जीते थे, किसान त्राहिमाम कर रहे थे लेकिन उसके बारे में, अपने समय के बारे में कभी नहीं बोले माननीय सिद्दिकी साहेब । आज हमारे माननीय मुखिया ने बिहार में न्याय के साथ विकास को ध्यान में रखते हुए बिहार के सभी वर्गों को विकास के लिए कृतसंकल्पित है महोदय । हमारे माननीय मुखिया बिहारवासियों के मूलभूत सुविधा के लिए सड़क, बिजली, शौचालय आदि के लिए भी व्यवस्था किये हैं । आधारभूत संरचना में गली-नली, पुल-पुलिया । महोदय, युवाओं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसाय की व्यवस्था किये हैं । लेकिन इनके राज में न तो व्यवसायियों के लिए, इनके समय में व्यवसायी भागे जा रहे थे । आज नीतीश कुमार नहीं रहते तो जो कुछ बचे हुए व्यवसायी थे, वे बिहार से पलायन कर जाते । आज व्यवसायी पूरे खुशी के माहौल में जी रहे हैं । उनके राज में दलित, महादलितों पर जो अत्याचार हो रहा था, बाथे नरसंहार महोदय , आज नीतीश कुमार का ही देन है कि आज नगर निगम और पंचायत निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला है । आज नीतीश कुमार का ही देन है कि आज महिलाओं को पुलिस बल में, सब-इन्सपेक्टर में, कंसटेबुल में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है । महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जब से सत्ता में आये हैं, बिहार में एकल पद पर आरक्षण देकर के चाहे वे

दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, सभी वर्गों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया है । आज इनके राज में 50 प्रतिशत मुखिया महिला बनती है । दलित, महादलित का बेटा आज मुखिया बनता है, प्रमुख बनते हैं, पंचायत समिति के सदस्य बनते हैं और जिला परिषद् के अध्यक्ष बनते हैं । आज नीतीश कुमार का ही देन है, खासकर के विशेष कृपा महादलितों में मुशहर पर हुआ, जिसके चलते मैं आज विधान सभा में विधायक बना हूँ । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इनके रहते हुए, नीतीश कुमार के रहते हुए आज महादलित परिवार के 25 विद्यार्थी पर एक टोलासेवक को बहाल किया है और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए पिछड़ा, अतिपिछड़ा तक पहुँचाने के लिए विकास मित्र का बहाली किया है । ये बतायें कि आज दलित, महादलितों के लिए घड़ियाली आँसू बहा रहे हैं, इनके राज में कितने दलित, महादलित को नौकरी मिला है, ये कितने को विकास मित्र बनाये हैं, ये कितने को टोलासेवक बनाये हैं, इनके राज में कितने दलित परिवार को 3 डिसमिल जमीन दिया गया है ? आज बिहार के विकास के लिए हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने 1 लाख 77 हजार करोड़ रू0 का बजट लाकर के बिहार के चहुमुखी विकास के लिए इन्होंने जो कार्य किया है, यह बहुत ही सराहनीय है महोदय । अपने समय के बारे में कभी नहीं बोले माननीय सिद्दिकी साहेब कि हमारे राज में क्या-क्या होता था । हमारे राज में कितने दलित, महादलित को 3 डिसमिल जमीन दिया गया । इनके राज में महोदय, इंदिरा आवास का सूची बनाते थे विधायक और विधायक को जो लोग पैसा देते थे, उन्हीं लाभार्थियों को इंदिरा आवास दिया जाता था और हमारे राज में ऐसा कभी नहीं हो रहा है । हमारे समय में डायरेक्ट ऑनलाईन सिस्टम से प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है, इनके राज में यह हश्र था महोदय ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : एक मिनट महोदय । जब हमलोग धरना पर बैठे थे और आप अमित शाह बने थे और आपको कितना थप्पड़ पड़ा था, यह याद है न ?

श्री रत्नेश सादा : महोदय, आज बिहार में विशेष न्याय के तहत ....

अध्यक्ष : अब रत्नेश जी, दो मिनट बचा है ।

श्री रत्नेश सादा : महोदय, 24 मामले में लोक सेवकों की सम्पत्ति को आज जब्त किया जा रहा है । अभी तक 131 मामलों में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत परिसम्पत्ति प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया गया है, जिसमें 256 करोड़ रू0 से अधिक राशि सम्मिलित है । राज्य के आधारभूत संरचना विकास एवं लाभकारी योजना में राज्य के बजट का 2018-19 में 31600 करोड़ रू0 संग्रह करने का अनुमान है । वर्ष 2018 में राजस्व बजट 21332 करोड़ रू0 है महोदय । केन्द्रीय आंकड़ों के अनुसार बिहार का विकास दर 11.3 प्रतिशत है महोदय । मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

श्री रामदेव राय : महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संदर्भ में मैं अपना संशोधन दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रस्तुत नहीं कर सका । उसी संदर्भ में मैं आसन के माध्यम से कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ, जो राज्यपाल जी के अभिभाषण में सन्निहित नहीं था । महोदय, सबसे पहले मैं कवि नहीं हूँ, कविता करना भी नहीं जानता हूँ । आज के कवि खद्योत सम: जहं तहं करत प्रकाश ....

अध्यक्ष : आप भी पढ़ ही दिये ।

श्री रामदेव राय : हम केवल अपने वित्त मंत्री जी के स्वागत में यह बोल रहा हूँ । कल मैं वित्त मंत्री जी का सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा । जरा सा उसमें बदल देना है आप जरूर विद्वान आदमी है, इसको जरूर बदलेंगे । मैं यह कहना चाहता हूँ :-

''नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
जरा सोच को बदल कर देखो तो नजरिया बदल जाते हैं
यदि किश्ती न बदल सको तो दिशा बदल कर देख लो,
देश और 2019 में मोदी स्वत: बदल जाते हैं । ''

महोदय, महामहिम .....

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, आपकी कविता ने तो सबको पीछे छोड़ दिया ।

श्री रामदेव राय : नहीं, सर का आशीर्वाद है तो मैं स्वयं पीछे रहने वाला हूँ । महोदय, मैं सर्वप्रथम महामहिम जी की बात को उठाता हूँ ।

(इस अवसर पर सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) ने आसन ग्रहण किया)

महामहिम जी प्रथम पंक्ति में ही उद्धरण दिये हैं, ... क्रमश: ....

टर्न-13/शंभु/13.02.19

श्री रामदेव राय : क्रमश:.......कि बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ । मैं संशोधन दिया था कि अपेक्षा बदल जाय- मैं बिहार विधान मंडल सदस्यों की उपेक्षा करता हूँ । इसमें यह शब्द संशोधन में आना चाहिए । आप देख लीजिए, मैं 1972 से यहां हूँ । उस समय विधान मंडल के माननीय सदस्यों का जो कद्र था और उनके क्रियाकलाप से जो उनकी मान्यता थी आज वह मान्यता और मूल्य कहां गिरता जा रहा है । इसपर कभी कोई सोचनेवाला तैयार नहीं है, न हमारे कोई विद्वान लेखक, न कोई राजनीतिक चिंतक । कोई आइटम बता दें जिसमें माननीय विधान मंडल सदस्यों का सहयोग उस विकास कार्यों में लिया जा रहा हो और उल्टे अपेक्षा की जा रही है । यह घोर उपेक्षा है इसको अगर आप बदल देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं बदलते हैं तो आगे आनेवाला दिन नया इतिहास रचेगा और विधान मंडल का अस्तित्व, महिमा और महत्व अवश्य गिरेगा । याद करके रख लीजिए । अब मैं आता हूं दूसरी बात महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि यह बिहार कितना गरीब राज्य है । बिहार के 80 प्रतिशत लोग कृषि पर

निर्भर करते हैं और 80 प्रतिशत लोग कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर जीते हैं । कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 2008 में पहली बार, 2012 में दूसरी बार और 2017 से 2022 तक तीसरा रोड मैप बनाया गया, जिसका शुभारम्भ हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है । कब किया 9 नवम्बर, 2017 को । मैं मान लिया उसी दिन से 2017- 9 नवम्बर से 2017 से 2018 और 2018 से 2019 हम यहां पहुंचे हुए हैं । इसमें तृतीय रोड मैप में महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किसानों की आय में वृद्धि करने की बात कही गयी और सबसे बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गयी कि प्रत्येक भारतवासी के थाली में बिहार का एक व्यंजन परोसा जायेगा । बिहार का एक व्यंजन जलेबी, पुआ, पुड़ी, लड्डू, श्रवण बाबू जानते होंगे नालन्दा के हैं नालन्दा सिलाव का खाजा, कोई एक व्यंजन परसा जायेगा, लेकिन क्या दुर्भाग्य है बिहार का, क्या तकदीर है बिहार वासियों का, क्या तकदीर, मुकद्दर है बिहार के किसान मजदूरों का कि उनकी थाली में एक जून की रोटी और नमक भी मिलने के लिए आज हाहाकार मचा हुआ है । इस गरीबी में- जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीड़ पराई । हम गरीबी के हाल को तभी देख सकते हैं जब गरीब की जिंदगी व्यतीत करने का मुझे अवसर मिले । इसलिए मैं माननीय महोदय, आसन से आग्रह करता हूँ कि बिहार की गरीबी को सही रूप में चित्रण होना चाहिए । हुजूर, आप कहे, सरकार बोली कि किसानों की उपज का वाजिब मूल्य मिलनेवाला है, वाजिब मूल्य देना चाहते हैं । जरा सुनिए हुजूर, मैं अगर और भी सभी किसान के बेटा हैं मैंने किसान के दर्द को सुना था- गेहूं की बात जुताई में 3 हजार रू0 प्रति एकड़ कम से कम खर्च होता है, पटवन में कम से कम 3500 रू0 प्रति एकड़ खर्च होता है, खाद में 4 हजार रूपया कम से कम खर्च होता है, मजदूरी में 3 हजार रू0 खर्च होता है कम से कम और बीज में कम से कम 4 हजार रू0 खर्च होता है । यानी कुल लागत 18 हजार रूपया करीब-करीब हुआ और हुजूर उपज कितने रूपये का 18 हजार रूपये का मतलब जीरो बटा जीरो और आमदनी बिलकुल नहीं । उपज कहां गया, उपज का दाम कहां चला गया और आज हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी वर्तमान सरकार ने नारा दिया कि हम आय की दुगुनी वृद्धि करेंगे । हुजूर, सोच लीजिए 20 वर्षों से नलकूप बंद, पानी नहीं, बीज नहीं समय पर, खाद ब्लैक मार्केटिंग से भी मिलने में दिक्कत किसानों को और उपर से ईश्वर का आफत कभी वर्षा, कभी बाढ़, कभी ओला, कभी पत्थर, कभी सुखाड़ और उसमें उपर से सरकार के द्वारा बेईमानी शब्द तो अच्छा नहीं लगेगा कहने में इसलिए नाइंसाफी । देखिए मात्र 24 जिला को सूखाग्रस्त घोषित करके सरकार ने बिहार वासियों का सर नीचा किया है । शेष जिला कहां चला गया, सारे बिहार में सूखा था, सारी फसलें मारी गयी उसका चिन्ह यह है, फसलें मारी गयी अगली फसल नहीं होगी, खेत में दरार पड़ जायेंगे, पानी नहीं है नमी नहीं मिल पायेगी । इसका मूल्यांकन नहीं हो पाया ।

(व्यवधान)

मैं तो कह रहा हूं और 12-12 जिला आप छोड़ दिये । अब देख लीजिए मैं अपने जिला की बात कर देता हूँ । बेगुसराय एक घर दलसिंहसराय का है जहां हमारे अध्यक्ष जी रहते हैं और एक घर बछवाड़ा का होता है । दलसिंह सराय को बेनिफिट मिल रहा है और बछवाड़ा वाला कुथ रहा है । हाय री सरकार, हाय नन्दकिशोर बाबू की सरकार, ललन बाबू की सरकार, यादव जी की सरकार और उप मुख्यमंत्री जी की सरकार । क्या बिगाड़ा है बिहार आपका ? जो बिहार के नाम पर अपने तकदीर को आप बनाना चाहते हैं और तस्वीर खींचना चाहते हैं वह बिहार क्या बिगाड़ा, बिहार का किसान क्या बिगाड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ । हुजूर, मैं केवल गेहूं का बताया जरा सा एकाध फसल और सुन लीजिए । मकई की खेती-लागत 30 हजार और प्राप्ति 19 हजार बस । उसी तरह से आलू देख लीजिए और आप जो फसल धान देख लीजिए ।

सभापति(मो0नेमतुल्लाह) : रामदेव बाबू, दो मिनट और टाइम है ।

श्री रामदेव राय : कैसे दो मिनट होगा । यही आये हैं वहां से लेकर कि ज्यादा बोलने नहीं देना है । अभी तो बखिया उधेड़ेंगे । अभी तो अपराध बाकी है, कानून-व्यवस्था बाकी है । छोड़िए, हमनें कृषि की बात तो बता दिया ।

सभापति(मो0नेमतुल्लाह) : जो आपको समय एलोट हुआ है उसके हिसाब से ।

श्री रामदेव राय : दो करोड़ लोगों को नौकरी देने का आपने वादा किया, क्या बिगाड़ा यहां का नौजवान, क्या बिगाड़ा युवक ? जो युवक देश का इतिहास होता है, देश का उगता हुआ सूरज होता है । युवक झगड़ालू हो सकता है, मगर बेईमान कभी नहीं होता है । देश के लिए संघर्ष करता है, कुर्बानी करता है उस बेरोजगार युवकों को अपने भाग्य के भरोसे रोने के लिए गलियों में छोड़ दिया है यह किसका कसूर है ? राज्यपाल महोदय जी ने क्यों नहीं इसको अंकित किया ? मैं आपसे बताना चाहता हूँ । महोदय, अपराध के बारे में सुन लीजिए । ये अपराध नियंत्रण की बात करते हैं । मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बहुत ठीक काम कर रहे हैं । हमारे मुख्यमंत्री जी कम मेहनत नहीं करते हैं, मगर इनको रिजल्ट क्या मिल रहा है- जीरो बटा जीरो । क्यों ? वह कॉपरेशन नहीं है । जब से दोनों भाई में लड़ाई हुई है घर फूटे गंवार लूटे । भाई अपने परिवार को सलट लीजिए आपको मुनाफा होगा । भाई भाई का बंटवारा करानेवाला मौज उड़ा रहा है और नीतीश जी बदनाम हो रहे हैं । इसलिए मैं बताता हूँ देख लीजिए क्या हालत है ? देख लीजिए हमारे राज्य का आंकड़ा दूं ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : हमलोगों को कह रहे हैं या इन लोगों को कह रहे हैं ?

श्री रामदेव राय : न्याय के साथ विकास की बात करते हैं जीरो टोलरेंस की बात करते हैं और जरा आज थाने की हालत चलकर देख लीजिए, एक गरीब एफ0आइ0आर0 नहीं करा सकता है । जब तक हजारों रूपये उसकी जेब में नहीं होंगे तब तक एफ0आइ0आर0 नहीं करा सकता है। इन्होंने पुलिस मैनुवल का सुधार कराया 2007 में कहां है पुलिस मैनुवल- अपराध अनुसंधान को अलग करने के लिए और लॉ एंड आर्डर के लिए अलग क्या हुआ, कहीं हैं कहीं चर्चा

है? कुल 900 सिपाही को बहाल कर दिये, कैसे बहाल कर दिये ये जानते हैं । 900 सिपाही से क्या होनेवाला है, गांव का चौकीदार भूखे मरता है, दफादार भूखे मरता है, दलपति भूखे मरता है और ये सेर सुनाते हैं हमलोगों को और जानते हैं इधर भी शेर का बच्चा पैदा ले लिया है । ऐसा-ऐसा बच्चा पैदा ले लिया है, दो-दो शेर आ गया है, जंगल में अब आपको रहने नहीं देगा, इसका ख्याल कर लीजिए । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्याय के साथ विकास का नारा छोड़ दीजिए और मूलभूत सुविधा पेयजल- मुख्यमंत्री जी ने सात निश्चय दिया है, निश्चित ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है । मगर फल क्या निकल रहा है ? इसका मोनेटरिंग ठीक से नहीं हो रहा है जिसके कारण लाभ जनता को नहीं मिल रहा है । शौचालय की हालत देख लीजिए चलकर, ओ0डी0एफ0 घोषित करा लिया विधायक को ले जाकर के, फुसलाकर के, पंजियाकर के कलक्टर साहब, एस0डी0ओ0 साहब, बी0डी0ओ0 साहब गोर पकड़कर के, दाढ़ी पकड़कर के, बाबू भैय्या कहकर के और हुआ क्या कि ओ0डी0एफ0 घोषित हो गयी सरकार और पैखाना मुंह ताक रहा है सरकार की ओर कि कब सुधी लेंगे कि हम बनकर तैयार हो जाएं और स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग दें ।

क्रमशः

टर्न-14/ज्योति/13-02-2019

क्रमशः

श्री राम देव राय : ऐसा नहीं हो रहा है। पैखाना बना भी नहीं , पैसा भुगतान हुआ भी नहीं और वह ओ.डी.एफ. घोषित हो गया । पेय-जल की बात देख लीजिये । आपने विधायकों का चापाकल बंद कर दिया । आर्सेनिक और फ्लोराईड के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है । है रिपोर्ट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और आपने लाल बत्ती जला दी है । गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही खुल गयी है । हम क्या कर सकते हैं? पानी के लिए कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है । स्वच्छ जल पीने के लिए पानी नहीं है और जो पानी नहीं रख सकता है । बिन पानी सब सुन, मोती, मानुष, चुन, बिन पानी सब बिगड़ जायेगा न मोती, न मानुष और न चुन्ना , तीनों को कोई पकड़ नहीं सकेगा, इसलिए पानी दीजिये बिहार को स्वच्छ पानी दीजिये , खेतों को स्वच्छ पानी दीजिये और विधि व्यवस्था को पूर्ण रुपेण लागू करिये और जरा गौर कर लीजिये । आप अपने पुलिस मैन्युअल के मुताविक काम कीजिये । भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टौलरेंस पर आप ध्यान दीजिये और ये देखिये, अभी तक आप घूस लेने में मात्र 53 मामले आपके सामने आए हैं । सब घूस ले रहा है किरानी से लेकर बड़का बाबू तक लेकिन 53 मामला श्रवण बाबू आप पकड़े । आय से अधिक मामले का कुल मामला 59 । क्या आप अपराध पर नियंत्रण करेंगे ? टांय टांय फिस, डपोरसंखी नारा देकर आप काम कर रहे हैं ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह) : रामदेव बाबू आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रामदेव राय : हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं । कौंग्रेस सबको सहयोग देती है और आगे बढ़ो और आगे नहीं बढ़ोगे तो टांग नहीं खींचेंगे आगे खड़ा हो जायेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे । ...

सभापति(श्री नेमतुल्लाह) : समय आपका खत्म हो गया और लोग भी हैं ।

श्री रामदेव राय : देख लीजिये अभी बहुत कुछ बोलना है ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह) : वह दे दीजिये, प्रोसिडिंग्स का पार्ट होगा । (परिशिष्ट-2 द्रष्टव्य)

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी बोलिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, अभी सदन में आदरणीय अभिभावक सिद्दीकी जी और आदरणीय रामदेव बाबू बोल रहे थे । सिद्दीकी जी और रामदेव बाबू से हमलोग बहुत कुछ सीखते हैं और ये दोनों ही नेता बहुत गंभीर रहते हैं लेकिन सदन में सभापति महोदय, जो ऐतिहासिक पल था महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण का और ऐतिहासिक अभिभाषण भी था जिसके ऊपर सारे लोगों के हस्ताक्षर थे, जिसको सारे लोग सुन रहे थे और मैं जानता हूँ कि विपक्ष के जो साथी हैं उनको बहुत प्रिय लगा था लेकिन मजबूरी है और मजबूरी में हर बिन्दु पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं । सभापति महोदय, सरकार की कल्याणकारी और भावी योजनाओं पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने बिन्दुवार प्रकाश डाला । उनके अभिभाषण में बिहार न्याय के साथ सुशासन के साथ विकास कर रहा है ।

श्री भाई बीरेन्द्र : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था, वह झूठ का पुलिन्दा था और उनको पता चल गया तो वे पढ़े नहीं बेचारे उनको धन्यवाद देना चाहते हैं ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह): खेमका जी बोलिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी और ि बहार के उप मुखिया उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में न्याय के साथ विकास की सरकार चल रही है लेकिन हमारे विपक्ष में जो भाई हैं उनको यह नजर नहीं आता है सभापति महोदय, देश में उजाला और उज्ज्वला योजना का लाभ घर घर में पहुंच रहा है । पूरे प्रदेश में सारा घर पूरा बिहार जगमग है और हर घर तक बिजली पहुंचा दी गयी है लेकिन हमारे विपक्ष के साथी को याद नहीं है कि 15 साल की सत्ता किस स्थिति में थी, कैसी थी, पूरा घर पूरे प्रदेश का हर घर जगमग है लेकिन हमारे विपक्ष के भाई लालटेन और ढिबरी के युग में इस बिहार की जनता को ले जाना चाहते हैं । सभापति महोदय, ये आंकड़े जो हैं वे प्रत्यक्ष है कि एन.डी.ए. की सरकार में अंधेरा दूर हुआ है और 1 करोड़ 19 लाख घरों को अच्छादित किया गया है और सरकार

ने कहा है कि बिजली का बिल पारदर्शिता से आवे और उसका भुगतान हो उसके लिए प्रीपेड मीटर है उसे भी हम लगाने का काम करेंगे । सभापति महोदय, इस सरकार में एन.डी.ए. की सरकार में जो इतने काम हुए हैं, इतनी कल्याणकारी योजनाएं जो घर घर तक पहुंची है, हर विधायक चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का हो, उसे महसूस करता है, हमारे अभी आदरणीय सिद्दीकी भाई कह रहे थे कि बिहार से पलायन हो रहा है और मुझे आश्चर्य लगता है कि आज पलायन रुका है और ट्रेनों में यहॉ से बिहार से हमारे भाई लद कर अभी प्रयाग में कुम्भ चल रहा हे, कुम्भ स्नान करने के लिए जा रहे है ये उनको नजर नहीं आ रहा है इनको सभापति महोदय, हमारे यहॉ जो प्रकाशोत्सव था, उसमें पंजाब से और पूरे देश से, बिहार में ट्रेन से और वाहन से इस पटना में लोग आ रहे थे, इतनी बड़ी भीड़ ये इनको नजर नहीं आता है । इनको सभापति महोदय, ये बात करते हैं पलायन की । यह सुशासन की सरकार है और विकास के साथ चल रही है । महिला सशक्तीकरण में भी बिहार काफी आगे है । आज महिला सशक्तीकरण नीति के तहत पंचायती राज प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 50 परसेंट आरक्षण दिया गया है । जीविका के तहत महोदय, 8 लाख 26 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है । सभापति महोदय, हमारे मित्र दरभंगा से आते हैं और मेरा ससुराल भी सभापति महोदय, दरभंगा है मैं जब जाता हूॅ दरभंगा तो वहॉ के लोग मिथला का पाग पहनाते हैं और पाग पहना कर कहते हैं कि मेहमान जी बिहार का इतना विकास हुआ है । आज इनको नजर नहीं आता है । मिथला का पेन्टींग पूरे बिहार में चर्चा का विषय है । मैं कहना चाहता था और मैं बतलाना चाहता हूॅ कि आज शौचालय घर घर पहुंचा है । हमें याद है महोदय, पिछली सरकारों का भी शौचालय । आज 12 हजार रुपया भुगतान करके एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री की सोच है और महात्मा गांधी और लोहिया जी के विचारों को जमीन पर उतारना और आज बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस सोच को घर घर पहुंचा रहे हैं एक कदम स्वच्छता की ओर । आज पूरे घरों में शौचालय बन रहे हैं । 3 लाख 3 हजार 658 पंचायतें खुला में शौच से मुक्त हुए हैं । शहरी क्षेत्र में 16 लाख 8 हजार घरेलू शौचालय एवं 5213 सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह): खेमका जी, अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, बातें बहुत सी हैं लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों की आंखों पर ऐसा चश्मा लगा है कि इन्हें बिहार में विकास नजर नहीं आता है । कृषि के क्षेत्र में ये कह रहे थे । आज कृषि के क्षेत्र में इतना बड़ा विकास हुआ है हर किसान जो सीमान्त और लघु किसान हैं, उनके खाते में 6 हजार रुपये की व्यवस्था है । आज ग्रामीण क्षेत्र में किसान चौपाल लगाये जा रहे हैं । नयी तकनीक से कैसे खेती कैसे होगी, आज किसान उस ओर बढ़ रहा है । क्रमशः

टर्न-15/13.02.2019/बिपिन

श्री विजय कुमार खेमका : क्रमश: आज धान के विषय में ये कहते हैं लेकिन आज किसान का धान सरकारी रेट पर खरीद किया जा रहा है । अनुदानित दर पर आज किसानों को मशीन प्राप्त हो रही है ...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, एक मिनट मैं और लूंगा और ग्रामीण सड़कों का हाल तो इतना सुंदर है कि चारों तरफ बिना पैर में कादो लगे और कादो में कमल खिलाते हुए एन.डी.ए. की सरकार सड़कों पर काम कर रही है ।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3,43,418 बसावटों को बिहार में पूरे देश में प्रथम स्थान आया है । ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 75हजार कि0मी0 सड़क का निर्माण हुआ है । सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आगे हैं । जो अस्पताल चिकित्सा के लायक नहीं था, आज वहां अच्छी व्यवस्था है। हम गांव में जाते हैं, दूर से ही हमें विद्यालय चकाचक नजर आता है । जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें साइकिल पर चढ़कर विद्यालय जाती है ...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य महबूब आलम जी । आपका सिर्फ दो मिनट समय है ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, शायरी मैं क्या करूँ, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बोलने का आपने मौका दिया । लेकिन महोदय, हमारे लोग...

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): कृपया शांत रहें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, हमारे लोग बहुत उम्मीद से मांग करते हैं तो मैं गालिब चचा का एक शेर पढ़ना चाहता हूं -

हमको उनसे है वफा की उम्मीद
जो नहीं जानते कि वफा क्या है ।

हमारे माननीय नेता सिद्दीकी साहब भटके हुए समाजवादी से आग्रह कर रहे थे कि आप वापस चले आइए । महोदय, आने वाली पीढ़ी जब इनसे सवाल करेगी- क्या आपने जनमत का अपमान करके साम्प्रदायिक फासिवादियों से हाथ मिलाकर सिर्फ सत्ता और सत्ता में बने रहने के लिए जो समझौता किया, उनको जब सवाल करेगी महोदय, तो महोदय, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा । मैं एक शेर से जवाब देता हूं महोदय । ये गुनगुनाएंगे उस दिन -

तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिन्दगी,

ये मेरा दिल कहे तो क्या,

ये खुद ही शर्मसार है ।'

यही जवाब होगा इनका । महोदय, वार्षिक बजट किसी सरकार के विकास की नीतियों की दिशा-दशा दर्शाती है । 11 फरबरी को बिहार आर्थिक समीक्षा पेश किया गया है जिसमें राज्य के अर्थ व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं । बिहार आर्थिक समीक्षा बतलाती है कि राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि 2016-17 में 9 प्रतिशत्, 9.9 प्रतिशत् से बढ़ कर 2017-18 में 11.3 प्रतिशत् की है, बढ़ने का अनुमान है। लेकिन वर्ष 2011 से 2016-17 के बीच राज्य का घरेलु उत्पाद महोदय, वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत् है । इनके आंकड़े में है महोदय, जो 2011-12 से 2015-16 के बीच की बढ़ोत्तरी से महोदय, 7.6 प्रतिशत् की कमी है । यह कौन सा आंकड़ा है महोदय ? इसमें कोई सुसंगत नहीं है । कोई सुसंगत आंकड़ा दिखाई नहीं देती है । यह आपने मनगढ़ंत आंकड़ेवाजों से आंकड़ा बनाते हैं । यह आंकड़ों की बाजीगरी है महोदय । आद्री इनका स्थायी आंकड़ेवाज हैं, उन्हीं से ये बनाते हैं । ये बिहार सरकार के जो स्थापित अर्थशास्त्री हैं उनसे आर्थिक आंकड़ा बनाने का काम महोदय नहीं करते हैं । इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि दोनों आंकड़ों में कोई मेल नहीं है ।

महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक परिवार को एक सौ दिनों के लिए काम करने का सांवैधानिक अधिकार प्रदान करता है । बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-2019 गरीबीग्रस्त राज्य में निराशाजनक तस्वीर पेश करता है कि इन कानून को लागू करने में सुधार की कोई संभावना नहीं है । कोई संकेत नहीं है। 2014 में एक प्रतिशत्, 1.3 करोड़ जौब कार्ड दिया गया जिसमें केवल 15.1 प्रतिशत् को कुछ ही दिन के काम मिले, केवल 6 फीसदी को एक सौ दिन का काम मिला महोदय ।

(व्यवधान)

महोदय, आप लोग सुनिए कान खोलकर, जो कृषि के बारे में आप लफ्फाजी करते हैं, खेती और संबद्ध की स्थिति 10 प्रतिशत् से घट कर 1.4 प्रतिशत् का अनुमान है अभी आपका जो 2011-12 से लेकर 2016-17 तक का प्वायंट जीरो वन परसेंट की घटी है महोदय । यह दर्शाता है कि कृषि के बारे में आपकी क्या सोच है और महोदय, कृषि में अब फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग तमाम चीजें इसमें शामिल है महोदय । जब आपके पास एग्रीकल्चर का कैबिनेट है, जब आपके पास रोड मैप है तो ....

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री महबूब आलम: तब यह हालत है जबकि आज आप ज्यादा मशीन से काम लेते हैं । मशीनों का मेला लगाते हैं । जिस रेट से महंगाई बढ़ी है महोदय, उस रेट से आमदनी जो है बहुत घटी है महोदय । यह महोदय....

(व्यवधान)

क्यों हो गया, बहुत कुछ है बोलने के लिए ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आप समाप्त कीजिए ।

महोदय, ...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य महबूब आलम जी अब आप समाप्त कीजिए । आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य बशिष्ठ सिंह जी ।

(व्यवधान)

श्री बशिष्ठ सिंह : सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का मुझे मौका मिला है, मैं अध्यक्ष जी को आभार प्रकट करता हूं । सर्वप्रथम मैं अपने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बिहार के उपमुख्यमंत्री को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार के विधान सभा में देश के सदन में जो सेंट्रल हॉल बना था उसके तर्ज पर बिहार विधान सभा में भी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने .....

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): कृपया आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

कृपया आप बैठ जाइए ।

श्री बशिष्ठ सिंह : सेंट्रल हॉल बनाकर विकास का अनुभूति कराया है । महोदय, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री परम् आदरणीय नीतीश बाबू को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी सोच इतना विकसित है कि बिहार विधान सभा में सेंट्रल हॉल बनाकर यह प्रस्तुत कर दिया कि उनकी केवल नीचला ही सोच विकास का नहीं बल्कि उपर वाला भी सोच विकास का सोच रखते हैं । महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो दो लाख करोड़ का बजट पेश किया है उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपने सरकार के पक्ष में बोलते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जहां विपक्ष के लोगों की जब सरकार थी तो उस समय 23 हजार का बजट आता था और आज 12 वर्षों में आज हमारा नौ गुणा बढ़ कर दो लाख करोड़ का बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है ।

(व्यवधान)

महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हमारे सदन के सिनियर सदस्य अब्दुलबारी सिद्दीकी जो बोल रहे थे, वो हमारे नेता पर आरोप लगा रहे थे कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी मुख्यमंत्री जी जानते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वही जानते हैं जो काम करने में रूचि रखते हैं उन्हीं के पास सब जुगाड़ रहता है । बिना काम के कोई जुगाड़ काम नहीं करता है । आपलोगों ने तो महागठबंधन का जुगाड़ बैठाते-बैठाते आज तक फेल रहे हैं, अभी अभी तक आपलोग का जुगाड़ नहीं बन पाया और हमलोग का जुगाड़ पहले बन चुका है ।

(व्यवधान)

दूसरी, महोदय, घोटाले की बात कर रहे थे, घोटाले की बात कर रहे थे कि इस सरकार में 40 घोटाले हुए हैं, मेरे सरकार में अगर 40 घोटाले होते .तो हमारा भी नेता ......

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): बैठिये । आप बोलिए ।

श्री बशिष्ठ सिंह : माननीय सभापति जी, आज हमारे नेता बिहार के सदन में बैठ रहे हैं और इनका नेता रांची के जेल में जाकर बैठे हुए हैं । इससे बड़ा घोटाला का प्रमाण क्या हो सकता है कि हमारे नेता बिहार विधान सभा के सदन में बैठ रहे हैं और घोटाले के जो नेता हैं और उनके नेतृत्व करने वाले रांची में बैठे हैं, यह सबसे बड़ा फैसला तो यहीं हो जाता है कि कौन कितना घोटालेबाज है ... व्यवधान

टर्न:16/कृष्ण/13.02.2019

श्री बशिष्ठ सिंह : (क्रमशः) ये घोटाला करनेवाले लोग हैं ।

(व्यवधान)

महोदय, माननीय श्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता है । श्री नीतीश कुमार जी देश के रेल मंत्री के पद पर रह चुके हैं । हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी भूतल परिवहन मंत्री के पद पर रहे हैं । हमारे नेता नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री के पद पर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर 13 साल से रहने के बाद भी अभी तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है । यह हमारे नेता का सबसे बड़ा सुशासन है । यह हमारे नेता की सबसे बड़ी पर्सनालिटी है ।

(व्यवधान जारी)

महोदय, इतना ही नहीं,

सभापति (श्री मो0नेमातुल्लाह) : शांति,शांति । बहुत अच्छा चल रहा है । आपलोग बैठिये ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं । आरक्षण के सवाल पर इनलोगों ने छेड़ा है । मेरी पार्टी के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि जातिगत आधार पर आरक्षण हो और जातिगत आधार पर इसकी जनगणना हो । यह हमारी पार्टी चाह रही है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय ।

(व्यवधान जारी)

सभापति (श्री मो0 नेमातुल्लाह): भाई वीरेन्द्र जी, आप इनको बोलने दीजिये, आप बैठ जाईये ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, इनलोगों को आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है । आरक्षण का नाम लेकर केवल वोट बटोरने का काम ये लोग करते हैं । अगर किसी ने गरीबों को, दलितों को और महादलितों को आरक्षण देने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है

आदरणीय श्री नीतीश कुमार । 30 परसेंट पंचायत चुनाव में आरक्षण देकर अति पिछड़ा समाज को मुखिया बन या, जिला परिषद् का चेयरमैन बनाया, प्रमुख बनाने का काम किया और एकल पद पर आरक्षण देकर दलित, महादलित को अध्यक्ष बनाने का काम किया, मुखिया बनाने का काम किया ।

(व्यवधान जारी)

सभापति (श्री मो0 नेमातुल्लाह): शांति, शांति । आप बैठिये ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, इतना ही नहीं, आधी आबादी, महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षण देने का अगर कोई काम किया तो वह है बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं । लालू जी में दम नहीं था, विपक्ष में दम नहीं था । इतना ही नहीं, मैं और कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान जारी)

सभापति (श्री मो0 नेमातुल्लाह) : आप अभी बैठ जाईये । आपका समय बचा हुआ है । आप उस पर बोलियेगा ।

श्री बशिष्ठ सिंह : सभापति महोदय, इधर देखा जाए । माननीय सदस्य श्री रामदेव जी हमारे वरीय नेता हैं, अपराध के सवाल पर बिहार 22वां स्थान पर है । इनके रैली में जो आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक नंबर पर है, राजस्थान दो नंबर पर है मध्य प्रदेश तीन नंबर पर है, कांग्रेस के लोगों को जवाब देने की जरूरत है ।

(व्यवधान जारी)

सभापति (श्री मो0 नेमातुल्लाह) : आपका जब टाईम आयेगा तब आप अपनी बात रखियेगा। अभी बैठिये ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, इनकी जब बारी आती है तब बोलते नहीं है और जब दूसरे माननीय सदस्य बोलते हैं तो उनकी बात सुनते नहीं है । इनको सुनना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने देश में पहले कानून बनाया लोक सूचना अधिकार अधिनियम का और उसे लागू किया और 4 लाख करोड़ लोगों ने अपनी समस्याओं का निदान कराने का काम किया । यह आदरणीय श्री नीतीश कुमार की सोंच है, उनका विजन है । महोदय, इतना ही नहीं, बाहर के लोग यहां आकर पूछते हैं कि कैसे यह कानून बना है और कैसे यह कानून काम कर रहा है । यह श्री नीतीश कुमार जी का विजन है ।

(व्यवधान जारी)

महोदय, इतना ही नहीं, शिक्षा के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं । आदरणीय श्री नीतीश कुमार की पहली सरकार है, जिसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी किया । गरीब के बच्चे को, दलित के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, पिछड़े वर्ग के बच्चे को और अपर

क्लास के बच्चे को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देकर उन्हें उच्च शिक्षा में पढ़ाने का काम किया।

महोदय, ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं । चरवाहा विद्यालय वाले लोग क्या बात करेंगे ? ये लोग हमलोगों से क्या तुलना कर सकते हैं । चरवाहा विद्यालय वाले लोग हमलोगों से बात नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान जारी)

महोदय, इतना ही नहीं,

सभापति (श्री मो0 नेमातुल्लाह): एक सेकेंड । क्या आपकी व्यवस्था है ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, जिस चरवाहा विद्यालय की बात की जा रही है और जिस चरवाहा विद्यालय को कन्डेम करने के स्वर में माननीय सदस्य जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चरवाहा विद्यालय को विश्व बैंक से लेकर जितनी भी बड़ी-बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें हैं, उन्होंने उसको एप्रीशियेट किया था।

(व्यवधान जारी)

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, चरवाहा विद्यालय में बिहार के बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम करते थे और हमारे लोग बिहार के नौजवानों को देश के मानचित्र पर झंडा फहराने के लिये भेजने का काम करता है । यह बिहार वीरों का बिहार है । यहां की धरती उपजाऊ धरती है । सबसे ज्यादा अगर आई0ए0एस0 कहीं का निकलता है तो वह बिहार का निकलता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि :

"बिहार है वीरों का, जहां जानता है,
यह धरती जानती है, आसमां जानता है
पर्वत, पठार और सागर तूफान जानते हैं
और यह नर की बातें छोड़ों, यह तो भगवान जानते हैं ।"

महोदय, इनलोगों को तकलीफ हो रही है । महोदय, हम तो इतना ही कहेंगे, सीनियर्स के द्वारा बड़ी शेरो शायरी हुई । मैं तो जुनियर सदस्य हूं लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं विपक्ष के माननीय सदस्यों को कि -

"गुमनामी बेहतर है दोस्तों बद और बदनामी से,
इज्जत की मौत अच्छी होती है जिल्लत की जिन्दगानी से ।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति ((श्री मो0 नेमातुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार जी ।

श्री राजेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा दिये गये अभिभाषण झूठ के पुलिंदे के खिलाफ बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । महोदय, महामहिम के अभिभाषण में बहुत सारी बातें सुनने को मिली और आरक्षण पर जो बातें आई है, हम निश्चित रूप से आरक्षण के मुद्दे पर बताना चाहते हैं । सभापति महोदय,

आरक्षण के मुद्दे पर हमारे एक साथी बाले रहे थे जिनको कहा जाता है कि यह अमित शाह हैं, अमित शाह जी, जब जाईयेगा तब पता चलेगा कि डबल इंजन की सरकार किस तरह आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर रही है और गांव-दिहात में जो स्थिति बनी हुई है, जो आरक्षण की स्थिति और हालात है, निश्चित तौर पर यह नागपुरिया कानून लागू करनेवाले लोग, गोड्से और जयचंद के रास्ते पर चलनेवाले लोग नहीं चाहते हैं कि दलित, महादलित और पिछड़ा, अतिपिछड़ा को आरक्षण मिले । महोदय, यह उदाहरण है । जो आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित था, आज उस बैरियर को तोड़ने का काम डबल इंजन की सरकार अगर अपनी सहमति के साथ करने का काम किया, निश्चित तौर पर यह आरक्षण विरोधी सरकार है, जिसकी मैं निन्दा करता हूं। यह आरक्षण विरोधी सरकार कदापि नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे गांवों में शिक्षा प्राप्त कर सके ।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो हालात और स्थिति बनी है, सरकारी विद्यालय में किनके बच्चे पढ़ते हैं ? सभी माननीय सदस्य गांवों से आते हैं, आपको अंदाजा लगाना होगा कि गांव के किसान एवं मजदूर के बच्चे चाहे वह किसी भी जाति के मजदूर के बच्चे हों, किसान के बच्चे हों, वे सरकारी विद्यालय में जाते हैं । इस सरकार को शर्म होनी चाहिए कि आज जो हालात सरकारी विद्यालयों का बना हुआ है, कहीं शिक्षक नहीं है । एक शिक्षकीय विद्यालय है, कहीं शिक्षक का अता-पता नहीं है । सरकार कोर्ट का हवाला देकर शिक्षकों की बहाली को रोक कर रखी है । जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी उम्र सीमा खत्म होने के नजदीक पहुंच गयी है, उनके संदर्भ में बात नहीं होती है । गेस्ट टीचर की बहाली होती है । मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि गरीबों से शिक्षा छिननेवाली यह सरकार आरक्षण करने की जो बात करती है, ये बेमानी है, यह आरक्षण दे ही नहीं सकती, शिक्षा की जो स्थिति थी, हम नमन करना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को जिन्होंने गरीबों को आवाज देने का काम किया, गरीबों को अपने पैर पर खड़ा होने का मौका दिये, जो चीज इनके दिल में खटकता है, ये छिनना चाहते हैं, महादलित और दलित के बच्चे पढ़-लिखकर नौकरी में चले न जाए इसके लिये शिक्षा बेमानी हो रहा है । समान शिक्षा की मांग हमलोगों ने किया है और जो स्थिति बना हुयी है, आज घोटोलों की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में 35 घोटाले हुये हैं, सृजन घोटाला की जो स्थिति है, इस घोटाले में फंसे हुये लोग सदन के अंदर भी बैठे हुये है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, आज उसे बचाने का प्रयास हो रहा है ।

क्रमश :

टर्न-17/अंजनी/दि0 13.02.2019

श्री राजेन्द्र कुमार : क्रमश: आखिर सृजन घोटाला से लेकर शौचालय घोटाला, डबल इंजन की सरकार, आखिर सरकार क्या करना चाहती है ? निश्चित तौर पर यह संरक्षित घोटाला है, जिस घोटाला में सफेदपोशों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए सी0बी0आई0 के निदेशक की तबादला की जाती है, यह दुर्भाग्य है । जिस सरकार में मुजफ्फरपुर का कांड है, जिससे दुनियां की नजरों में बिहार की इज्जत गिरी है । हमारी बेटियां शर्मसार हुई है, महिलायें शर्मशार हुई है । महोदय, इस सरकार में बाप के सामने बेटी का जब बलात्कार होता है तो हृदय टूट जाता है । हम सदन में बैठे हुए हैं, सदन के सभी सदस्य साथियों से हम जानना चाहते हैं कि हम सबों के पास भी बेटी और बहन है और जब बेटी का बलात्कार बाप के सामने हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस बाप की हालत क्या होती होगी ? शर्म से डूब जाना चाहिए इस सरकार को और निश्चित रूप से यह लगता है कि सरकार चलाने में अब दम नहीं रह गया है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

ये सुशासन की बात करनेवाले लोग हैं, जो सुशासन की बात करते हैं, ये महफूज नहीं है, न गरीब है, न महिलायें हैं और न दलित है और न पिछड़ा है, आप किसकी बात करते हैं ? शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दिनों जो हमारी सरकार थी, उस समय जब बच्चे बाहर तकनीकी की पढ़ाई करने जाते थे तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ थे । तकनीकी की पढ़ाई के लिए बच्चे को सुविधा दी जाती थी छात्रवृत्ति के रूप में और वह देखकर गांव के गरीब अपने बच्चों को बाहर के प्रदेशों में दाखिला कराया था कि हमारे घर में भी एक डॉक्टर और इंजीनियर होगा । माननीय मुख्यमंत्री जी अन्दर ही अन्दर जयचंद और गोडसे के रास्ते पर चलने वाले लोग इन गरीबों की हत्या करने का काम किया है । जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसको ऋण का रूप दे दिया गया और ऋण का हालत क्या है महोदय ? सदन में वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, गरीब के पास हजार दो हजार रूपया होता है, बैंक में रखता है कि हमारे बच्चे का तबियत जब खराब होगा तो उस पैसे से हम दिखायेंगे । महोदय, बैंक की पॉलिसी माननीय सदस्य जानते हैं कि बैंक की जो नयी पॉलिसी आयी है, उसमें दो हजार से कम रूपया अगर खाते में है तो धीरे-धीरे वह स्वत: बैंक की सिस्टम में समाप्त होते जा रहा है । माननीय वित्त मंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि गरीबों के साथ यह अन्याय क्यों ? आज रोजगार की हालत भी वही है, हमारे बच्चे, युवा साथी पढ़-लिखकर रोड पर हैं और सरकार कहती है कि पलायन रूका हुआ है । आप गांव में जाते नहीं हैं । क्या पलायन रूका है ? आज गरीब तबाह हैं, उनकी स्थिति

बद-से-बदतर है । जब उनके पास रोजगार था, बालू बंदी के नाम पर बालू बंदी करके पांच महीनों तक गरीबों के घर के बच्चों का निवाला छीनने का काम यह सरकार की थी । जब रोजगार की बात होती है तो डबल इंजन की सरकार पकौड़ा बेचने की सलाह देती है युवाओं को, हम निश्चित तौर पर इसकी निंदा करते हैं और यह कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके साथ आप गये हैं, वह कदापि गरीबों का हितकर नहीं हो सकते, वह हमेशा अमीरों के हितकर हैं और अमीरों की बात करते हैं । महोदय, आज जो स्थिति बनी हुई है, सेल्टर हॉम के जो हालात हैं, वह तमाम लोग जान रहे हैं और उसपर जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, उस फटकर पर मुझको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर अन्तरात्मा जगे तो निश्चित तौर पर बिहार को न्याय मिलेगा ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार : आज किसान आत्महत्या करने की स्थिति में हैं । सरकार कह रही थी कि किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, आज आमदनी दुगना करने के नाम पर आप गांव में चले जाइए, 1400 रूपये धान की खरीदारी की बात जो सरकार की थी, खरीदारी नहीं हुई महोदय ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अगर किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात है तो 2800 रूपया होना चाहिए।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, हम बहुत कम समय में समाप्त करेंगे लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज कहना चाहेंगे कि जिस राज्य में माननीय उप मुख्यमंत्री अपराधियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हो कि एक माह के लिए अपराध बंद कर दो तो उस राज्य का क्या होगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललन पासवान ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : श्री ललन पासवान ।

श्री ललन पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिए ललन पासवान जी । आप बोलिए न ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, 40 से 50 साल तक कांग्रेस राज की है इस बिहार में । 15 साल इधर भी, कुछ दिन 6 महीना पहले इधर भी थे । महोदय, जो बिहार था, पहले और उस बिहार की गाड़ी विकास की पटरी से उतर गयी थी और निश्चित तौर से कहा

जा सकता है कि वर्ष 2005 से जो चली और अभी तक बीच में जो गड़बड़ायी थी, पुनः उसी लाईन पर गाड़ी चल रही है । इस तरह से निश्चित तौर से कहा जा सकता है

(व्यवधान)

पहले सुन लीजिए, उसके बाद जो कहना होगा कहियेगा । सत्ता में जब आप दोनों लोग थे, हमलोग एन0डी0ए0 के लोग उधर भी थे और ये बात उनके गले नहीं उतरती है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का संकल्प, हम सभी एम0एल0ए0 हैं, सभी मंत्री रहे हैं, इधर वाले भी रहे हैं लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति और संकल्प सबके बीच में होता है । यह तो आपको कहना ही पड़ेगा कि पर हम नहीं कहें, बिहार की एक-एक जनता यह कहने के लिए तैयार है कि श्री नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरूष हैं । मैं इधर भी था, जरूर में कई सवालों पर खड़ा होता था लेकिन एक बात सुन लीजिए, मा0स0सत्यदेव बाबू सुन लीजिए, क्यों बहस कर रहे है ? आप सुनिएगा तब न । महोदय, विकास की गाड़ी चली है और निश्चित तौर से जो 23 हजार करोड़ था, आज वह दो लाख करोड़ पर गया । वर्ष 2005 से पहले, 1995 में, 1997 में, 1998 में, 1999 में, 1985 में, 1990 में कई सरकारें रही हैं और हमलोग लड़ते रहे हैं छात्रवृत्ति के सवाल पर, कई सवालों पर, आरक्षण के सवाल पर, ऐसी बात नहीं है लेकिन निश्चित तौर पर जो विकास करता है, उसकी बड़ाई करें या न करें, आम लोग कहने लगता है कि जो सड़कों की हालत थी, बिजली की हालत थी, उसमें काफी सुधार हुआ है । हम कैमुरांचल की बात करें, रोहतास की, हम पूछना चाहते हैं, पूरा कैमुरांचल 225 गांव था, वहां के लोगों ने आज तक आजादी के 70 वर्षों में बिजली का बल्व नहीं देखा था और विजेन्द्र यादव और नीतीश जी की अगुवाई में सोलर ऊर्जा चला गया, दोबारा ग्रीड लगने जा रहा है । पहले पीने का पानी नहीं था, चुआड़ी का पानी पीता था, 70 प्रतिशत आबादी आदिवासियों का, 30 से 40 प्रतिशत आबादी गाय पालने वाले यादव समाज का, हमलोगों की आबादी कम है लेकिन आज तक चुआड़ी का पानी ही लोग पी रहे थे और सड़क की लम्बाई 6-6 फीट से कम नहीं, आज जो बैठे हुए लोग हैं लेकिन 12 किलोमीटर चुआड़ी का पानी लेने जाते थे । 40 गांव में सोलर डबल पंप लगाकर नीतीश कुमार जी ने पानी दिया, रेहल जहां कभी आजादी के 70 वर्षों में कोई नहीं गया था, जहां संजय सिंह की हत्या हुई थी, उग्रवादियों ने ठोका था, हत्या कर दिया था लेकिन नीतीश कुमार जी ने जाकर उन गरीबों को, महुआवालों का, सबको...

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप सुन लीजिए, ललित जी आप बोलिएगा लेकिन आपको हम सलाह देते हैं कि धीरे बोलिए, अपनी जगह से बोलिए, आप बीच में आकर जोर से बोलते हैं । जब आप अपनी जगह से बोलना चाहते हैं तो बोल नहीं पाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रशांत किशोर ने इनको कहा, ये अपने बता रहे थे...

अध्यक्ष : आपको जो बतलाये थे तो एसेम्बली में बोलिएगा । आप बोलिए ललन जी । ललन पासवान जी, एक मिनट समय है ।

श्री ललन पासवान : इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां जीवनभर खून से लथपथ पूरा कैमूरांचल था, उग्रवाद आया, जातिवाद आया, हथियारवाद आया और पूरा-का-पूरा कैमूरांचल जान की गुहार लगा रहा था, जो लाशों से पटा था, आज वह पूरी तरह खाली हो गया । ललन पासवान नहीं, कोई आज तक वहां गया भी नहीं, हम वहां जाकर आठ-आठ दिन रहकर, पहाड़ पर घूमकर चले आते हैं । 40 साल बाबू जी और 10 साल बिटिया जी, मीरा कुमार जी लेकिन आज तक कैमूरांचल के उपर, अधौरा की 70 हजार की आबादी, मेरा 30 हजार की आबादी, माननीय अशोक जी का 5 हजार की आबादी, पूरा चेनारी का ढ़ाई-तीन हजार की आबादी सब मिलाकर एक लाख लोग आज तक गुलाम रहा, इनको कहने से पहले यह जरूर कहना चाहिए कि जो व्यक्ति काम करे, उसकी बड़ाई जरूर करें । भले आप पार्टी चलायें लेकिन सच बात बोलने की आदत रखिए ।

क्रमशः..

टर्न-18/राजेश/13.2.19

श्री ललन पासवान, क्रमशः- यह बात ठीक है । जहॉं तक ललित बाबू कह रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात आपसे कहेंगे, चूंकि समय नहीं है, हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और नंदकिशोर भईया जी से कि पंडुका पुल ....

अध्यक्ष: मा0 सदस्य राजेश जी आपको लोग अच्छा सदस्य मानते हैं ।

श्री ललन पासवान: महोदय, पंडुका पुल का जल्दी शिलान्यास हो जाय, भारत सरकार के यहॉं लगा हुआ है, यह झारखंड बिहार को जोड़नेवाली सड़क है, इसका शिलान्यास नहीं होने के कारण लोगों में असंतोष हो रहा है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और माननीय नंदकिशोर भईया जी से कहना चाहेंगे कि इस पुल का जल्द से जल्द शिलान्यास हो और माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे कैमूर में रेहल, उन्होंने कहा था मॉडर्न थाना बनाने का और हम आग्रह भी करेंगे कि वहॉं मॉर्डन थाना हो जाय, सी0आर0पी0एफ0 कैंप हो जाय तब दोबारा उग्रवादियों का हाथ नहीं फैलेगा, उसका हाथ नहीं पसरेगा, यह हम सरकार से मांग करते हैं और ....

अध्यक्ष: ठीक है । अब आप समाप्त करिये ।

श्री ललन पासवान: महोदय, एक मिनट में समाप्त कर देंगे और महोदय दूसरा आग्रह करना चाहेंगे कि संजय सिंह डी0एफ0ओ0 के नाम से गेस्ट हाउस बनाने का कहा था वहॉं पर, वन विभाग को तो वन विभाग के मंत्री और हमलोगों के नेता डिप्टी सी0एम0 यहॉं पर बैठे हुए हैं, तो उसका आदेश हुआ था, अगर वह जल्दी शुरु हो जाता, तो 55 किलोमीटर

रेहल से लेकर अकबरपुर से लेकर अधौड़ा तक, सड़क का टेंडर में शायद चला गया है, माननीय नंद किशोर भईया के यहॉं गया है, इसका जल्दी से टेंडर करा दिया जाय, जनता में पहले असंतोष था लेकिन अब जनता देख रही है माननीय नीतीश कुमार जी की ओर, बिहार का मुख्यमंत्री आजादी के 70 वर्षों में जहॉं कोई नहीं गया है गरीब आदिवासियों का दर्द सुनने के लिए कोई नहीं गया लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के घर जाकर उनके दर्द को सुनें, इससे जनता में विश्वास बढ़ा है ।

अंत में मैं अनुसूचित-जाति, जनजाति का जो रोस्टर क्लीरिएंस बिहार के सभी विभागों में और उसकी वरीयता के आधार पर जो प्रमोशन विगत दो सालों से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो आरक्षण लंबित रहा, उसको सरकार लागू करने का काम करें ।

अध्यक्ष: अब आप बैठिये । आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह ।

श्री अनिल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य अनिल जी आप पॉच मिनट में अपनी बात को समाप्त करियेगा ।

श्री अनिल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के लिए कृतसंकल्पित है । राज्य सरकार राज्य की जनता की मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, गली, नाली, पुल, पुलिया आदि के लिए कृतसंकल्पित है तथा महिलाओं एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च व्यवसायिक शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा और कौशल विकास करने का कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य में सुशासन की सरकार है, अपराध पर रोकथाम करने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है और इस दिशा में सरकार अपना कार्य कर रही है, आज अपराधी लगातार पकड़े जा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण महोदय अभी दो चार दिन पहले मुजफ्फरपुर की घटना हुई और 24 घंटा नहीं बीता, संपूर्ण सामान के साथ सारा रिकभरी किया गया, यह इस सरकार की उपलब्धि है । महोदय, एन0डी0ए0 सरकार शराबबंदी और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, प्रतिदिन लोग पकड़े जा रहे हैं, कई माननीय सदस्य हमारे कह रहे थे, चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे शौचालय घोटाला हो, भ्रष्टाचारी एक-एक कर पकड़े जा रहे हैं, यह सरकार की रोकथाम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, आज बड़े-बड़े पदाधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं । महोदय, सरकार द्वारा शराबबंदी के क्षेत्र में जो काम किये गये, लोगों के खिलाफ आई जागरुकता के मद्धेनजर राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी बिहार को पुरस्कृत करने का काम किया है । आज महोदय, कई वक्ताओं को देखा, बोल रहे थे, कुछ बिन्दु पर हम कहना चाहेंगे कि जिसतरह से आज हमारी सरकार ने युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए उच्च व्यवसायिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा और

कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रही है, तो स्वाभाविक है कि यह विरोधी पक्ष के लोगों को पसंद नहीं आयेगा, क्योंकि इन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया था और हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कई विद्यालय तकनीकि शिक्षा, कौशल शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, तो निश्चित रुप से तो दर्द होगा ही महोदय और उस दर्द की ही परिणति थी कि किसी तरह से हंगामा मचावें, मैं तो कहूंगा कि संपूर्ण सदस्य यहॉ पर जब आये हैं और सरकार के द्वारा किये गये कार्यो की उपलब्धियों को जरुर हम बताए और कमियों को भी हम इंगित करे और जहॉ उसमें सुधार की जरुरत हो, तो उसमें हम सरकार को सुझाव भी दें, यह हमारा आग्रह होगा तमाम सदस्यों से । महोदय, महिलाओं के शैक्षणिक, तकनीकि और आर्थिक रुप से सशक्त बनाने का राज्य सरकार और एन0डी0ए0 की सरकार में कई योजनाएँ चला रही हैं, जिसमें बालिकाओं को संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वावलंबन को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कन्या भ्रूण हत्या और जन निबंधन प्रोत्साहन करने और दो वर्ष की बालिकाओं को संपूर्ण टीकाकरण और लिंग अनुपात में वृद्धि, बालिका शीशु मृत्यु दर को कम करने, बालिका शिक्षा को बढ़ाने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, कुल प्रजनन दरों में कमी लाने और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्धेश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलायी जा रही है महोदय, जिसके तहत अब लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 54 हजार 100 रुपये मिलेंगे महोदय, राज्य सरकार गरीबों के बेहतर उच्च और तकनीक शिक्षा को सुलभ कराने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पोलिटेकनिक कॉलेज की स्थापना की जा रही है ताकि बिहार के छात्र इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे और बच्चियों को राज्य से बाहर न जाना पड़े । अब तक राज्य में 23 सरकारी एवं 7 प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने जा रही है सरकार, महोदय केन्द्र की मोदी सरकार ने गरीबों को समुचित इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है और यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में सालाना पॉच लाख रुपये तक का खर्च कर अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं गरीब परिवार, इस योजना में बिहार में 1 लाख 8 हजार 951 परिवार लाभान्वित होंगे जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ 29 लाख 955 एवं शहरी क्षेत्र में 8 लाख 65 लाख 551 परिवार लाभान्वित होंगे । महोदय राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 154 सरकारी अस्पताल 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 बेड वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुल 60 प्राईवेट अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है जहॉ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जनता अपना इलाज करा सके और गरीबों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके । महोदय, राज्य में अतिरिक्त 11 मेडिकल कॉलेज ....

अध्यक्ष: मा0 सदस्य अनिल जी अब आप समाप्त करिये ।

श्री अनिल सिंह: और 1 कॉलेज खोले गये हैं और इसके अलावे 250 एम्बुलेंस की व्यवस्था तथा 150 सेंटर की आपूर्ति की गयी है महोदय और अस्पतालों में कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए टॉल फ्री नम्बर दिये गये हैं । अध्यक्ष महोदय मेरा एक आग्रह होगा सरकार यहॉं बैठी हुई है और माननीय उपमुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन की वजह से इतने कॉलेज खोले जा रहे हैं तो मेरा एक सुझाव होगा कि नवादा में भी एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था किया जाय, यह मेरा सरकार से आग्रह होगा और मैं महागठबंधन के साथियों से और आर0जे0डी0 के एक साथी कह रहे थे आरक्षण पर फोकस करने का काम किया है महोदय, तो यह सरकार सबका साथ सबका विकास गरीबों के सर पर छत हो, सबों को साथ लेकर चलने के लिए कृत संकल्पित है और सामान्य जाति के भी गरीब लोगों को जीने का एक अवसर मिले, उसके लिए सरकार ने काम किया है तो इनके पेट में दर्द हो रहे हैं महोदय, जब 50 प्रतिशत के आरक्षण सीमा पर सरकार ने हाथ तक नहीं लगायी, तो 10 प्रतिशत अगर सामान्य जाति के लोगों को आरक्षण दिया है तो महागठबंधन के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा, आज नीतीश कुमार जी का ही चेहरा था जिसके बदौलत आप इस सदन के अंदर हल्ला करने के लायक भी है, वरना आप इस काबिल भी नहीं रहे थे, जो हल्ला करते और फिर आने वाला कल फिर उसी संख्या पर आकर रुकेंगे, यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष: अब आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ । आप तीन चार मिनट में समाप्त कर दीजिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, हम महामहिम के अभिभाषण के विपक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । आज निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो परिपाटी रही है उसके हिसाब से चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह चिकित्सा हो, पहले के समय में हम देखते थे, आज के दिन में हम देखे हैं कि जहॉं पर कॉलेज की स्थिति रही है, यूनिवर्सिटी का स्थिति रहा है, यह निश्चित तौर पर जो आपको दिखता है, वह सारे समाज को दिखता है । आप यह कह सकते हैं कि जो पहले था आज नहीं है लेकिन आज आप कर क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं, गुणवत्ता का कहॉं ख्याल है, आप जो भी कर रहे हैं निश्चित तौर पर लगता है कि यह स्टीमेट घोटाला के तौर पर पूरे बिहार में स्थापित होने का काम कर रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न-19/सत्येन्द्र/13-2-19

श्री समीर कुमार महासेठ(क्रमशः): आप जहां चले जाईए, आप कह रहे थे, हमलोगों ने देखा है पहले जो इन्दिरा आवास था, अभी अर्बन एरिया में जो इन्दिरा आवास दिया जा रहा

है,भवन दिया जा रहा है, कहीं भी 10 हजार से 25 हजार से कम किसी को अगर मिल रहा होगा पूरे प्रदेश में तो उसकी चर्चा हो सकती है । प्रधानमंत्री आवास, आज जो इंश्योरेंस सेक्टर में हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में मधुबनी में किसानों से लोग पैसे लिये इंश्योरेंस के नाम पर और वह इंश्योरेंस का पैसा समय पर नहीं जमा हुआ जिसके चलते पूरे किसानों को इस बार उससे पैसा नहीं मिल पाया । आज आप अभी क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि जहां पर सी0ए0जी0 का रिपोर्ट है और बिहार में चालीस घोटाला का आप देख रहे हैं कि जो चर्चा हो रही है जिसमें सृजन सबसे पहले रहा, आखिर सृजन का क्यों आवश्यकता पड़ी, कैसे वह हुआ, जब आप तह में जायेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कमियां थीं आपके सिस्टम में इसलिए उसका फायदा उठाया गया जो आज कह सकते हैं कि हम 13 प्वायंट आरक्षण की बात करते हैं । पहले भी यूनिवर्सिटी में होता था, एक जगह से होकर होता था और देन आफटर कि हमलोग जहां भी जो जिनका अधिकार होता था उनको किया जाता था । क्यों इस तरह की बातें हो रही है, जिससे जो आरक्षित हैं उनको हम मरहूम करने का प्रयास कर रहे हैं । मेरा आग्रह होगा कि आज सड़क पर चाहे रसोईया हो, चाहे बेल्ट्रॉन के द्वारा जहां जहां पर लोग काम कर रहे हैं । आठ हजार से बारह हजार के पैसे पर हम काम करा रहे हैं । क्या यह संभव नहीं है कि उनको उचित पैसा दिया जाय और कहीं भी हम देख रहे हैं कि जो पहले का है और दिव्यांगों की बात, उस जिस रूप में रखा गया, हम कह सकते हैं कि आज उस रूप में जो एक होना चाहिए, एक भारत के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, हमारे बिहार में जिस ढंग से रखा जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं हमको भी ध्यान देने की आवश्यकता है । आज हम कह सकते हैं कि दिव्यांगों के प्रति अगर बालिका गृह की जो कांड है, पूरे बिहार में अगर उसमें देखा जायेगा तो सबसे ज्यादा दिव्यांगों से लोग आते हैं । दिव्यांगों से इसलिए आते हैं कि वे बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते है, उनके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है वह नहीं बता पाते हैं तो हमें कहीं न कहीं उन पर विशेष ध्यान देकर के उनको स्थापित करने की आवश्यकता है । बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद पर अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मुख्यमंत्री ।

सरकार का उत्तर

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल से चर्चा प्रारम्भ हुई और इसमें अपनी बात रखने वाले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूॅ । यह एक ऐसा वक्त होता है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुरूप जिस विषय को वह महत्वपूर्ण समझते हैं, उस पर अपनी राय रखने का अवसर प्राप्त होता है । सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है । अभी

अब्दुल बारी सिद्दिकी साहब बोल रहे थे मैं उनकी बात यहां पर बैठकर सुन रहा था उन्होंने अपनी बात के दौरान और अभी भी एक माननीय सदस्य इस बात की चर्चा कर रहे थे, विश्वविद्यालयों में नियोजन के लिए, शिक्षकों के नियोजन के लिए जो प्रावधान पहले था, अब वह स्थिति बदली है । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस पर सब लोगों ने अपनी बात रखी है । यह बात सही है अगर हमलोगों की राय, पूरे सरकार में जो शामिल हैं सब लोगों की राय एक है जो आप व्यक्त कर रहे हैं, जो भी होना चाहिए जो आरक्षण मिला हुआ है अनु0 जाति, जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों को जिसमें बिहार में दो कैटेगरी है, एनेक्चर-1 और एनेक्चर-2 । इन सबों को जो आरक्षण का प्रावधान है और उसके हिसाब से जो नियोजन हो रहा था तो उसमें यूनिवर्सिटी में जितने पोस्ट वेकेंट होते हैं, उस हिसाब से वह आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाता था। अगर विभागवार आरक्षण का प्रावधान लागू हो जायेगा, जैसा कि आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का तो फिर अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इसलिए हम सब लोगों की राय एक है कि जो पहले का प्रावधान है वही रहना चाहिए । इसके लिए आप लोगों ने जो अपनी बात रखी है और जानकारी मिली है, इसके संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है और वह यह है कि केन्द्र सरकार ने जो पेटिशन दायर किया था वह भी स्वीकृत नहीं हुआ तो रिवीजन पेटिशन दायर करने की बात वे लोग सोच रहे हैं। इसके बाद भी जो नतीजा आये और तब इसके बाद कोई राष्ट्रीय स्तर पर भी केन्द्र सरकार इसके बारे में पहल करेगी ,यह हमलोगों को उम्मीद है और यह बात सही है । यह तो एक तरह का, जिसको कहिये बहुत बड़ा नुकसान है, मेरी समझ से यह न्याय नहीं है इसलिए हम सब लोगों को एक मत से और मैं तो ये कहूंगा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कभी कभी समय निकाल कर के इस विषय पर एक साथ सदन में चर्चा करनी चाहिए और सदन को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए । वह प्रस्ताव जाये केन्द्र सरकार के पास । इसलिए ये चीज और इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, जहां तक बिहार का सवाल है, हमारे यहां जो भी नियोजन बी0पी0एस0सी0 के थ्रू हो रहा है, चयन हो रहा है उनके माध्यम से, उसमें जो पुरानी प्रक्रिया है उसी के हिसाब से उनको दिया हुआ है उसके हिसाब से चल रहा है इसलिए कल लेकिन जैसा कि आदेश आया है उसके हिसाब से कल तो उसका असर पड़ जायेगा नयी नियुक्तियों में, तो इसलिए हम सब लोगों को एकमत होकर के अपनी बात बिल्कुल ठीक ढंग से यह कोई पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। ये तो जब आरक्षण दिया गया है तो उस आरक्षण का लाभ अनु0जा0 जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को मिलना ही चाहिए इसलिए हमलोग इसमें एक मत हैं इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है और अन्य सारे मसलों पर आपलोगों ने बात रखी, मैंने मुनासिब समझा कि इस विषय पर जो बात आयी है एकमत

और एक बात अच्छी तरह जान लीजिये । हमलोगों की राय तो बहुत स्पष्ट है आरक्षण के मामले में, अभी जो आरक्षण का विधेयक आयेगा उस पर चर्चा होगी । यह तो संविधान में संशोधन करके जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है और उसका लाभ जो भी अनारक्षित वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, उन सब को इसका लाभ मिल सकता है । यह एक प्रावधान किया गया है और पहले से जो संविधान का प्रावधान था वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनके आरक्षण का प्रावधान था और शुरू हुआ अनुसूचित जाति और जन जाति से, बाद में केन्द्र में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गयी, अन्य पिछड़े वर्गों को मिलना शुरू हुआ । राज्यों में हमलोगों के यहां जननायक स्व0 कपूरीं ठाकुर जी के कार्यकाल में यहां पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया दो खंड में, तो यह सब तो पहले से चल रहा है लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंडल कमीशन के सिलसिले में जो वहां से निर्णय आया उस सिलसिले में 50 प्रतिशत की उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी है कि आरक्षण का लाभ 50 प्रतिशत का होना चाहिए तो वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए उस समय आरक्षण था और उसमें वह सीमा है । संविधान में संशोधन कर के उसके अलावे जो 50 प्रतिशत की सीमा अनु0 जाति जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है उसके अलावे जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं आर्थिक आधार पर उनके आरक्षण के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है उसके अतिरिक्त है और उससे जो 50 प्रतिशत की सीमा है उसके अन्दर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन इसके बाद बात तो पूरी सुन लीजिये, आरक्षण पर कितना बोले होंगे, मेरे बारे में भी पता कर लीजिये, जब हम विधायक भी नहीं थे , जननायक कपूरीं ठाकुर जी जो आरक्षण लागू किये, उस समय जो फार्मूला की बात हुई, उस समय उम्र नहीं आपकी होगी नहीं जानते होंगे कि बहुत ही युवा अवस्था में हमलोग क्या कर रहे थे इसलिए उन बातों की चर्चा छोड़ दीजिये । हमारी तो राय है कि साहब जो सेंसस हो अगली बार, एक तो शुरू से ही हमलोगों की राय रही है कि कास्ट बेस सेंसस होना चाहिए । आज जो जनगणना होती है, उसमें सिर्फ अनु0जा0 और जन जाति का कास्ट बेस सेंसस हो जाता है इसके आलावे जो अलग अलग धर्मो के लोग हैं उनकी गणना हो जाती है (क्रमशः)

टर्न-20/मधुप/13.02.2019

...क्रमशः...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : लेकिन कोई जाति आधारित सेन्सस नहीं होता है और यह हमलोगों की प्रारंभ से मॉग रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड सेन्सस

होना चाहिए । 1931 के बाद, आजादी के पहले ही 1931 में अंतिम कास्ट बेस्ड सेन्सस हुआ, उसके बाद नहीं होता है । हमलोगों ने यह सवाल 1990 में भी उठाया था । हम उस समय सांसद थे, केन्द्र में आदरणीय वी0पी0 सिंह जी की सरकार में मैं राज्य मंत्री था, ज्ञानी जैल सिंह, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने मुझको बुलाया था और मुझको कहा कि कास्ट बेस्ड सेन्सस होना चाहिए । उनकी बात सुनने के तत्काल बाद हम मधुलिमये जी के यहाँ गये, हमलोगों के नेता मधुलिमये जी थे, वहीं पर मधु दंडवते जी भी बैठे हुए थे, हमने कहा कि ऐसी बात है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है । तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के पास जाकर हमने पत्र समर्पित किया और उसके बाद यह हुआ कि 1990 हो गया है, सेन्सस का काम शुरू हो गया है इसलिए अब कास्ट बेस्ड सम्भव नहीं है । यह उस समय की बात मैं बता रहा हूँ । इसके बाद भी इसकी माँग होती रही है लेकिन 2011 का जो हुआ है, उसमें एक सोशियो इकोनोमिक कास्ट सर्वे लोगों ने कराया, वह सेन्सस नहीं है । जनगणना के अतिरिक्त उनलोगों ने एक सर्वे कराया और सर्वे भी कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ । हम सब लोगों ने इसके लिए प्रयास किया कि जो भी सर्वे है उसमें अलग-अलग जातियों का फिगर आया है, उसको घोषित किया जाय लेकिन वह सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ । सर्वे हुआ है कि एक ही जाति का अलग-अलग इलाके में अलग-अलग नाम है, उसके चलते वह कोई फिगर तैयार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सर्वे उपयुक्त नहीं है जो 2011 में हुआ । अब 2021 की जो जनगणना होगी, यह कास्ट बेस्ड सेन्सस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, यह हमलोगों की माँग है । हमलोग इस राय के हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहूँगा कि इस सदन के द्वारा एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके यह भी केन्द्र को भेज दिया जाय कि 2021 का जो सेन्सस होगा, वह कास्ट बेस्ड हो । हमलोग सब इस राय के हैं । जब एक बार कास्ट बेस्ड सेन्सस हो जायेगा तब सही मायने में सभी वर्ग के लोगों की जनसंख्या के बारे में मालूम होगा । अभी आप सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की जो जनसंख्या है, वही आप जान सकते हैं । बाकी सब लोगों की जनसंख्या होगी, तो फिर जो आज 50 प्रतिशत की सीमा है, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की, उस सीमा को बढ़ाकर जाति की जो जनगणना है, उसके हिसाब से भी रिजर्वेशन को बढ़ाया जाय, एक खास प्रतिशत निर्धारित किया जाय कि किसका कितना प्रतिशत रिजर्वेशन आरक्षण में हो सकता है । इस बात के लिए हमलोग प्रयास करेंगे और इस बात के लिए दो राय कहाँ हो सकती है! हम सब इस राय के हैं लेकिन अब जो नया संविधान का संशोधन हुआ है और अनारक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर अगर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसका किसी को भी विरोध करना चाहिए । यह सबके हित में है । कोई एस0सी0/एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वह उसमें किसी

भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, वह एक पृथक आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है । हमलोग अगर चाहते हैं कि एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 सबका आरक्षण बढ़े तो कास्ट बेस्ड सेन्सस हो जाय और उसमें एक नियम और एक कानून बन जाय कि इतना प्रतिशत कम से कम आरक्षण का लाभ लोगों को मिलेगा । उसके बाद फिर नये सिरे से हो जाय। (व्यवधान) इसलिए हमने कहा कि अलग से भी प्रस्ताव कर सकते हैं । हम तो ऑफर दोनों बात के लिए कर रहे हैं । (व्यवधान) क्यों ? बी0जे0पी0 के लोग तैयार नहीं हैं ? साथ में सब तैयार हैं । सभी तैयार हैं । (व्यवधान) एकमत हैं तब बैठिए न।

अध्यक्ष महोदय, जब सब लोगों की राय एक है तो मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप ही निर्धारित कर दें, कल करियेगा, परसों करियेगा, जिस दिन भी करिये, इन दोनों चीजों पर एक साथ हमलोगों को कर देना चाहिए ताकि पता चले कि बिहार में इन सब चीजों के बारे में कोई अलग-अलग ओपिनियन नहीं है । एक बात ।

इसके अलावे, जो मूल रूप से बात होती है, राज्य की जिम्मेवारी है, जो भी स्टेट को, सेन्टर को जिम्मेवारी दी जाती है, संविधान में दी गई है और उसके बाद फिर कॉमन जिम्मेवारी है केन्द्र और राज्य की, उसमें राज्य को पहली जिम्मेवारी है पब्लिक ऑर्डर की, लॉ एण्ड ऑर्डर की, विधि-व्यवस्था की । इस सवाल पर भी सब लोगों ने बहुत तरह की बात कही है, तो मैं कुछ चीजों के बारे में चर्चा कर देना चाहता हूँ, जो बात होती है, जो फिगर है, 2001 से 2005 के बीच गंभीर अपराधों के परिप्रेक्ष्य में हत्या के प्रतिवर्ष औसतन 3638, हत्या के औसतन एक साल में 3638 2001 से 2005 के बीच में, डकैती के 1249, लूट के 2425 तथा फिरौती हेतु अपहरण के 356 कांड प्रतिवेदित हुए और विगत 5 वर्षों में, जिस तरह से 2001 से 2005 का फिगर है, उसी तरह से तुलना 2014 से 2018 के बीच में, हत्या के प्रतिवर्ष औसतन, हत्या का एक साल में पहले था 3638 2001 से 2005 के बीच में, अब है 2980, डकैती का पहले था 1249, अब है डकैती का 383, लूट का था 2425, अब है लूट का 1595, फिरौती हेतु अपहरण का पहले था 356, अब वह 49 हो गया है । इसके अलावे केन्द्र के द्वारा आंकड़े जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो NCRB के द्वारा जो अंतिम प्रकाशित हुआ है संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत, इसका दर निर्धारित है 1 लाख की आबादी पर, प्रति लाख की जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत है संज्ञेय अपराध का अभिलेख ब्यूरो में, NCRB द्वारा वर्ष जो प्रकाशित है, सबसे लास्ट जो प्रकाशित हुआ है उसका आंकड़ा है, उसके हिसाब से हुआ है कि राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख की जनसंख्या पर संज्ञेय अपराधों की संख्या है 233.6 राष्ट्रीय स्तर का एवरेज है एक लाख की आबादी पर क्राइम का, संज्ञेय अपराध का 233.6 है और बिहार में यह 157.4 है, राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध का दर है, उस आधार पर । इसका अगर पूरे देश का नम्बर देखियेगा तो अपराध में बिहार का नम्बर है 22वॉं, अन्य राज्यों की तुलना में अपराध दर के आधार

पर हत्या के मामले में बिहार का नम्बर है 17वॉं, डकैती में 15वॉं है, लूट में 18वॉं है, बलात्कार में 34वॉं है, गृह-भेदन में 28वॉं है, चोरी में 20वॉं है, सामान्य अपहरण में 13वॉं है, फिरौती हेतु अपहरण में 23 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ, अंतिम स्थान पर है । महिलाओं के विरूद्ध अपराध में 29वें स्थान पर है । वर्ष 2018 में डकैती, दंगा, गृह-भेदन आदि कई मुख्य शीर्षों में अपराध में कमी आई है ।

अपराध के बारे में जो बातें बता दी जाती हैं, वह यूं ही कहने के लिए बात की जाती है । मीडिया में खबर छपती है । क्यों नहीं छपेगी मीडिया में ? मीडिया की आजादी है । आप देखियेगा कोई भी अखबार उठाकर, कम से कम एक पेज में पूरे में अपराध की खबरें छपती हैं । पहले क्यों नहीं छपती थी ? चूंकि पहले संख्या बहुत थी, अब संख्या घट गई है तो अब सब कुछ छाप देता है । चूंकि पहले बहुत संख्या थी तो नहीं छाप पाते हैं, आजकल संख्या घट गई है तो छाप देते हैं । आप सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, 2001 से 2005 के बीच का और 2014 से 2018 के बीच में, हमने आपको तुलनात्मक आंकड़ा दे दिया । अब आप समझ लीजिए, 2001 से 2005 के बीच में जितनी आबादी थी, आज 14 वर्षों के बाद 2014 से लेकर 2018 के बीच में आबादी की संख्या 30 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ी है

...क्रमश:...

टर्न-21/आजाद/13.02.2019

...... क्रमश: ....

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : और अपराध के आंकड़े नीचे गये हैं । आबादी बढ़ रहे हैं और अपराध के आंकड़े नीचे जा रहे हैं । लेकिन कोई कहेगा कि पूरा समाज अपराधमुक्त हो जायेगा, यह आदर्श कल्पना है और इसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और दुनिया में यह कहीं भी संभव नहीं हो पाता है । चूँकि मनुष्य का स्वभाव है, कई लोगों की आदत ऐसी है । उनके लिए न सिर्फ कानून बल्कि सामाजिक तौर पर लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए और वो करते रहना भी चाहिए । आप सब कुछ कीजियेगा और आप सोच सकते हैं कि कोई अपराध नहीं करेगा, घर के अन्दर अपराध होता है । कौन नहीं जानता है, एक-एक व्यक्ति को मालूम है, अपने क्षेत्र का अपने इलाके का सबको मालूम है । यहां तक कि घर के अन्दर अपराध होता है तो कोई अपराध करता है, अपराध तो अपराधी करता है । लेकिन कोई कानून बन जाने मात्र से और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस तंत्र हो जाने मात्र से क्या दुनिया भर में अपराध खत्म हो गया ? सबको मालूम है कि अगर हम हत्या करेंगे तो हमें फॉसी की सजा होगी या आजीवन कारावास होगा, तब भी करता है । किस तरह की बातें होती है तो समाज में कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है । जो भी हो, हमने थानावार लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा की, हम लगभग 6 महीना में एक बार जरूर पूरे तौर पर समीक्षा करते हैं । हमने समीक्षा की है

और हमने कहा कि हमको चाहिए थानावार विश्लेषण, आप एक-एक थाने को देखिए और थाने के अन्दर भी आप अलग-अलग इलाके को देखिए और अध्ययन करिए कि कोई मर्डर का केस, कोई डकैती का केस या अन्य अपराधों का केस किस इलाके में ज्यादा होता है और फिर ध्यान केन्द्रित करिए वहां, यह हमने दिशा-निर्देश दिया है और एक-एक थाने के अन्तर्गत और एक-एक चीज का अध्ययन करके लोगों ने किया है और उसके हिसाब से थानों की ग्रेडिंग करने की बात कही है कि थानों का ग्रेडिंग इन लोगों ने पहले से कर रखा है लेकिन अपराधिक स्थिति के हिसाब से थानों की ग्रेडिंग कीजिए और कहां-कहां, किस चीज के लिए संसाधन की जरूरत है, उसका प्रबंध कीजिए । यह हमने दिशा-निर्देश दिया है और उसके हिसाब से सब लोगों ने काम भी करना शुरू किया है । आप जान लीजिए एक बात, हमलोगों ने जो पुलिस एक्ट बनाया 2007 में, उसमें ही प्रावधान किया है और हम लगातार इस बात के लिए इनसिस्ट कर रहे हैं कि साहेब थानों में क्राईम होता है, थानों में जितने भी उसके लिए हमने पद भी बढ़ाया, सिपाही का पद , आप समझिए सब-इन्सपेक्टर का पद, डी0एस0पी0 का पद सब हमलोगों ने बढ़ाया है और नियुक्तियां भी हो रही हैं । सब चीज के बाद थानों की स्थिति को देखकर के अलग-अलग ग्रेड बनाईए और वहां कितने थानेदार, कितने सब-इन्सपेक्टर की जरूरत है, कितने ए0एस0आई0 की जरूरत है, कितने पुलिसकर्मियों की जरूरत है, सब चीजों का आप आकलन करिए । सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हर थाने में जो अनुसंधान का काम है, जो इनवेस्टिगेशन का काम है, उसके लिए अलग समूह होना चाहिए, बाकी लोग लॉ एंड ऑर्डर को देखें । लेकिन जो अनुसंधान का काम है, इनवेस्टिगेशन का काम है, उसके लिए आईडेन्टीफायड होना चाहिए और हर थाने में यह जिम्मेवारी दी जानी चाहिए । अभी जो मुझको इन लोगों ने फिगर दिया है, इसमें 341 थानों में विशेष अनुसंधान इकाई गठित करके गंभीर अपराधों का अनुसंधान पेशेवर ढंग से कराना प्रारंभ कर दिया है । यह मेरा इनसिस्टेंस था, इतने थाने हो गये, लेकिन अब बचे हैं 760 थाने और उन थानों में भी हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह व्यवस्था हो जानी चाहिए ताकि इनवेस्टिगेशन का काम किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हो और कितने इनवेस्टिगेशन के लिए सब-इन्सपेक्टर होंगे, यह आपको निर्भर करेगा थानों का क्लासिफिकेशन कर लीजिए कि कितना क्राईम है, उसके हिसाब से वहां इनवेस्टिगेशन के लिए टीम बना दीजिए हर थाने में और यह सुनिश्चित होना चाहिए और हमने यह भी दिशा-निर्देश दिया है कि एस0पी0 ट्रांसफर-पोस्टिंग करते हैं तो अगर आपने अनुसंधान करने वाले किसी का ट्रांसफर किया है तो उनकी जगह पर अनुसंधान करने वाला ही इन्सपेक्टर आना चाहिए । इसको आप इनस्योर करिए ताकि किसी भी सूरत में ट्रांसफर-पोस्टिंग से भी कोई थाने का अनुसंधान प्रभावित नहीं हो तो 314 थानों में इन लोगों ने शुरू कर दिया है और 760 थाना बना है और इसमें हमने स्पष्ट

दिशा–निर्देश दिया है और मुझको पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ने आश्वस्त किया है कि एक महीने के अन्तर्गत इस काम को पूरा कर लिया जायेगा, एक महीने के अन्दर हर थाने में अनुसंधान के लिए अलग टीम होगी । क्राईम रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए बाकी टीम अलग से रहेंगे । लेकिन अनुसंधान करने वालों की टीम रहेगी तो जल्दी से जल्दी अनुसंधान होगा और उस हिसाब से कोर्ट में जो भी जाना है, चार्जशीट जाना है, उसके आधार पर कोर्ट में सुनवाई भी होगी, यह काम हमलोगों ने इसके लिए किया है । अनुसंधान और विधि–व्यवस्था दोनों की जिम्मेवारी अलग–अलग सौंपने की बात है । मुझको भरोसा है और हम निरंतर इसकी मोनेटेरिंग कर रहे हैं । अब अंतिम आश्वासन है कि एक महीने के अन्दर ये सभी लोग काम पूरा कर देंगे । हालांकि हमको तो ये लोग बता रहे थे 15 दिन लेकिन हम समझे कि ये 15 दिन कह रहे हैं, इसलिए हमने कह दिया एक महीना तो एक महीने के अन्दर ....

(व्यवधान)

पहले बोल लेते, ऐसा कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो अलग से भी आकर मिलकर दे दीजियेगा । कोई रिश्ता गड़बड़ है हमारा और आपका । आकर कभी भी बता दीजिए, हम जरूर ध्यान देंगे ।

फिर अब इसके अलावे जो भी क्राईम कंट्रोल के लिए और सब हो रहा है, उसके लिए पूरी चौकसी, अगर आप चाहेंगे अध्यक्ष महोदय तो मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो इधर हाल में अब जैसे महिला अपराध का, छपती है खबरें, स्वभाविक है छपना भी चाहिए तो महिला अपराध के मामले में अगस्त,2018 में भोजपुर जिला के बिहिया में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने से संबंधित कांड में मात्र 90 दिनों में अनुसंधान और अभियोजन सुनिश्चित कराया गया और कोर्ट के द्वारा 20 अभियुक्तों को सजा मिली । इन सब चीजों के लिए हमलोग कितना कॉसस रहते हैं । अब एक इन्सीडेन्ट का और जिक्र कर दें, 6 फरवरी, 2019 को करीब 11.45 बजे सदर थाना अन्तर्गत भगवानपुर चौक स्थित मुथुट फाईनांस कम्पनी के कार्यालय करीब 5 से 8 की संख्या में आये अपराधकर्मियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना में एक बैंककर्मी साधारण रूप से जख्मी हो गया । घटना में लगभग 2 लाख रू0 नकद एवं 32 किलोग्राम सोने के आभूषण लूटे गये । लूटे गये आभूषण की कीमत 10 करोड़ रू0 आंकी गई । सदर थाना कांड सं0– 100/19 दिनांक 6.2.19 धारा–395, 397 में दर्ज किया गया । कांड के उद्‌भेदन हेतु नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया । घटना स्थल पर मिले साक्ष्य और तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्तचरों की सूचना के आधार पर घटना में शामिल 6 अपराधकर्मियों की पहचान की गई । दिनांक 10 फरवरी, 2019 को एक अभियुक्त को उसके गांव समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार कर लूटे गये आभूषण में से करीब डेढ़ किलो आभूषण

बरामद किया गया । अग्रेतर अनुसंधान के कम में बेगूसराय में एक जगह पर उसके एक क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर वैशाली जिला में महुआ थाने में दूसरे को गिरफ्तार किया गया और उसके पास लूटे गये आभूषण में से करीब 25 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण बरामद कर लिया गया । अभी तक लूटे गये 32 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण में से 26.5 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण बरामद कर लिया गया । शेष आभूषण एवं नकद राशि की बरामदगी एवं डकैती में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है । यानी पुलिस का एक्शन, फिर आपको किशनगंज जिले में सामूहिक बलात्कार की घटना की भी अभी हाल में बहुत चर्चा हुई । 4 फरवरी, 2019 की रात्रि में इस्लामुद्दिन, पत्थरघट्टी थाना कोढ़ोबारी जिला किशनगंज और उनकी पुत्री, इस्लामुद्दिन को पुत्री सहित फैज आलम एवं अन्य पॉच लोगों के द्वारा जबर्दस्ती घर से खींचकर सड़क पर ले जाया गया .... क्रमशः ....

टर्न-22/शंभु/13.02.19

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः.......तथा उन्हें मोटर साइकिल पर जबरन बैठाकर वहां से दूर ले जाकर पिता के सामने ही पुत्री से सामूहिक दुष्कर्म किया गया । यह घटना बहुत प्रकाश में आई । इसके उपरांत अपराधकर्मियों द्वारा पीड़िता एवं उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी गयी । इस घटना की सूचना कोढ़ोबाड़ी थाना को दिनांक 06 फरवरी, 2019 को मिली । उसके उपरांत कोढ़ोबाड़ी थाना कांड सं0-10/19, दिनांक-06.02.19, धारा-376(2)8/506/34 विरूद्ध फैज आलम, पे0 खलिउर रहमान, साकिन कुढ़ैनी सहित छः नामजद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया । पीड़िता की चिकित्सकीय जॉच में बलात्कार की पुष्टि हुई । पीड़िता का बयान धारा 164 के अन्तर्गत दर्ज कराया गया तथा पीड़िता के वस्त्र इत्यादि को जॉच हेतु एफ0एस0एल0 भेजा गया । अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज के नेतृत्व में एस0आइ0टी0 का गठन किया गया । एस0आइ0टी0 द्वारा अब तक कांड के नामजद अभियुक्त मो0 कासिम, अंसार आलम, अब्दुल मन्नान और कलवा सब किशनगंज जिले के, गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उसके बाद बाकी जो दो अभियुक्त हैं वह 11 फरवरी को फैज आलम और तकसीर आलम ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है । इतनी तेजी से पुलिस का अनुसंधान का काम और सबकुछ हो रहा है। इसलिए यह कहना.......

(व्यवधान)

बैठ जाइये । मॉब लिंचिंग कहां हो रहा है जरा बताइयेगा । मॉब लिंचिंग पर सुनना चाहते हैं तो धैर्य से सुनिये । मॉब लिंचिंग है कहां ? एक मिनट बैठिए न । आप तो बोल दिये, अब हम और चीज बतानेवाले थे, मॉब लिंचिंग ही बोल दिये । अब मॉब लिंचिंग शब्द

की कहानी चली है उत्तर प्रदेश से...सुनिए न । जो चला है यह तेजी से वह वहां पर कम्युनल क्लैश से चला है, लेकिन बिहार में मॉब लिंचिंग की कहानी चलती है। अब आप बताइये इसके पक्ष में कौन होगा कि मॉब को निकलकर के किसी को मार देना चाहिए । अगर किसी ने अपराध भी किया है तो उसको मार देना चाहिए, यह लीगल काम तो नहीं है, लेकिन जरा सा यह बताइये कि किसी के घर में कोई चोरी करने गया और वह धरा गया और उसको पकड़कर पीटने लगा और गांव के लोग भी इकट्ठा होकर उसको पीटने लगे तो भाई अगर यह मॉब लिंचिंग है तो यह आज की कहानी है ? जिसको कह रहे हैं । मॉब लिंचिंग कब नहीं हुआ है ? एक बात जान लीजिए, हमने प्रेस के साथ संवाद में भी.......

(व्यवधान)

अरे भाई, अपने भाषण के सिलसिले में कुछ बोलते । आजकल आपको हम बीच में ही बोलने में एक्टिव देखते हैं । अरे भाई, अब एक्टिव हो गये हैं आप, व्यापारिक जगत से आगे संसदीय क्षेत्र में तो समय पर बोला करिये न तो ज्यादा अच्छा होगा । हमलोग भी सुनेंगे। ये बात और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए ये जो मॉब में इकट्ठा होकर के किसी को मारता है, पीटता है वे कायर लोग होते हैं । घर के अंदर भी पिटाता है तो सोचता है कि घरवे में तो हम पिटा जाते हैं तो बाहर देखता है कि दस आदमी मिलकर किसी को पीट रहा है तो वहां इकट्ठा हो जाता है । यह आज से नहीं हमलोग जब से होश संभाले हैं बचपन से ही यह सब बात सुनते हैं समाज में और एरिया में । देखिए, जिस चीज को आप हाइलाईट कर रहे हैं लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई इस तरह का आपराधिक वारदात करेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा । लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो सब लोगों को बहुत ही समर्पण के साथ और प्रतिबद्धता के साथ लोगों के बीच में अभियान चलाना चाहिए । अब कोई घटना घटित कर दिया 100-50 आदमी मिलकर के तो आप सिर्फ इसका क्वेश्चन उठाकर के सरकार को डॉक पर खड़ा करना चाहते हैं ? सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को समझाइये कि तुम्हारे पास आकर के अगर कोई गड़बड़ किया तो उसको पुलिस के हवाले करो, उसपर कार्रवाई होगी, लेकिन घेरकर के उसको मारने लगेगा तो सबको आपलोग जो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं । वह जो सीतामढ़ी वाली बात आपलोग कहते रहते हैं एक-एक उसकी जॉच करायी गयी है और उसपर जो भी संभव है हर तरह की कार्रवाई की गयी है, जो भी जरूरी कार्रवाई है । अब एक और हम बता देते हैं अध्यक्ष महोदय, यह बीच में आ गये मॉब लिंचिंग पर दिनांक 21.12.18 को औद्योगिक क्षेत्र थाना हाजीपुर के अन्तर्गत राम भरोसे हिन्दू होटल के समीप व्यवसायी गुंजन खेमका की हत्या अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मारकर कर दी गयी थी । इस संबंध में औद्योगिक क्षेत्र थाना कांड सं0-225/18, धारा-302/34भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अज्ञात के विरूद्ध मृतक के पिता गोपाल खेमका के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था । इस कांड के अनुसंधान एवं अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एस0आइ0टी0 का गठन किया गया

था । अनुसंधान के क्रम में कुख्यात अपराधकर्मी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसका नाम लेना एसेंबली में उचित नहीं है, लेकिन इसने.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब जी, अब एक ही बात कहेंगे कि जाना है तो शांति से चले जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : चलिये न, बीच-बीच में बोलते हैं तो काहे उनको रिस्पोंड करते हैं आप । अब वह बीच-बीच में बोलते हैं तो वे है माले का तो रेस्पोंड नहीं करेगा । यहां करेंगे और भीतर से निकलकर के फिर मिलने आयेंगे । यह तो उनका अधिकार है करने दीजिए ।

(व्यवधान)

अनुसंधान के क्रम में दो अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ।

(व्यवधान)

ठीक है आपके सहयोग से कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : रास्ता देखे हैं न ?

(इस अवसर पर भाकपा(माले) के माननीय सदस्यों ने सदन से वॉक-आउट किया।)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, गुंजन खेमका हत्याकांड, इसमें दो अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर के छापामारी की जा रही है और पुलिस वाले बिल्कुल कंफिडेंट हैं कि हमलोग इस मामले में जरूर कामयाब होंगे । उसी तरह से एक बड़ा मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर की हत्या का तो सात अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, मुख्य शूटर को तो उसके बारे में ये सारी बातें हैं । अपराध के खिलाफ और अपराधकर्मियों को आइडेन्टीफाई करके उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है वह कार्रवाई की जा रही है । एक काम जो बहुत ही बुलन्दी के साथ बिहार में किया गया है वह है शराबबन्दी और इस मामले में पूरे सदन ने न सिर्फ साथ दिया बल्कि सदन में संकल्प भी लिया कि पूरा शराबबन्दी लागू हो और संकल्प लिया कि हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि लोग नहीं पीयें, इस सदन में ही सब लोगों ने किया ।

(व्यवधान)

अब उसके बारे में अगर कार्रवाई का आपलोग लिस्ट चाहते हैं तो हम बता दें, पुलिसकर्मियों का लिस्ट चाहते हैं- सरकार लगातार पूरी गंभीरता के साथ शराबबन्दी लागू करने का प्रयास कर रही है । दो नंबर के धंधे में कमाई करनेवाले लोग हर तरफ हैं, सरकारी तंत्र में भी हैं । आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं ।

क्रमशः

टर्न-23/ज्योति/13-02-2019 क्रमशः

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं । हर तरह की प्रवृति गड़बड़ होती है । लेकिन अगर सरकारी तंत्र में कोई है तो उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ । देखिये पुलिस हो या मद्य निषेध विभाग अगर कहीं भी शिथिलता प्रमाणित हुई है तो सरकार ने आरोपित कर्मियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की है । मद्य निषेध कानून के क्रियान्वयन में लापरवाही, उदासीनता एवं संदिग्ध आचरण बरतने वाले 349 पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित कर 51 पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों को सेवा मुक्त किया गया है एवं 30 पुलिस पदाधिकारियों- कर्मियों को बर्खास्त किया गया है । बेगुसराय, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर आदि कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज कर पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है । 15 पुलिस पदाधिकारी ऐसे हैं जिनको थाने में पोस्टिंग से दस सालों के लिए वंचित किया गया है । मद्य एवं उत्पाद विभाग के 21 अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, 7 को सेवा से बर्खास्त, 5 को वृहद दंड, 1 को लघु दंड और 6 पदाधिकारी को निलम्बित किया गया है । यहॉं पर एक एक चीज और आप जानते हैं आई0जी0 प्रोहीबीशन का तंत्र विकसित किया है और उसके नियंत्रण में कहा गया है कि वो कहीं भी अगर इस तरह की घटना है तो अगर वो समझेगा कि स्थानीय स्तर पर इसकी जॉंच नहीं हो रही है तो वह सीधे उस मामले को अपने हाथ में लेकर उसकी जॉंच वह कर सकता है । यह कानूनी तौर पर उनको अधिकार दिया गया है और यह काम हो रहा है । इसके अलावे हम लोगों ने जो भी एक एक तंत्र विकसित किया है उसमें टेलीफोन नंबर हमलेगों ने प्रचारित किया है और आप जानते हैं बिजली की आपूर्ति हर गांव में की गयी है तो उनके बिजली के खम्भे पर वो दो फोन नंबर लिखा गया है और वह एक ऐसा तंत्र विकसित किया गया है आई0टी0 के माध्यम से, नयी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया है और उसमें कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि यहॉं कोई धंधेबाजी कर रहा है तो वह अपने मोबाईल से उस नंबर पर फोन करके अपनी बात कह सकता है और उसको कभी भी उजागर नहीं किया जायेगा । जरा जान लीजिये । अच्छी तरह जान लीजिये। सीरियसली जानिये । उसका नाम नहीं उजागर किया जायेगा और उसके बाद कुछ ही घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और जो कार्रवाई होगी उसमें उनसे पूछा जायेगा उसका चूँकि खाली फोन नंबर रहेगा, उनसे पूछा जायेगा कि कार्रवाई हुई कि नहीं ? वेरीफाई करने के लिए और जब पूरी कार्रवाई हो जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप संतुष्ट हैं कि नहीं । ये विकसित किया गया है और आप

कहेंगे तो हम उसके बारे में आपको पूरा दे देंगे, चौबीस घंटे कार्यरत रहता है और अब तक इसके माध्यम से ये जो तंत्र विकसित किया गया है सूचना केन्द्र, मद्य निषेध लोक सूचना केन्द्र उसका नाम दिया गया है और इसका नि:शुल्क दूरभाष है और आप कहियेगा तो यहाँ भी नंबर पढ़कर सुना दें, नोट कर लीजिये नहीं तो अध्यक्ष महोदय, को कहेंगे कि विधान सभा के सामने भी वह नंबर लगवा दीजिये ताकि सब लोगों को मालूम हो जाय कि वह नंबर क्या है और ये धंधे की सूचना दे सकते हैं । अब तक ये जान लीजिये अबतक 14688 सूचना प्राप्त हुई । शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 14614 का निष्पादन किया गया है जो कुल शिकायतों का 99 प्रतिशत है । इन शिकायतों को तभी निष्पादित माना जाता है जब शिकायतकर्ता को पूरी संतुष्टि नहीं हो जाती है तो आप यह अच्छी तरह बात को जान लीजिये कि हमलोगों के द्वारा जो भी इस सिलसिले में प्रयास किया जा रहा है वह जानने लायक है, वो सब लोगों को इन चीजों के बारे में अवगत रहना चाहिए । मैं यही आज इस सदन को बताना चाहता हूं और एक बात जो सब लोगों ने संकल्प लिया है । इसलिए यह कर्त्तव्य हम सब लोगों का इसके लिए लगातार कंपेन करें । हम तो कह रहे हैं सरकारी तंत्र और कोई गड़बड़ करता है सरकारी तंत्र तो उसपर कार्रवाई इन सब चीजों के बारे में बताईये लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहेगा । लाख आप कर दीजिये एक विचार के नहीं लोग होते हैं तो कानूनी कार्रवाई तो हो सकती है लेकिन उसके साथ साथ अभियान चलाना पड़ेगा और इस अभियान चलाने के सिलसिले में हमलोगों ने जो अपना शराब बंदी लागू करके तीन चार बार पूरा का पूरा अध्ययन और सर्वेक्षण कराया है और उसके आधार पर गरीब गुरबा परिवार में खुशी की लहर आ गयी । जो गांव घर का वातावरण, गांव का वातावरण, कस्बे का वातावरण और आप सब लोगों का अनुभव है शादी विवाह में जाते हैं । पहले जाते थे, पहले कोई पीकर आ जाता था और कैसी कैसी बात बोलता था आज कोई आपके सामने उल्टा- पुल्टा बात करने वाला आने की हिम्मत नहीं करता है । पहले जो दरवाजा लगता था वह कितना घंटा में लगता था और आज दरवाजा लगने में कोई देर नहीं हो रही है और पहले गरीब गुरबा लोगों के पारिवारिक हालत बेहतर हुई है और यह सब हुआ है लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है ।(व्यवधान) अरे तो उसके लिए कंपेन कीजिये । कंपेन करिये। हाथ उठाकर संकल्प लिए हैं यहीं और आज मत बोलिये । हाथ में हाथ डालकर हमलोग, भूलियेगा मत गांधी मैदान से पूरे बिहार में 4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में खड़े हुए थे, आपके जो सबसे बड़े नेता हैं वो और हम एक साथ हाथ थामे हुए थे इसलिए जरा इसपर कम्प्रमाईज मत करियेगा । हम आपकी जानकारी के लिए कुछ बात बताना चाह रहे हैं जो हमने मद्य निषेध दिवस के अवसर पर भी कहा था

ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट औन अल्कोहल ऐण्ड हेल्थ 2018 डब्लीू0एच0ओ0 वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजेशन ने रिसर्च अनुसंधान पूरा का पूरा अध्ययन करवाया है पूरी दुनिया का और आप जान लीजिये 2016 का पूरे दुनिया का यह आंकड़ा है । शराब के कारण विश्व भर में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई जो विश्व भर में मृत्यु दर का 5.3 प्रतिशत है । यह वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजेशन ने जारी किया है । शराब के सेवन के कारण युवाओं में मृत्यु दर बूढ़े लोगों की अपेक्षा अधिक है । 20 से 39 आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु दर शराब पीने के कारण 13.5 प्रतिशत है और शराब पीने के कारण टी0बी0, एच0आई0वी0 एड्स, मधुमेह इन सब से होने वाली मृत्यु से अधिक है शराब पीने के कारण । विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शराब लगभग 200 बीमारियों को बढ़ाता है । शराब का सेवन कैन्सर, एड्स, हेपेटाईटिस, टी0बी, लीवर एवं दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी माता शिशु संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृति को बढ़ाता है और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका है और इसके बाद उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आत्म हत्या, सुसाईड के कुल मामलों का 18 प्रतिशत, आपसी झगड़े का 18 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं का 27 प्रतिशत और मिर्गी के 13 प्रतिशत मामले शराब के सेवक के कारण हुए हैं । दुनिया भर का यह आंकड़ा है समझ लीजिये । लीवर की गंभीर बीमारी लीवर सिरौसिस के कुल मामलों का 48 प्रतिशत, माउथ कैन्सर के कुल मामलों का 26 प्रतिशत , पैनक्रियाज की गंभीर बीमारी का 26 प्रतिशत , ट्युबर कुलौसिस का 20 प्रतिशत, बड़ी आंत के कैन्सर का 11 प्रतिशत, ब्रेस्ट कैन्सर का 5 प्रतिशत हाईपर टेन्सिव हर्ट डिजीज का 60 प्रतिशत मामला शराब के सेवन के कारण हुआ है और हमलोगों ने बिहार में शराब बंदी की है और इनसब से मुक्ति मिलेगी । कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं । ये उदाहरण देकर होम डिलीवरी, फलाना चीज अरे धंधेबाज- तो कुछ न कुछ घंधा करता है एक तरफ उसको पकड़ने की कार्रवाई और दूसरी तरफ सामाजिक अभियान चलाने की कार्रवाई । कोई अफसोस है क्या शराब बंदी लागू हुआ है तो ? नहीं नहीं, अफसोस है क्या, गलत ले लिए क्या संकल्प, तकलीफ है क्या ? कुछ लोग, हमलोगों ने चूँकि शराब बंदी लागू किया पूरे तौर पर और उसके कारण उन लोगों को पीड़ा है । उसके कारण तकलीफ है । शराब बंदी के कारण और वो मजाक उड़ाते हैं मेरा । आप मत मजाक उड़ाओ । आप शामिल थे मानव श्रृंखला में, भूल मत जाईये, नहीं तो एक्सपोज होईयेगा कि आपने मेरे चलते मानव श्रृंखला में भाग लिया । क्रमशः

टर्न-24/13.02.2019/बिपिन

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: क्रमश: कि आपने मेरे चलते मानव श्रृंखला में भाग लिया लेकिन मन में कोई और बात है । आप एक्सपोज होइएगा । इसलिए यह सब बात मत करिए और जान लीजिए - कम मात्रा में शराब सेवन करने वालों में भी मामूली बीमारी के उभर जाने का खतरा बना रहता है । चिंता का विषय यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खासकर इसके बड़े भू-भाग भारत और चीन में शराब पीने की प्रवृत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फीगर । हमलोगों ने बिहार में शराबबंदी लागू करके लोगों के जीवन को सुधारने का काम किया है । आलोचना करने के बजाए पकड़ने का काम, पकड़वाने का काम करना चाहिए और दूसरी तरफ समझाने का काम करना चाहिए और आपको मालूम है हमलोगों की आलोचना क्या की गई थी कि गरीब-गुरबा आदमी जो शराब का काम करता था, उसी पर निर्भर रहता था, एक लाख से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। यह सबका जवाब हम दे दिए और आपको जो अभी हमलोगों ने लागू किया है, सतत् जीविकोपार्जन योजना, सेल्फ-हेल्प ग्रूप के माध्यम से, जीविका के माध्यम से हमलोगों ने दो तबकों को आइडेंटीफाइ करने की कोशिश की है - एक तबका वह जो गरीब है लेकिन शराब या ताड़ी का काम करता था । आज उसके बंद होने से परेशान है । उनलोगों को प्रेरित करिए- वह दूसरा रोजगार ले और साठ हजार से लेकर एक लाख रूपए तक की मदद कर रही है । सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके अलावे जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, कुछ नहीं जानता है, वैसे लोगों को भी आइडेंटीफाई करके सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ और एक हजार से भी ज्यादा परिवार जो इसमें था, उसको इसका लाभ मिल रहा है और यही नहीं, जब वह काम दूसरा करेगा और उस काम को करने में तुरत उसको मुनाफा नहीं होगा, इसलिए सात महीने तक लगातार एक हजार रूपया प्रति महीने का भी उसको हमलोग लाभ देते हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं । पूर्णिया में शुरू हुआ । एक गांव में बहुत लोग करते थे । तुरत सबको गाय उपलब्ध कराया गया । उनके लड़के इतने खुश हुए और इसकी कहानी सब जगह फैलाकर और अब वैसे परिवारों को चिन्हित करके ताकि वो बेरोजगार न रहे, वो परेशान न हो, वह दूसरा काम करे ।

(व्यवधान)

एक बात, आप बैठिये । हम जो कह रहे थे उसको अगर ध्यान से सुन लेते तो आप बड़ा उपयोगी व्यक्ति थे । कुछ काम करते आप । चूंकि आपका जो है न, वह रास्ता भी है इधर से उधर जाने का । तो उसमें भी कुछ आप नजर रखिएगा । या तो कुछ लोगों को समझाइएगा और नहीं समझता है तो पकड़वाइएगा । तो इस तरह से एक-एक चीज, शराबबंदी के मामले में, हमलोग गंभीर हैं और सभी माननीय सदस्यों को कहूंगा कि

इनको अगर कहीं भी किसी चीज के बारे में मालूम हो, किसी भी चीज के बारे में मालूम हो कि कहीं कौन धंधा कर रहा है, वह सरकारी कर्मी हो या कोई हो, इसकी सूचना आपसे मैं कहूंगा कि आप चाहिए तो अगर उस नंबर पर नहीं देना चाहते हैं, गोपनीय तरीके से आप अपने को रखना चाहते हैं तो आप गोपनीय तरीके से सूचित करिए और आप देखिएगा कि उसपर जांच होता है कि नहीं, कार्रवाई होती है कि नहीं । लेकिन हमारे शराबबंदी के खिलाफ हैं, उनलोगों को मन करता है कि कैसे करें और आप जान लीजिए, मैं तो यही कहूंगा, यह जो आप बोल रहे थे, यह कोई केंद्र सरकार का काम नहीं है । यह काम संविधान ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से राज्यों को दिया है और जिस राज्य की इच्छा होती है वह शराबबंदी लागू करते हैं । तो हम तो चाहते हैं, मैंने न जाने कितनों को सुझाव दिया । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, हमने उनको कहा कि अरे भाई ! लागू कर दीजिए । किसको हम सलाह नहीं देते हैं ? हम सबको सलाह देते हैं और हम तो चाहेंगे कि जो लोग इस भ्रम में हैं कि इससे आमदनी राज्य की घटेगी, वह बिल्कुल भ्रम है । हमारे यहां भी जब लागू किए हमलोग 2016 के 01 अप्रील को और 05 अप्रील को पूरे तौर पर तो उसके पिछले वर्ष में पांच हजार करोड़ रूपए की आमदनी हुई थी इसके माध्यम से, लेकिन हमलोगों ने लागू किया । एक साल हजार करोड़-बारह सौ करोड़ का नुकसान हुआ और अब उसकी कोई चर्चा नहीं है ।

(व्यवधान)

तो आप करवा रहे होंगे । हम नहीं जानते हैं । या तो सूचना दीजिए । आप, ऐसा है कि निःशुल्क दूरभाष और सूचना केंद्र, समझ गए न ! इसका नंबर है, नोट कीजिए- 1800-3456268 और दूसरा नम्बर है 15545 । यह दो में से जो भी नंबर पर हो, अपने मोबाइल से फोन करिए और अगर आपको रेस्पौंड नहीं होता है, आप तत्काल हमलोगों को सूचित करिए । हमलोग सख्त कार्रवाई करेंगे और हमने उदाहरण आपको बता दिया कि कितने लोगों ने सूचना दी और कार्रवाई हुई है और जब तक शिकायतकर्त्ता संतुष्ट नहीं होता है, उसकी जांच जारी रखी जाती है । तो इतना ज्यादा शराबबंदी का और हमने तो जो उदाहरण बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, मैं समझता हूं, लोगों को समझाइए - यह देख लो और जहरीले शराब के कारण लोग मरते हैं । हम तो सबको कहते हैं दो नम्बरी धंधा से शराब पिओगे, जहरीला शराब मिल जाएगा, मौत के शिकार हो जाओगे । मत पियो । यह लोगों को बताना पड़ेगा । सिर्फ कानून से नहीं होता है । निरंतर अभियान से होता है और वह अभियान चलाना हम सब लोगों का सामूहिक दायित्व है क्योंकि 21 जनवरी, 2017 को विश्व में वैसी मानव श्रृंखला नहीं बनी है । चार करोड़ लोगों की भागीदारी हुई थी । सब लोग शामिल थे । इस बात को भूलिएगा नहीं और पत्रकार लोग भी शामिल थे । सब लोग शामिल थे । इसको किसी को नहीं भूलना है और इसपर अमल करना है । और, एक बात और जान लीजिए- हम तो नहीं भूलने वाले

हैं और जो आपको सतत् जीविकोपार्जन योजना बताया कि शराब का कोई काम करता था। उसका क्या किया गया है, लाभुक परिवार का । लाभुक परिवार में जैसे देशी शराब ताड़ी बिक्री से संबंधित परिवारों की संख्या अभी 10738 को जो चिंहित् किया गया उसमें से 2247 निकले । 1797 का अपना एप्लीकेशन और सब कुछ का प्राप्त हुआ और उसमें इन सब लोगों को मदद की गई और सात महीने तक जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहायता पाने वाले परिवार की संख्या में देशी शराब वाले 1270 हैं । तो इसलिए एक-एक काम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमलोग नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको मैं यह दिखा देता हूं डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट । इसके आधार पर अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत देंगे तो मैं इस विभाग को कहूंगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को, इसकी कॉपी सभी माननीय सदस्यों को पहुँचवा देंगे ।

अध्यक्ष : इसको सदन पटल पर रख दिया जाए । हम अपने सचिवालय से बँटवा देंगे ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : बहुत अच्छा, तो हम बोलने के बाद रख देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन नेता अभी बोले हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी हिस्सेदारी आरक्षण में हो और बहस करा दें तो हम आपसे मांग करते हैं कि कल ही .....

अध्यक्ष : ललित जी, एक मिनट बैठिए न ! एक मिनट बैठ जाइए । आसन ने सदन नेता का भी और आपलोगों का भी सुना है और इसमें बहस क्या, यह तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित है और आसन निश्चित रूप से इसके लिए समय इसी सत्र में निर्धारित कर देगी ।

(थपथपी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब यह तो इतनी बात हो गई, अब जो भी काम हो रहा है, अब जो अगर सात निश्चिय वाले काम को देखिए.... क्रमशः

टर्नः 25 / कृष्ण/ 13.02.2019

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री क्रमश : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लोग ले रहे हैं । हमने बिहार शिक्षा वित्त निगम की स्थापना कर दी । बैंकों का उतना सहयोग नहीं मिल रहा था, आज लोग तेजी से ले रहे हैं । फिर स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 3 लाख 40 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया । कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 लाख 19 हजार आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । आज की तारीख में 1 लाख 7 हजार आवेदक प्रशिक्षणरत हैं । अभी 1652 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं तथा सभी 534 प्रखंड आच्छादित है । उसी तरह से वेंचर कैपिटल फंड है और एक निश्चय, सात निश्चय में ।

(व्यवधान)

आपलोग जाना चाहते हैं, जाईये । हम बैठ जाते हैं । हम बैठ जाय । तब जाईयेगा ।

(व्यवधान)

ये मुजफ्फरपुर के बारे में सुनना चाह रहे हैं ? बैठ जाईये । मुजफ्फरपुर के मामले को तो हमलोगों ने तो जांच के लिये सी0बी0आई0 के हवाले किया और सी0बी0आई0 जांच कर रही है । राज्य सरकार की कोई भूमिका जांच में नहीं है और मीडिया में जो प्रचारित हुआ, किसी बात को जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया और 2 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा, जब राज्य सरकार के वकील की तरफ से सब कुछ बता दिया गया तो कोर्ट ने कहा ओ0के0 ।

(इस अवसर पर राजद के सभी माननीय सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

और जो भी बात हुई है वह सी0बी0आई0 पर हुई है । ये मुजफ्फरपुर की बात करके ये अनावश्यक कर रहे हैं । आपलोगों को अफसोस होगा । बड़ा भारी अफसोस होगा कि यह चीज उसका राज्य से कोई लेना-देना नहीं है। आप सब लोग तो मांग कर रहे थे । हमलोगों ने तुरंत सी0बी0आई0को सौंप दिया और सी0बी0आई0 जांच कर रही है । उसकी कोर्ट मोनिटरिंग है और उसमें आप राज्य सरकार को क्या कह रहे हैं ? राज्य सरकार का जो पुलिस तंत्र है उसके द्वारा अगर जांच होती रहती और कोई कमी रहती तो आप अरोप लगा सकते थे । जो सी0बी0आई0 जांच की मांग । आज वाक-आउट कर रहे हैं आपलोग और सी0बी0आई जांच कर रही है तो राज्य सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हैं ? हमलोग तो खुद भी इतना इन्टरेस्टेड हैं कि पूरी जांच हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, हो भी रही है, कोर्ट मोनिटरिंग कर रहा है । अब इससे ज्यादा तो कोई मोनिटरिंग हो नहीं सकती है । और थोड़ी भी कमी दिखती है, कोई अधिकारी जांच कर रहा था, उसके स्थानान्तरण पर कोर्ट ने कितनी कड़ाई से प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्या कार्रवाई हुई सब को मालूम है । इसलिए हर किसी को मालूम है कि इन सब चीजों में कोई कंप्रेमाईज नहीं हो सकता है । मैं तो बार-बार कहता हूं कि इन सब मामलों में एक जुट रखिये वैचारिक रूप से । गलत काम करनेवालों के पक्ष में कोई न रहे और गलत काम करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई हो । इसके लिये सबको मिलकर काम करना चाहिए ।

तो हम बता रहे थे कि हमारे सात निश्चय का । हमने एक निश्चय का तो आपको बताया । आर्थिक हल युवाओं का बल और आप बताइये, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार । यह स्लोगन हमलोगों ने फरवरी, 2016 में लागू कर दिया और महिलाओं को कितना फायदा हो रहा है । हमको लग रहा है, पूछ रहे थे कोई कि महिलाओं को क्या? अब तक इसके चलते 35 प्रतिशत आरक्षण के चलते महिलाओं के लिए अनुशंसित 2547 पदों कि विरूद्ध कुल 2443 महिलाओं की नियुक्ति भी हो गई है । सिपाही में तो कुछ और ज्यादा ही हो गया है । तो इसलिए एक-एक काम पर हो रहा है और यह निश्चय तो इम्पलीमेंटेड हो रहा है, हर घर बिजली । लक्ष्य क्या था ? 31 दिसम्बर,

2018 का । मैं ऊर्जा मंत्री जी को, इनके विभाग को बधाई देता हूँ कि इन्होंने न सिर्फ इस चुनौती को स्वीकार किया बल्कि दो महीना पहले 25 अक्टूबर को ही हर इच्छुक व्यक्ति के घर में बिजली का कनेक्शन दे दिया । तो हमारा सात निश्चय का कुछ निश्चय तो पूरा भी हो गया । अब बिजली के लिए हमलोगों ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि एग्रीकल्चर फीडर का निर्माण पूरा हो जाय और जो भी किसान खेती के लिए बिजली का कनेक्शन चाहता है, उसको बिजली का कनेक्शन मिल जाय और यह टारगेट इस साल का 2019 का 31 दिसम्बर हमलोगों ने रखा है । इसके साथ-साथ, जितने जर्जर तार हैं, उसका रिप्लेसमेंट, उसको बदलना, उसका भी लक्ष्य हमलोगों ने रख दिया है 31 दिसम्बर, 2019 तक, वह भी काम हो जायेगा । निश्चय के भी आगे जाकर बिजली के क्षेत्र में हमलोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं । इसलिए एक-एक चीज कोई भी चीज, हर घर नल का जल, अब इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से गुणवत्ता प्रभावित इसमें जो है, उसमें काम हो रहा है और जो गुणवत्ता प्रभावित नहीं है उसमें पंचायतों के थ्रू यह काम हो रहा है, डिसेन्ट्रलाइज तरीके से और तेजी से काम हो रहा है । उसके लिए नियम बना दिए गए हैं, सब कुछ कर दिया गया है और उसी तरह से हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण, शौचालय का निर्माण भी अब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब तक कुल लक्षित 1 करोड़ 9 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के आच्छादन का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है । राज्य को 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है । शहरी क्षेत्रों में अब तक कुल 2 लाख 72 हजार व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । 1 लाख 72 हजार निर्माणाधीन है और 4952 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण हो गया है । पूरे तौर पर शौचालय हर घर बन जायेगा । खुले में शौच से मुक्ति लोगों को मिलेगी । लेकिन मैं एक बात आग्रह करूंगा कि शौचालय बन भी जाता है तो अपनी आदत के कारण बहुत लोग शौचालय का उपयोग करने के बजाय फिर उसी तरह से बाहर चले जाते हैं क्योंकि पुरानी आदत है । इसलिए इसके लिए भी कैम्पेन करना पड़ेगा । लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को लगता है कि हम खुले में शौच करते हैं, महिलाओं को तो फायदा हो गया, सवेरा होने के पहले और अँधेरा होने के बाद ही जा पाती थीं, उन सबों को तो फायदा हो गया, बच्चों को फायदा हो गया लेकिन कुछ लोगों की आदत रोजमर्रे की है, खुले में जाकर घर से निकले 500 मीटर, 1-1 कि0मी0 दूर गए और आराम से, इत्मीनान से खुले में पैखाना किया, अब घर में शौचालय बन गया है, उसको लगता है कि घरवा में जायेंगे तो हमको पैखाना ही नहीं होगा । इसलिए चला जाता है बाहर । उनको समझाना चाहिए कि भाई, एक दिन आपको पैखाना नहीं होगा, दो दिन नहीं होगा, तीसरा दिन तो हो ही जायेगा, पेट में कितना पैखाना जमा रहेगा । इसी तरह से समझाना पड़ेगा लोगों को । हम आजकल देखते हैं कि बिना बुनियादी बात को समझे लोग कुछ

भी बोलते रहते हैं । अरे भाई, खुले में शौच से मुक्ति एक इच्छा है और लोगों को बताया जा रहा है कि खुले में शौच के कारण जितने प्रकार की बीमारियाँ हैं, अगर उससे मुक्ति मिल जायेगी तो 90 प्रतिशत बीमारियों से छुटकारा मिल जायेगा । अगर शुद्ध पेयजल मिल जाय और खुले में शौच से मुक्ति हो जाय तो आज जो बीमारियाँ होती हैं, 90 प्रतिशत बीमारियों से छुटकारा मिल जायेगा । लेकिन शौचालय तो हमलोग आपलोग सब बना देंगे लेकिन कुछ का आदत है, बाहर ही जाकर पैखाना करेगा । उसको समझाइयेगा नहीं कि भई, एक-दो दिक्कत होगा । लेकिन अब शौचालय बन गया, घर के ही शौचालय में पाखाना करो । आप समझाईयेगा कि नहीं समझाईयेगा ? आप तो रहते हैं यहां और कभी-कभी घर पर रहते हैं, घर तो हम देखें हैं । वह तो बड़ा शानदार है । तो उसके चलते आप अपना नहीं, गांव में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन गांव-गांव में जाकर जिसको आदत है, उसको आप कहिये ।

अध्यक्ष : मा0स0श्रीअवधेश बाबू आप इधर न देखिये पहले ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : उसके बाद कितने बड़े पैमाने पर, जो अवसर बढ़े आगे बढ़ने का काम चल रहा है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : गरीब लोगों के घरों में आप पानी की तो व्यवस्था करा रहे हैं लेकिन उनके शौचालयों में पानी व्यवस्था नहीं है । आप शौचालयों में पानी की व्यवस्था करायें, आपका कीर्तिमान होगा । शौचालय से सुशील कुमार मोदी जी राज करेंगे । आप शौचालय में पानी की व्यवस्था करा दीजिये । महिलाओं को बहुत कष्ट है । मैं गांवों में जाकर घूम चुका हूं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप साथ तो आनेवाले थे, बीच में फिर इधर से उधर चले गये । आप आकर ठीक से बता क्यों नहीं देते हैं बढ़िया से, काम क्यों नहीं होगा ? काम होगा, किसी बात में कमी थोड़े ही है ।

(व्यवधान)

उसी तरह से यह जो पेयजल निश्चय योजना है, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये हमलोगों ने पूरा का पूरा मापदंड तैयार किया है । अब अगर वार्ड वाले को, पहले था कि कोई पैसा ले लेंगा, ठग कर ले लेता था या कोई दिलवा देता था । अब कर दिया है कि जबतक काम पूरा नहीं होगा, तबतक पैसे का भुगतान नहीं होगा । फिर उसके मेंटिनेंस के लिये हम लोग हजार रूपया देनेवाले हैं । हमलोग एक-एक काम, एक-एक चीज को करके भेजते हैं, खुद भी गये हैं और आपलोग भी अपना अनुभव शेयर कीजियेगा तो सब मिला करके इस योजना को और बेहतरीन ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है ।

क्रमश :

टर्न-26/अंजनी/दि0 13.02.2019

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री :...क्रमशः....

हमलोगों का लक्ष्य है कि हर घर में नल का जल मिले । हर घर तक पक्की गलियों और नाली का निर्माण तो एक-एक करके सारा काम हो रहा है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष के लोग हैं, आपको सूचना देने का काम कर रहे हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप सांकेतिक तौर पर विपक्ष हैं ।

अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं कि विपक्ष में काहे के लिए हैं !

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : वही सांकेतिक तौर पर हैं ।

(इस अवसर पर भारतीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन का बहिर्गमन किये)

महोदय, जैविक खेती के लिए इनपुट सबसिडी का कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसके बाद हमलोगों ने सब्जी की खेती के लिए कोऑपरेटिव सिस्टम डेवलप करना शुरू किया है और 93 प्रखंड में प्रखंडस्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का गठन हो गया है । हर जो प्राइमरी कॉपरेटिव सोसाइटी होगी, उन लोगों को जमीन देकर वहां पर उनका न सिर्फ ऑफिस बनेगा, उसको सब्जी को रखने की जगह और सब्जी का व्यापार हो सके, उसके लिए भी दुकान बने और एक-एक करके उसको फिर यूनियन और उसके बाद फेडरेशन, इन सब चीजों पर एक-एक करके काम हो रहा है और जैविक खेती के लिए इनपुट सबसिडी 30 डिसमिल तक, अगर सब्जी का कोई जैविक खेती कर रहा था तो हमलोगों ने 6 हजार रूपये का इनपुट सबसिडी दिया और तय कर लिया है कि 8 हजार रूपया इनपुट सबसिडी मिलेगी और इसके बारे में कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में भी इसका जिक्र कर दिया तो एक-एक काम हमलोग हर क्षेत्र के लिए कोशिश कर रहे हैं । अब इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है, जिसके लिए हमलोग पूरे तौर पर प्रयत्नशील नहीं हैं । इसके बाद जो भी काम हो रहा है, इसके अलावे अध्यक्ष महोदय, हमलोग जो लोगों के बीच में बातचीत करते रहते हैं, इनटेरेक्ट करते है तो जो पता चला है कि हमलोगों का जो वृद्धावस्था पेंशन की योजना है, वह बी0पी0एल0 पर आधारित है, उसके चलते अगर किसी का बी0पी0एल0 में नाम नहीं है लेकिन फिर भी वह गरीब है और उसको नहीं मिलता है, इसलिए इसपर हमलोगों ने विचार किया और 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए नयी पेंशन योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की जायेगी । इसमें जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत व्यक्ति हैं, उनको छोड़ करके सब के लिए यह लागू रहेगा । जो भी देना चाहें, इसके लिए काम हमलोगों ने तय कर दिया है और इसपर काम शुरू हो जायेगा मार्च, 2019 से, जितने लोग हैं उनका सर्वेक्षण, उनका एप्लीकेशन आ जायेगा, उसका वेरिफिकेशन हो जायेगा,

उनका बैंक एकाउंट हो जाय, आधार से उनको जोड़ दिया जाय, यह सब काम करा दिया जायेगा । यह काम मार्च से शुरू होगा, जुलाई तक यह काम पूरा हो जायेगा ताकि एक-एक साठ साल से अधिक उम्र वाले को पेंशन की स्कीम लागू हो जाय और जुलाई तक यह सब काम पूरा हो जायेगा लेकिन पेंशन का लाभ 01 अप्रील, 2019 से ही उनको दिया जायेगा । यह काम करके उनके आंकड़ों को बनाना, वेरिफाई करना, सब करते-करते दो महीना तो लग जायेगा चुनावी दौर है, सरकारी कर्मी भी अन्य काम में लग जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में जितना एप्लीकेशन तो उनका आ ही सकता है लेकिन वेरिफिकेशन, बैंक एकाउंट आदि का सारा काम पूरा दिया जायेगा जुलाई तक और अगस्त महीने से इसका लाभ मिलना शुरू हो जायेगा लेकिन लाभ मिलना शुरू हो जायेगा 01 अप्रील, 2019 के प्रभाव से । यह लाभुकों को उनके बैंक एकाउंट में सीधे इस पेंशन की राशि का हस्तांतरण किया जायेगा ।

एक दूसरी बात, बहुत सारे पत्रकार लोग हैं जो बहुत तकलीफ में रहते हैं तो उसके लिए हमलोग बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की भी शुरूआत करने जा रहे हैं । ऐसे समस्त मीडियाकर्मी जो एक या अधिक पत्र-पत्रिका मीडिया चैनल में नियमित पत्रकार के रूप में 20 वर्षों तक कार्य के उपरांत सेवानिवृत्त हों तथा पेंशनधारी न हों, उन्हें 6 हजार रूपया प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी और अगर ऐसे पत्रकार नहीं रहते हैं तो उनको पत्नी या पति को भी बाकी जीवन भर 3 हजार रूपये की राशि दी जायेगी । इसके अन्तर्गत पत्रकार, छायाकार, सम्पादक, समाचार सम्पादक, उप सम्पादक, व्यंग्य चित्रकार आदि शामिल होंगे और मीडिया के अन्तर्गत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र/पत्रिका, समाचार एजेन्सी, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल शामिल है । सम्मान पेंशन लाभुक के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जायेगी । इसकी पूरी तैयारी हमलोगों ने कहा है कि कर लें । इसको भी हमलोग 01 अप्रील, 2019 से लागू करने के लिए प्रयत्नशील हैं । यह सब बात और अंत में तो ये लोग भाग गए, नहीं तो इन्हीं को हम बताने वाले थे, एक तो हैं महेश्वर बाबू, बड़ा स्वागत है भाई, हम तो सब जगह बोलते हैं अपनी बात खत्म करने के पहले कि गॉंधी जी का 150वॉं जन्मोत्सव मना रहे हैं दो साल तक, हमलोग एक-एक काम कर रहे हैं । एक ही आग्रह करेंगे कि गॉंधी जी की बात को याद रखना चाहिए । यह जो पर्यावरण का संकट हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए गॉंधी जी ने कब कहा, गॉंधी जी ने कहा था कि पृथ्वी से हमें जो कुछ मिलता है, वह हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकता है । Need & Greed. यह जो नेचर है, पृथ्वी है, जरूरत को पूरा कर सकती है, लालच को पूरा नहीं कर सकती है । इसलिए जरूरत पर चलिए, जीवन चलाइये, लालची मत बनिये । एक गांधी जी का यह सुझाव है । यह पर्यावरण के सुझाव हैं । उसके बाद उन्होंने कहा था कि सात सामाजिक

पाप हैं, उससे बचिए । गांधी जी ने कहा था - Politics without Principle सिद्धांत के बिना राजनीति, यह एक सामाजिक पाप है । आजकल देख लीजिये कि क्या हाल हो रहा है ? राजनीति के सिद्धांत से कितना मतलब रह गया है ? खाली टकराव की भाषा । गॉंधी जी ने कहा कि सिद्धांत के बिना राजनीति एक सामाजिक पाप है । दूसरा पाप उन्होंने क्या बताया - Wealth without Work काम के बिना धन । बिना काम किए धन अर्जित कर रहे हों । जरा बता दीजिए कि कौन लोग हैं, बिना कुछ किए धन अर्जित कर रहे हैं । गॉंधी जी ने कहा कि यह सामाजिक पाप है । कहॉं-कहॉं नहीं जाते हैं, गड़बड़ करेंगे तो जेल जायेंगे । काम से न धन अर्जित कीजियेगा ! बिना काम के धन अर्जित करिएगा, गॉंधी जी ने कहा कि दूसरा पाप है । हमारे पत्रकार मित्र लोग हैं, अब ये लोग इस चीज को हाईलाईट करें तब न ! छोड़ देते हैं । भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और गॉंधी जी ने कहा है Wealth without Work काम के बिना धन । Pleasure without Conscience सुख की बात करते हैं लेकिन विवेक के बिना सुख सामाजिक पाप है । Knowledge without Character चरित्र के बिना ज्ञान । अगर बहुत लोग अपने को knowledgable मानते हैं, विद्वान मानते हैं लेकिन कैरेक्टर है ही नहीं, घच-पच करता रहेगा बायें-दायें तो वह नॉलेज है । Knowledge without Character यह भी सामाजिक पाप है । Commerce without Morality, नैतिकता के बिना व्यापार, अरे व्यापार करते हो तो नैतिकता के साथ करो । दो नम्बरी कारोबार नहीं करना चाहिए और दूसरी बात है मिलावटी काम नहीं करना चाहिए । कोई चीज में मिलावट करते हो तो ये तो मोरेलिटी के बिना कॉमर्स है वह पाप है । साईंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना विज्ञान, विज्ञान की जरूरत है लेकिन उसके साथ मानवता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वह भी सामाजिक पाप है। वर्शिप विदाउट सेक्रेफाईस, आजकल लोग खाली पूजा करते रहता है, पूजा करने वालों की संख्या बहुत बढ़ गयी है लेकिन वर्शिप विदाउट सेक्रेफाईस, त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब नहीं है तो यह सब गांधी जी जो बता गये हैं । हम तो माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे कि जगह जगह यहां भी लगवा दीजिये ।

(क्रमशः)

टर्न-27/ सत्येन्द्र/13-2-19

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री(क्रमशः) सेन्ट्रल हॉल वाला बात तो कहें ही हैं और उसमें लगवा दीजिये ताकि लोग, यहीं लिखवा दीजिये न । यह सब जो लिखवाये हुए हैं, गांधी जी का जो वचन है सात सामाजिक पाप है लिखा दीजिये, कभी न कभी तो पढ़ेंगे लोग । कुछ तो असर पड़ेगा । जब असर पड़ेगा तो कम से कम इन चीजों का बड़ा भारी नैतिक प्रभाव पड़ेगा इसलिए..

अध्यक्ष: बाहर ही लिखवा देते हैं चूंकि अंदर में तो जब सदन चलेगा तभी न पढेंगे ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: ये लोग चूंकि, अध्यक्ष महोदय ये लोग चले गये तो बोलने का आधा मन तो ऐसे ही खराब हो जाता है । अरे सामने रहते तब न बोले, बीच में जो जो मन करे बोलिये लेकिन चले जाते हैं, हम क्या करें यह भी तो उनका अधिकार है तो उनके अधिकार को तो चुनौती नहीं दे सकते हैं लेकिन अब कितनी देर बोलें तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूॅ और सदन से आग्रह करता हूॅ कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया जाये।

अध्यक्ष: सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूॅ ।

प्रश्न यह है कि

अध्यक्ष: ‘‘ सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं । ’’

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 फरवरी, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 47 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019 को 11 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सभा की बैठक 5 बजकर 14 मिनट पर स्थगित हुई)

परिशिष्ट –1

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी:- राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों पर सरकार उत्तर देना चाहेगी ।

1. कि जब भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा समाप्त की जा चुकी है, इस परिस्थिति में 2011 में हुए जाति आधारित जनगणना को उजागर कराते हुए राज्य में जातीय जनसंख्या के आधार पर सामान्य, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जनसंख्या के अनुपात में नौकरियों एवं नामांकन में आरक्षण/भागीदारी दी जाएगी ।
2. कि 13 बिन्दु रोस्टर को राज्य में लागू नहीं किया जायेगा। पूर्व की भाँति 200 बिन्दु लागू करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा । विभाग को यूनिट न मानकर विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर रोस्टर तैयार किया जायेगा।
3. कि राज्य में बैकलॉग नियुक्तियों को अनारक्षित करने की परम्परा को खत्म करेंगे ।
4. निजी सेक्टर/निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों के पदों पर नियुक्ति एवं नामांकन में आरक्षण नियमावली लागू की जाएगी ।
5. कि राज्य में पदस्थापित प्रशासनिक एवं गैर प्रशासनिक सभी तरह के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को जातीय आधार पर तंग तबाह नही किया जाएगा। खासकर प्रखंड में पदस्थापित बी0डी0ओ0 / सी0ओ एवं कर्मचारियों को नियमानुसार कार्य करने की छूट दी जाएगी ।
6. कि राज्य एवं केन्द्र में एक ही गठबंधन (डबल इंजन) की सरकार है, इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलायी जायगी ।
7. कि राज्य की योजनाएँ समय पर पूर्ण नही हो रही है, योजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु आवश्यक कार्यबल अगले 6 माह में उपलब्ध कराया जायेगा। गरीबों से संबंधित योजनाओं में कटौती नहीं की जायेगी ।
8. कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में भारी पैमाने पर हो रही लूट-खसोट पर रोक लगायी जाएगी ।

9. कि राज्य में वर्तमान सरकार के समय में लगभग चालीस से अधिक घोटाले उजागर हुए है, जिसमें अरबों रूपये की लूट की गई है, उस घोटाले में संलिप्त पदाधिकारी/सफेदपोशों पर सख्त कार्रवाई करते हुए संलिप्त पदाधिकारी/ सफेदपोश की सम्पत्ति से राशि की वसूली की जाएगी ।
10. कि राज्य सरकार द्वारा संचालित बालिका गृहों में हुई/हो रही सांस्थिक बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत करने संबंधी घटना में संलिप्त दोषियों पर शीघ्र सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
11. कि राज्य में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों पर विभत्स अत्याचार हो रही है। ऐसे दमनकारी ताकतों पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा। सामाजिक उत्पीड़न की घटना करनेवालों को कानून के दायरे में लाया जायेगा एवं इसे प्रभावी बनाते हुए प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा । इनके तमाम स्रोतों को जड़मूल से उखाड़ फेंका जायेगा ।
12. कि पुलिस अपराधों की प्राथमिकी दर्ज नहीं कर राज्य में अपराध की घटनाओं को झुठलाने में लगी है जिसके कारण अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है फिर भी अपराध का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार के पितृपक्ष मेला में अपराधियों को अपराध नही करने हेतु संदेश न देकर अपराधियों के मनोबल तोड़ने हेतु उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
13. कि गरीबों-दलितों को पुलिसिया तंत्र द्वारा तंग नहीं किया जायेगा ।
14. कि राज्य में नियमित हो रही हत्या, लूट, चोरी, डकैती, रंगदारी, अपहरण, बलात्कार आदि घटना काफी बढ़ गई है। राज्य में निम्न स्तर पर पहुँच चुकी विधि व्यवस्था में सुधार किया जायेगा ।
15. कि कानून व्यवस्था कायम करने हेतु भूमि सुधार, सामाजिक सुधार किए जायेंगे एवं अंधविश्वास, जातिवाद और संप्रदायवादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से लागू किया जायेगा । साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक उन्नयन हेतु कार्य किए जाएगें ।
16. कि सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता के आन्दोलन से कमजोर और अभिवंचित वर्गों में आयी सामाजिक राजनीतिक चेतना को विकसित करने और उसे मूर्तरूप देने का ठोस कार्यक्रम बनाया जायेगा ।
17. कि ग्रामीण क्षेत्रों के खेतिहर-मजदूरों और अन्य पेशागत समूहों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । राज्य में अविलम्ब खेत मजदूरों और असंगठित मजदूरों के शोषण को रोकने और उन्हें बेहतर जिंदगी जीने हेतु कारगर कदम उठाये जायेंगे । परम्परागत पेशे से जुड़े बढ़ई, लोहार, कुम्हार, बुनकर, धुनकर, चूड़ीवाल, मछुआ, चौरसिया, कामगार एवं रंगरेज भाईयों को उनके आर्थिक विकास के साधन दिये जायेंगे । कुछ योजनाएँ चल रही है उसमें भारी लूट मची हुई, इसे रोका जाएगा ।

18. कि प्रदेश को जाति और संप्रदाय की राजनीति से मुक्त किया जायेगा । सामाजिक सामंजस्य एवं सामाजिक समरसता के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं धर्म निरपेक्षता को सही स्वरूप में कार्यान्वित किया जायेगा ।
19. कि आज तक प्रदेश के गौरवमय इतिहास का आंशिक ही उद्भेदन किया जा सका है। आज भी राज्य के वैसे अनेकों गढ़ जो इतिहास को छिपाये हुए है, उन्हें उजागर किया जायेगा तथा इन गढ़ों का नाजायज तरीके से अतिक्रमण से मुक्ति तत्काल दिलाई जायेगी ।
20. कि जी0एस0टी0 के कारण छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को हो रही घाटे की भरपाई राज्य सरकार करेगी ।
21. कि शेड सहित नये श्मशान घाट का निर्माण कराया जाएगा एवं श्मसान घाटों की घेराबन्दी कराई जाएगी ।
22. कि राज्य में भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया गया है, उन इलाकों को चिन्हित कर डीप बोरिंग करायी जाएगी एवं जल संरक्षण एवं पुनर्भरण की व्यवस्था की जाएगी ।
23. कि दवा के खुदरा विक्रेता हेतु लाइसेंस 15 दिनों की समय सीमा में प्रदान कर दिया जायेगा ।
24. कि काम के अभाव में बिहार से युवाओं एवं मजदूरों का भारी संख्या में राज्य से बाहर पलायन हो रहा है जिसपर रोक लगाने हेतु प्रभावी कदम उठाया जायेगा ।
25. कि महत्वपूर्ण पदों पर भी अल्पसंख्यक, दलित, महादलितों एवं अति पिछंड़ा वर्ग के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जायेगा ।
26. कि टी0ई0टी0 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र दे दिया जायेगा ।
27. कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ एम0एस0डी0पी0 की राशि को ससमय खर्च किया जायेगा ।
28. कि अलग से वस्त्र मंत्रालय एवं बुनकर आयोग का गठन किया जायेगा। साथ ही नयी प्राथमिक हस्तकरघा बुनकर सहयोग समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। बुनकरों के कल्याणार्थ पूर्व में गठित हस्तकरघा निदेशालय को पुर्नःगठित किया जायेगा ।
29. कि हस्तकरघा बुनकरों को आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान किया जायेगा एवं अस्पतालों में यूनिफार्म, परदा, गौज एण्ड बैंडेज इत्यादि हस्तकरघा बुनकरों से क्रय किया जायेगा। हस्तकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ हस्तकरघा निर्मित जनता धोती-साड़ी योजना लागू किया जायेगा ।
30. कि बंद पड़ी सूत मिल को चालू किया जायेगा एवं बिहारशरीफ एवं भागलपुर में क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग समितियां लिमिटेड की खाली पड़ी जमीन को हस्तकरघा कम्पलेक्स बनाते हुए पर्यटन सर्किट से जोड़ा जायेगा। खादी ग्रामोद्योग को सक्रिय किया जायेगा एवं भागलपुर सिल्क इंस्टीच्यूट को युनिवर्सिटी का दर्जा किया जायेगा ।

31. कि बुनकरों को मिल की दर पर धागा सीधे उपलब्ध कराया जायेगा, और उनके बनाये कपड़ों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए बिहार के निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।
32. कि सिल्क सूत की सस्ते मूल्य पर सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेशम कीट एवं ऊनी कंबल-चादर बुनने के लिए भेड़ पालन को बढ़ावा दिया जायेगा ।
33. कि राज्य के बुनकरों, दस्तकारों, चूड़ी बनाने वालों और अन्य कारीगरों का समूह बीमा कराया जायेगा ।
34. कि पावरलूम बुनकरों पर दशकों से बकाया बिजली बिल माफ किया जायेगा एवं भविष्य में 80 प्रतिशत अनुदानित दर पर बिजली मुहैया करायी जायगी ।
35. कि महिला हिंसा को रोकने हेतु प्रखंड स्तर पर एक त्वरित टीम का गठन किया जायेगा। जेन्डर बजट की राशि को बढ़ायी जायेगी ।
36. कि महिला कामगार एवं असंगठित क्षेत्र की कामगार महिला के नियमित रोजगार एवं कौशल विकास हेतु ठोस कदम उठाया जायेगा ।
37. कि राज्य के सभी कार्यालयों में पालना घर बनाया जाएगा ।
38. कि शहरी गरीबों के लिए आवास का इंतजाम किया जायेगा ।
39. कि हमीद नगर सिंचाई परियोजना इसी वित्तीय वर्ष में शुरू कर दिया जायेगा ।
40. कि किसानों को उसके उत्पादन का सही दाम मिल एवं किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसानों का फसल उचित मूल्य पर हर हाल में क्रय किया जायेगा ।
41. कि किसानों के फसल के लिए फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया जायेगा ।
42. कि किसानों को आसान शर्तों एवं सही समय पर बैंकों से रियायती दर पर ऋण मिले इस दिशा में कार्य किए जायेगे। किसानों के छोटे-छोटे कर्जो को माफ किया जायेगा। किसानों को सही समय और अनुदानित दर पर सिंचाई साधन, खाद, बीज, कीटनाशक दवाई उपलब्ध करायी जायेगी ।
43. कि राज्यकृत बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि ऋण एवं अन्य तरह के ऋणों के प्राप्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार से किसानों को मुक्ति दिलाएगी ।
44. कि किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके इसके लिए बाजार उपलब्ध कराया जायेगा। हर पंचायत में अत्याधुनिक हाट की व्यवस्था की जाएगी। देश में चल रहे किसान विरोधी नीति का सरकार सख्त विरोध करेगी ।
45. कि बार-बार कृषि रोडमैप बनाया जाता है, परन्तु इसका कार्यान्वयन धरातल पर नही किया जा रहा है। कृषि रोडमैप को ईमानदारी से लागू किया जायेगा ।

46. कि बंद पड़े चीनी मिलों को हर हाल में चालू कराया जायेगा ।
47. कि राज्य के मरणासन्न सहयोग समितियों को जिन्दा करेगी तथा इसे स्वार्थी तत्वों से मुक्ति दिलाएगी ।
48. कि वैश्वीकरण के इस दौर में कुटीर उद्योग को जिंदा रखने हेतु इसका नवनिर्माण, संरक्षण और बढ़ावा दिया जायेगा ।
49. कि भूमि सुधार हेतु गठित आयोग के रिपोर्ट को लागू करने के लिए भू-हदबंदी कानून में भू-हदबंदी की सीमा घटाई जायेगी और इसे सख्ती से लागू किया जायेगा ।
50. कि राज्य के गरीबों को राज्य से बाहर पलायन को रोकने हेतु सरकारी योजनाओं में प्रदत्त न्यूनतम मजदूरी हर स्थिति में खेतिहर मजदूरों और कुशल मजदूरों को उपलब्ध कराया जायेगा ।
51. कि राज्य में जन वितरण प्रणाली को राज्य की जनता की आवश्यकता के अनुरूप ढ़ाला जायेगा। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा ।
52. कि राज्य में प्रशासन के सभी स्तरों पर खुलेआम घुसखोरी चल रही है । जिला स्तर हो या प्रखण्ड स्तर कहीं भी कोई भी काम बिना घुस दिये नहीं हो रहा है। इससे जनता को राहत दिलाया जाएगा ।
53. कि राज्य में कल कारखानों एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछा दिया जायेगा ।
54. कि पशुपालकों से दूध, किसानों से तुरंत खराब होनेवाली सब्जियाँ, फलो आदि का निश्चित रूप से सरकार द्वारा उचित मूल्य पर क्रय किया जायेगा। प्रखंड स्तर पर दूध एवं दूध से बनी सामग्री तथा फल-सब्जी को संरक्षित रखने हेतु प्रखंड स्तर पर मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जायेगा ।
55. कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जीवन स्तर बेहतरी के लिए पशुपालन एवं ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जायेगा ।
56. कि सिंचाई हेतु किसानों को सही वक्त एवं अनुदानित दर पर सतत् बिजली उपलब्ध करायी जायेगी ।
57. कि सोन नहर का पक्कीकरण किया जायेगा ।
58. कि वित्त आयोग की राशि जो पंचायतों को प्राप्त होती थी, उस पैसे को सात निश्चय से हटाकर पूर्व की भाँति पंचायतों को दी जाएगी ।
59. कि त्रिस्तरीय पंचायत राज का प्रशासनिक नियंत्रण के साथ ही वास्तविक नियंत्रण त्रिस्तरीय पंचायत राज को दी जाएगी। धारा 22 में घोषित 30 विभागों को पंचायतों को सौंपा जाएगा। राज्य द्वारा संचित निधि का 50 प्रतिशत राशि पंचायती राज को दिया जाएगा ।
60. कि मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि लोकसेवक घोषित है अत: दोषी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति देने का प्रावधान किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को अपराधी द्वारा मारे जाने पर मुआवजा, बीमा लाभ एवं पारिवारिक पेंशन सुविधा प्रदान की जाएगी ।

61. कि फुटपाथी दुकानदारों को बिना बैकल्पिक व्यवस्था किए नही हटाया जायेगा।
62. कि पूर्व सैनिकों को केन्द्र की भाँति राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जायेगा। एवं राज्य में वेस्ट लैंड का आवंटन पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा। राज्य के शहीद सैनिक/अर्द्धसैनिकों के परिवार को 10 डिसमिल आवासीय भूखंड दिया जायेगा ।
63. कि राज्य में स्वीकृत पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति की प्रथा को समाप्त किया जायेगा ।
64. कि सरकारी नौकरियों में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम में नियुक्ति की जाएगी और राज्य के मेहनती एवं मेधावी छात्रों को नौकरी से वंचित करने हेतु बनाए गए अंक आधारित नियुक्ति नियमों को समाप्त किया जाएगा। बी0पी0एस0सी एवं बी0एस0एस0सी0 को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जायगा और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु परीक्षा कैलेन्डर जारी किया जाएगा ।
65. कि राज्य में फर्जी डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जायेगी ।
66. कि बेरोजगार युवकों के कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम प्रभावी बनाया जायेगा ।
67. कि बिहार के सभी गाँवों के सभी घरों में स्वच्छ शौचालय योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त की जायेगी ।
68. कि लेखकों, कलाकारों और पत्रकारों के पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जायेगी ।
69. कि कौशल विकास कर प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु लोन दिया जायेगा ।
70. कि प्रत्येक बाढ़ ग्रस्त प्रखंडों में उँचा चबूतरा एवं शेड बनाकर स्थायी राहत शिविर स्थापित किया जायेगा ।
71. कि राज्य को बाढ़ और सुखाड़ से सदा-सदा के लिए मुक्ति दिलायी जाएगी ।
72. कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जायेगा ।
73. कि स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड का लाभ सभी छात्रों को बिना भेदभाव उपलब्ध कराया जायेगा ।
74. कि राज्य में खेल-कूद के विकास के लिए प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा ।
75. कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा ससमय लेते हुए सत्र नियमित किया जायेगा ।

76. कि महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के खाली पड़े पदों पर आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा कराकर शीघ्र नियमित नियुक्ति की जाएगी ।
77. कि डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट जैसे पदों पर संविदा के आधार पर न कर आयोग के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति की जाएगी ।
78. कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु दी जानेवाली छात्रवृति ससमय एवं पूर्ण राशि प्रदान किया जायेगा ।
79. कि पंचायत स्तर पर कम्युनिटि हेल्थ सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रतिवर्ष 5 नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे । राज्य में बन्द पड़े सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा ।
80. कि कुपोषण एवं टी0बी0 को खत्म करने हेतु योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा ।
81. कि नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे ।
82. कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति को विधानमंडल / लोकसभा / राज्यसभा में दिए गए आरक्षण के तर्ज पर पिछड़ी जाति एवं अति पिछड़ी जाति को भी विधानमंडल /लोकसभा / राज्यसभा में आरक्षण दिए जाने हेतु दिशा में कार्रवाई की जाएगी ।
83. कि अति पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (इंदिरा आवास) प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराया जायेगा ।
84. कि प्रतिवर्ष दशरथ मांझी पुरस्कार, भिखारी ठाकुर पुरस्कार एवं हीरा डोम पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। बिहार लोक साहित्य को बचाने के लिए फेलोशीप अवार्ड शुरू किया जायेगा। सभी स्तर के पुरस्कारों में आरक्षण नियमावली का पालन किया जायेगा ।
85. कि वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने हेतु एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन, गंगा व जल प्रदूषण मॉनीटरिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वायु प्रदूषण निगरानी हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी ।
86. कि अल्पसंख्यक समाज में बालिकाओं की शिक्षा दर बढ़ाने के लिए मध्य / उच्च उर्दू कन्या विद्यालय खोले जायेंगे ।
87. कि अल्पसंख्यक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसा शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकारी विद्यालयों के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएँ दी जायेगी । संविदा पर कार्यरत कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन दी जायेगी ।
88. कि दूसरी राजभाषा उर्दू को सरकारी कामकाज में बढ़ाने के लिए प्रत्येक थाने में उर्दू जानकार दारोगा की बहाली की जायेगी ।
89. कि सभी कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से मुक्त करा कर घेराबंदी करायी जायेगी ।

90. कि अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के निजी एवं सार्वजनिक हितों के प्रति भेदभाव बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी ।

91. कि प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी ।

92. कि बाबा साहेब की पुस्तक Annihilation of Caste को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए ।

93. कि बाबा साहेब अम्बेडकर, दशरथ मांझी, ई0 पेरियार, कांशी राम, राममनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी, ज्योतिबा फुले और संत रविदास जी जैसे महापुरूषों की जीवनी और आदर्शों को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा ।

94. कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को भी प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा ।

95. कि बिहार में कार्यरत सभी टोला सेवकों, ममता कर्मियों, आशा कर्मियों, जीविका दीदियों, मध्याह्न भोजन योजना की रसाईयाँ अन्य संविदा आधारित सेवकों का मासिक वेतनमान निर्धारित किया जाएगा ।

96. कि नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन लागू नहीं किया गया है, इसे लागू किया जाएगा। विकास मित्रों को पंचायत सेवकों की तर्ज पर वेतनमान मिलेगा ।

97. कि शराबबंदी कानून से प्रभावित सजा काट रहे परिवार के मुखिया जो जेल में बंद है, उनके परिवार एवं बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था सरकार करेगी। शराबबंदी कानून से प्रभावित बेराजगार हुए युवकों को सरकार रोजगार मुहैया कराएगी ।

98. कि गंगा नदी के दियारे इलाके को बाढ़ से स्थायी मुक्ति हेतु संपूर्ण नदी तट को बोल्डर पीचिंग कराई जाएगी ।

99. कि खास महाल की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी ।

100. कि पशुधन बीमा योजना लागू की जाएगी। राईट टू एनीमन हेल्थ योजना लागू की जाएगी ।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्,
इंटर कॉंसिल, आठवाँ तल; बुद्धमार्ग
पटना–800001

Bihar Education Project Council,
Inter Council 8th Floor, Buddha Marg, Patna-- 1

पत्रांकः– AIE/RTE-III/2009-10 12 (1) (C)-- 4652. दिनांक 16/8/2018

सेवा में,

निदेशक,
ए.एन. सिन्हा, सामाजिक अध्ययन संस्थान
गांधी मैदान, पटना।
निदेशक,
चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान
मीठापुर इंस्टीट्युशनल एरिया, पटना–800001
निदेशक,
एल.एन. मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान
1 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना–800001
निदेशक,
आद्री
बी.एस.आई.डीसी कॉलोनी
बोरिंग पाटलिपुत्रा रोड, पटना–800013
निदेशक,
Amity University Patna Campus
रूपसपुर पुलिस थाना के नजदीक,
रूपसपुर, बेली रोड, पटना–801503

विषयः– **निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत के अंतर्गत अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की प्रगति के संबंध में सर्वेक्षण हेतु परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 11.06.2018 को सम्पन्न लोक संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की प्रगति के संबंध में सर्वे कराने का निदेश दिया गया है।

सर्वे हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं को निर्धारित किया गया हैः–

1. 25 प्रतिशत अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग समूह के बच्चों का नामांकन।
2. 25 प्रतिशत कोटा अंतर्गत नामांकित बच्चे का अधिगम स्तर तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करते है अथवा Drop out कर जाते हैं।
3. निजी विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन एवं
4. अभिभावकों का निजी विद्यालयों के प्रति सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा अधिक आकर्षण होने के कारणों का सर्वेक्षण

अतएव अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं पर सर्वे हेतु परियोजना प्रस्ताव इस कार्यालय से वांछित राशि की विवरणी सहित एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, MAY 2, 2018

M THE FRONT PAGE

INDIAN EXPRESS, MAY 2, P.2

NO. OF RESERVED POSTS, IF BHU TAKES UNIVERSITY AS A UNIT (OLD FORMULA)

Name of posts (cadre)	General	SC	ST	OBC	Total
Professor	197	38	18	00	253
Associate Professor	410	79	39	00	528
Assistant Professor	581	172	86	310	1,149
Total	1,188	289	143	310	1,930

NO. OF RESERVED POSTS, IF BHU TAKES DEPT AS A UNIT (NEW FORMULA)

Name of posts (cadre)	General	SC	ST	OBC	Total
Professor	250	03	00	00	253
Associate Professor	500	25	03	00	528
Assistant Professor	812	91	26	220	1,149
Total	1,562	119	29	220	1,930

ula, experts say departments with two more faculty posts, but less than 15 in a dre, will have only one reserved for an candidate at serial number 7 and for an candidate at serial number 14. So if a department has only six associate professor-level posts, none will be reserved for SC and ST candidates. Reservation will only be implemented through rotation, which experts say could take years.

mes and if you do this, people can decide ow much value there is in your words," e said.

The PM also said Congress president ahul Gandhi was disrespectful towards alliance for the May 12 polls.

"I understand that the Prime Minister has praised the JDS leader H D Devegowda a lot. This is proof of an alliance between the two parties for the polls," he said.

COMPARATIVE CRIME DATA OF BIHAR FROM 2001 TO ~~[illegible]~~ Nov 2018

	Cognizable	Murder	Decoity	Robbery	Burglary	Theft	Riots	Kidnapp	Kid. For R	Rape	R.D.	R.R.	Bank D	Bank R
2001	95942	3619	1293	2175	3036	9489	8520	1689	385	746	257	1296	22	18
2002	101055	3634	1259	2236	3172	9792	8775	1948	396	875	252	1323	28	15
2003	98298	3652	1203	2425	2925	10313	8189	1956	335	804	247	1430	14	15
2004	115216	3861	1297	2909	3191	11518	9199	2566	411	1063	287	1875	30	27
2005	104778	3423	1191	2379	3166	11809	7704	2226	251	973	224	1310	26	8
2006	110716	3225	967	2138	3529	13092	8541	2301	194	1083	211	1251	15	5
2007	118176	2963	646	1729	3254	12306	7996	2092	89	1122	151	1109	19	9
2008	130693	3029	640	1536	3343	14143	8207	2735	66	1041	146	897	16	7
2009	133525	3152	654	1619	3566	15221	8554	3142	80	929	201	962	7	2
2010	137572	3362	644	1538	3437	15544	8809	3602	72	795	207	1051	9	2
2011	147633	3198	556	1381	3629	16292	9768	4211	57	934	194	1043	11	10
2012	160271	3566	540	1266	3758	17667	10871	4737	70	927	191	1081	5	6
2013	184961	3441	579	1521	4193	21490	11931	5506	70	1128	240	1281	9	3
2014	195024	3403	538	1600	4674	22888	13566	6570	62	1127	264	1347	9	5
2015	195397	3178	426	1640	4518	22461	13311	7127	58	1041	175	1195	9	5
2016	189681	2581	349	1410	4511	22228	11617	7324	37	1008	169	1119	8	3
2017	236037	2803	325	1594	4776	27029	11698	8972	42	1198	165	1286	7	3
Nov-18	241502	2732	252	1568	4270	28030	9696	9506	41	1400	115	1344	5	4

R.D = Road Dacoity B.D = Bank Dacoity Kid. For Ransom
R.D = Road Robbery B.D = Bank Robbery

COMPARATIVE CRIME DATA OF BIHAR FROM 2001 TO ~~[illegible]~~ Nov 2018

	Cognizable	Murder	Decoity	Robbery	Burglary	Theft	Riots	Kidnapp	Kid. For R	Rape	R.D.	R.R.	Bank D	Bank R
2001	95942	3619	1293	2175	3036	9489	8520	1689	385	746	257	1296	22	18
2002	101055	3634	1259	2236	3172	9792	8775	1948	396	875	252	1323	28	15
2003	98298	3652	1203	2425	2925	10313	8189	1956	335	804	247	1430	14	15
2004	115216	3861	1297	2909	3191	11518	9199	2566	411	1063	287	1875	30	27
2005	104778	3423	1191	2379	3166	11809	7704	2226	251	973	224	1310	26	8
2006	110716	3225	967	2138	3529	13092	8541	2301	194	1083	211	1251	15	5
2007	118176	2963	646	1729	3254	12306	7996	2092	89	1122	151	1109	19	9
2008	130693	3029	640	1536	3343	14143	8207	2735	66	1041	146	897	16	7
2009	133525	3152	654	1619	3566	15221	8554	3142	80	929	201	962	7	2
2010	137572	3362	644	1538	3437	15544	8809	3602	72	795	207	1051	9	2
2011	147633	3198	556	1381	3629	16292	9768	4211	57	934	194	1043	11	10
2012	160271	3566	540	1266	3758	17667	10871	4737	70	927	191	1081	5	6
2013	184961	3441	579	1521	4193	21490	11931	5506	70	1128	240	1281	9	3
2014	195024	3403	538	1600	4674	22888	13566	6570	62	1127	264	1347	9	5
2015	195397	3178	426	1640	4518	22461	13311	7127	58	1041	175	1195	9	5
2016	189681	2581	349	1410	4511	22228	11617	7324	37	1008	169	1119	8	3
2017	236037	2803	325	1594	4776	27029	11698	8972	42	1198	165	1286	7	3
Nov-18	241502	2732	252	1568	4270	28030	9696	9506	41	1400	115	1344	5	4

R.D = Road Dacoity B.D = Bank Dacoity Kid. For Ransom
R.D = Road Robbery B.D = Bank Robbery

II

पत्रांक : 09/साई० यो०–07/2018...540

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

आर० के० महाजन (भा०प्र०से०)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)

पटना, दिनांक 5/10/18

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में लाभुक आधारित योजना से लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ देने हेतु शैक्षणिक सत्र के माह अप्रैल/नामांकन की तिथि से सितम्बर की अवधि में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत का प्रावधान है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण 16 अगस्त 2018, 27 अगस्त 2018, 01 सितम्बर 2018, 11 सितम्बर 2018, 15 सितम्बर 2018 एवं 27 सितम्बर 2018 को कराया गया है। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की औसत उपस्थिति लगभग 28 प्रतिशत है। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किये गये निरीक्षण के समय नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या एवं उपस्थित छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर जिलावार छात्रोंपस्थिति के प्रतिशत का विवरण संलग्न है।

निदेश दिया जाता है कि लाभुक आधारित योजनों से लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं से संबंधित मांग पत्र भेजते समय यह सुनिश्चित हो लें कि आपके जिले का मांग पत्र निरीक्षण के समय पायी गयी छात्रोंपस्थिति के औसत के अनुरूप हो।

आपके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मांग पत्र की समीक्षा के दौरान यदि मांग पत्र तथा निरीक्षण के समय आपके जिले में पायी गयी औसत छात्रोंपस्थिति में अन्तर आता है, तो इसे सरकारी राशि का दुरुपयोग माना जायेगा तथा इसके लिए आपके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

5/10/18

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 09/साई० यो०–07/2018...540 पटना, दिनांक ...5/10/2018

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/10/18

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 09/साई० यो०–07/2018...540 पटना, दिनांक ...5/10/2018

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार वाले जिले के मांग पत्र की समीक्षा अपने स्तर से भी करना सुनिश्चित करें।

5/10/18

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–2

नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं
जरा सोच को बदल कर देखो नजारा भी बदल जाते हैं

सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना

दिनांक 20

यदि बिहार [illegible] बदलना हो तो
बिहार बदल के देखो
देश भी 2019 में भी
स्वतः बदल जाते हैं

अध्यक्ष / पीठासीन / महोदय

मैं आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर (आदरणीय मेवा बाबू के धन्यवाद प्रस्ताव के विषय में) अपने द्वारा किये गये [illegible] सेवाओं के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ।

(1) न्याय के साथ विकास - सभी लोगों - वर्गों एवं क्षेत्रों में एक साथ [illegible] यह [illegible] है। देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु शासन के कार्यक्रम [illegible] समय से लागू किया जा रहा है।

(2) मूलभूत सुविधाएँ - पेयजल, शौचालय, बिजली आवास सड़क - गली-नाली, एवं शिक्षा [illegible]।

(3) युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की [illegible] जिसे सात निश्चय में शामिल किया।

(4) कानून का शासन - विधि व्यवस्था [illegible] सर्वोच्च प्राथमिकता [illegible] कानून का शासन [illegible] अपराधियों में [illegible] कानून का पालन [illegible]
[illegible]

सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना

दिनांक 20

(2)

(5) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार एक लाख आबादी पर अपराधों की राष्ट्रीय औसत प्रतिशत - 233.6 है, बिहार में 157.4 है। ~~बिहार का~~ राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का 22 स्थान है।

(6) कानूनी प्रक्रिया द्वारा 2018 में अबतक उम्र [illegible] 650 लोगों को सजा मिली है।

(7) पुलिस बल की संख्या अपराध नियंत्रण हेतु बढ़ाई गई है।
मैं मानता 2018 में 120 D.S.P.
2640 ~~दरोगा~~ A.S.I.
एवं 8465 सिपाही की नियुक्ति हुई।

(8) पुलिस Manual में सन् 2007 के विधेयक में लापरवाह पुलिस कर्मियों पर अबतक कानूनी कार्यवाही।

(9) अबतक Investigation and Law and order को अलग-अलग नहीं किया गया है।

(10) न्यायालय [illegible] 0 [illegible]

सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना

दिनांक 20

(9) भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपकी नीति व टॉलरेंस नीति

(i) मगर आर्थिक ब्यूरो ने मात्र 53 मामले ही दर्ज किये हैं।

(ii) निगरानी के मामले मात्र 2

(iii) 4 वर्ष में ... मामले 4.

कुल — 59 मामले दर्ज

आर्थिक अपराध इकाई (10) आय से अधिक सम्पत्ति के मात्र 45 मामले की हैं।
जिसमें मात्र 29 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए हैं।
जबकि हाल से अधिक सम्पत्ति ...

कहावत - इनको माल बनाने आता है या डील करने नहीं आता है जो आवाज उठाता है।

(11) लोक शिकायत निवारण अधिकार के तहत लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता है ... (व्यंग्यात्मक)

(12) आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य सामाजिक योजना की राशि बजट का गत वर्ष की तुलना 18% बढ़ाने की बात आपने की
जो बढ़कर 1 लाख 77 हजार करोड़ होगा।
मगर आपने ... ... ।

सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना
दिनांक 20

(13) महोदय,
66 विभागों के योजना मद में
64 96 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिये गये हैं
उनकी योजना का क्या हुआ।

(14) विधानसभा के Question Reply Management System में 5 विभाग को माननीय अध्यक्षजी ने पुरस्कृत किये थे क्यों?
उनकी सूची का क्या हुआ है?

(15) 2017-18 में राज्य की विकास दर 11.3% रही है जो देश में सर्वाधिक है जबकि राष्ट्रीय विकास दर 7% ही थी वरना मोदीजी के स्थान पर नीतीश जी को P.M बनना चाहिये।

(16) महिला सशक्तीकरण – आप पंचायत निकाय चुनावों, शिक्षकों की नियुक्ति में 50% और 35% आरक्षण की बात कहते हैं। लेकिन कोई आंकड़े का Result का दिखाते – इसका ध्यान दिये हैं, नहीं।

(17) जीविका – ये तो 9 लाख दीदी की बात करते हैं अंदर 8 लाख 96 हजार समूह बनाये गये हैं इससे ... लाख परिवार जुड़े हैं इसका लाभ क्या मिल रहा है

सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना

दिनांक 20

(5)

(18) विकसित बिहार के काम में 7 निश्चय योजना क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन हेतु बिहार-विकास मिशन बनाये हैं जो कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विभाग के योजनाओं का कुछ सुधार करेगी क्या हो रहा है देखा?

(19) आर्थिक हल - युवाओं को बल — [illegible]

(20) स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कर्नाटक योजना है जिसके प्रथम चरण में 4% सूद पर बैंकों लोन पर अभी तक मात्र 32 हजार छात्र-छात्राओं 909 करोड़ रुपये मिले हैं - पहली आपकी आगामी आंकड़ों उन छात्र-छात्राओं क्रेडिट कार्ड बनाने के क्रम-2 परेशानियों के सामना करना पड़ता है, कोई देखने वाला नहीं है

(21) आर्थिक निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में अब तक आप 2 लाख बेरोजगार पा रहे हैं।

(22) कुशल युवा कार्यक्रम के तहत मात्र 1 लाख 667 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से मात्र 1 लाख ही प्रशिक्षित हुए हैं

(23) हर घर नल-जल योजना का लक्ष्य-पता नहीं सरकार को अब तक 15 वार्डों में ही काम हुआ है

(24) P.H.E.D. — शौचालय [illegible], चापाकल, आर्सेनिक, फ्लोराइड

[illegible]

सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना
दिनांक 20

(30) [illegible] पक्षी गायब — [illegible] — 39 [illegible]

(31) शौचालय — [illegible] करने के 2 वें ही [illegible]
लाभार्थी को भुगतान है
O.D.F. घोषित, पर शौचालय [illegible];
पर इनको payment नहीं है

(32) युवाओं रोजगार [illegible] —
बिहार - [illegible] आयोजन महोत्सव [illegible],
खेल - [illegible], [illegible],
महिला आयोजन प्रशिक्षण [illegible]
बिहार ए. एन. एन. संस्थान की स्थापना [illegible] — [illegible]
उचित वातावरण दें।

(33) शिक्षा — शिक्षक कहाँ है [illegible]
[illegible],
विद्यालय भवन

[illegible] . प्रा. वि. [illegible]

(34) स्वास्थ्य उपचार, [illegible]
— [illegible]

(35) [illegible] — [illegible]
[illegible]

सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना

दिनांक 20

कृषि

बिहार की 80% जनसंख्या गाँवों में निवास [illegible]
70% लोगों की जीविका कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर आश्रित

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु

2008 में पहला, 2012 में दूसरा तथा 2017-2022 तक तीसरा कृषि रोडमैप [illegible] माननीय राष्ट्रपति जी ने 9 नवम्बर 2017 को किया।

जिसके तृतीय रोडमैप में महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को शामिल किया गया

(क) किसानों की आय में वृद्धि करने तथा प्रत्येक भारतीय की थाली में बिहार का एक व्यंजन का सपना साकार हो। — एक मुट्ठी दाल [illegible]

(ख) किसानों को बाजार योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने का वादा आपने किया था — जो पूरा नहीं —

गेहूँ - दाल - धान — की [illegible]

[illegible]

सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना
दिनांक 20

(ग्राम [illegible])

[illegible]

अब तक मात्र 1 [illegible]
[illegible]

सिंचाई ——— [illegible] - [illegible]
[illegible]

State Tubewell case . . . . |

औद्योगिक निवेश

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, 2016 से लागू—
अब तक मात्र 1 [illegible] 63 प्रस्तावों [illegible]

[illegible] —
[illegible]
[illegible]

सर्व [illegible]

[illegible] - बिहार [illegible]
[illegible]
[illegible]